आर्थिक समीक्षा

1994

ECONOMIC REVIEW

DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-1

आर्थिक समीक्षा

हिमाचल प्रदेश

1994

ECONOMIC REVIEW

DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-1

D08512
NIEPA DC

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8512
Date 23-3-95

प्रस्तावना

आर्थिक समीक्षा एक बजट प्रलेख है, जो सरकार के विभिन्न विभागों की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष **1993-94** में राज्य की आर्थिक गतिविधियों व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में, जब कि सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं ।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं । इस समीक्षा के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने किया। मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए कड़े परिश्रम की प्रशंसा करता हूं ।

कंवर शमशेर सिंह
वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त, योजना तथा अर्थ एवं सांख्यिकी),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय-सूची

भाग-1 वर्ष 1993-94 की प्रगति की समीक्षा

		पृष्ठ
1.	सामान्य समीक्षा	1
2.	जनसंख्या	4
3.	राज्य आय	7
4.	कृषि	9
5.	उद्योग	30
6.	विद्युत	33
7.	रोजगार	39
8.	ग्रामीण विकास	44
9.	भाव की स्थिति	49
10.	नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक सेवाएं	52
11.	व्यापार तथा वाणिज्य	67
12.	परिवहन तथा संचार	70
13.	सहकारिता	73
14.	स्थानीय निकाय	75
15.	विशेष अध्ययन	77

भाग- I

वर्ष 1993-94 की प्रगति की समीक्षा

1. आर्थिक समीक्षा

देश की आर्थिक स्थिति

1.1 देश की खराब होती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने स्थिरता, समायोजन और सुधारों की एक नई योजना कार्यान्वित की ताकि अर्थव्यवस्था को इस से ऊपर उभारा जा सके । इस वर्ष के दौरान भी विभिन्न उठाये गए कदमों का कार्यन्वयन जारी रहा। सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामूहिक विकास के लिये विभिन्न उपाये जैसे कि वित्तीय घाटे को कम करना, मुद्रास्फिती की दर को कम करना, विदेशी मुद्रा के भण्डार को सुदृढ़ करना, इत्यादि किये हैं । दुसरी ओर संरचनात्मक सुधारों की नीति का उद्देश्य संरचनात्मक कठोरता को दूर करना व प्रतिस्पर्दात्मक शक्तियों को सशक्त करना है ।

1.2 इन उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष **1992-93** के दौरान पूर्ण अर्थव्यवस्था में स्पष्ट सुधार हुआ है । आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम जो **1992-93** में प्रारम्भ हुआ वर्ष **1993-94** में भी जारी रहेगा। यह विकास कृषि के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी व उद्योग में कुछ सुधार के कारण सम्भव होगा । कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये नये आर्थिक सुधारों में उच्च प्राथमिकता दी गई है और इस क्षेत्र को पुनःस्थापन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस के व्यय में काफी वृद्धि की गई है। इसी प्रकार बागवानी को आठवीं पंचवर्षीय योजना में राशी के आवंटन में विशेष स्थान दिया गया है। बागवानी के लिये योजना की आवंटित राशी जो सातवीं पचवर्षीय योजना में केवल **24** करोड़ रुपये थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर **1,000** करोड़ रुपये हो गई। वर्ष **1992-93** से मूल्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ। इसी प्रकार संतुलन की स्थिति वर्ष **1993-94** में व्यवस्थित रहेगी । चालू वर्ष के प्रथम **5** मास में निर्यात में **24.3** प्रतिशत की वृद्धि हुई जोकि वर्ष **1993-94** में लगभग **20** प्रतिशत रहेगी । वर्ष **1992-93** के प्रथम **5** मास की तुलना में चालू वर्ष में इसी अवधि में आयात में लगभग **3.7** प्रतिशत की कमी रही । इसी प्रकार वर्ष **1993-94** के पहले **7** मास में विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भण्डार बनाये गए । बजट के घाटे को भी विभिन्न उपायों जैसे कि गैर-योजना खर्च में कमी व कर व गैर-कर राजस्व में वृद्धि कर के कम किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.3 औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि पर निर्भर करती है । कृषि उत्पादन अभी तक भी समय पर वर्षा होने तथा मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। वर्ष **1992-93** में खाद्यान्न उत्पादन **13.13** लाख टन होने की आशा है जबकि **1993-94** के लिये यह लक्ष्य **15** लाख टन है।

गत पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)
1989-90	13.68
1990-91	14.33
1991-92	13.44
1992-93	13.13
1993-94 (लक्ष्य)	15.00

1.4 हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थित रूप से फल उत्पादन कार्य स्वतन्त्रता के पश्चात ही आरम्भ किया गया । सेब सहित सभी फलों के उत्पादन में लगातार सुधार हो रहा है तथा वर्ष 1992-93 में यह उत्पादन 3.25 लाख टन रहा। दिसम्बर,1993 तक 3.23 लाख टन फल उत्पादन हो चुका है तथा वर्ष 1993-94 में 3.35 लाख टन उत्पादन होने की सम्भावना है । सब्जियों के उत्पादन में भी लगातर वृद्धि हो रही है और वर्ष 1993-94 में 3.85 लाख टन सब्जियों का उत्पादन होने की आशा है । हिमाचल प्रदेश में बीज आलू जो कि रोग मुक्त होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है, की देश भर में बहुत मांग है ।

1.5 द्रुत अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 1992-93 में 0.3 प्रतिशत जो लगभग नगण्य है की वृद्धि हुई तथा प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 5,743 रुपये रही ।

1.6 ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में वैसे तो शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है क्योंकि बचे हुए हैमलैटस को भी इनके अन्तर्गत लाना हैं । नवम्बर,1993 तक 156 पम्प सैट चालू किए गए । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नवम्बर,1993 तक लगभग 818 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया । वर्ष 1992-93 में 1,087.4 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया था । प्रदेश में बिजली के क्षेत्र को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है । सरकार प्रदेश में जल विद्युत की 25,000 मैगावाट की क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से नीजि क्षेत्र को भी सम्मिलित कर रही है ।

1.7 मार्च,1993 तक, प्रदेश में कुल 2.83 लाख लोग रोजगार पर लगे थे । सभी रोजगार कार्यालयों में नवम्बर,1993 तक जीवित पंजीयका में बेरोजगारों की संख्या 4.93 लाख थी । सरकार ने अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु कई कार्यक्रम शुरू किए हैं । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,1993 तक 21.70 लाख

कार्य दिवस अर्जित किए गए। नवम्बर,1993 तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 6,870 परिवारों को सहायता प्रदान की गई जबकि "ट्राईसम" कार्यक्रम के अन्तर्गत 449 युवकों को प्रशिक्षित किया गया, 223 युवकों को स्व: रोजगार व 169 युवकों को वैतनिक रोजगार प्रदान किया गया ।

1.8 वर्ष 1992-93 में कृषि समितियों द्वारा 8.46 लाख सदस्यों को 2,488.65 लाख रुपये के ऋण दिए गए जबकि 1991-92 में 8.18 लाख सदस्यों को 1,627.74 लाख रुपये के ऋण दिए गए थे ।

1.9 इस वर्ष में पर्यटन विकास के लिए सरकार द्वारा नई पर्यटन विकास नीति घोषित करना मुख्य उपलब्धि है । इस नीति के अधीन प्रतिबन्धित क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए खोलने के साथ-2 व्यापारिक पर्यटन को निजि क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है । गैर-व्यापारिक पर्यटन जैसे कि कम विकसित स्थानों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का दायित्व होगा । इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन विकास में निजि उद्यमियों को सम्मिलित करना है। प्रदेश सरकार, कई अन्य परियोजनाएं निजि क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है । इस नीति के अन्तर्गत निजि उद्यमियों को कुछ छूट व प्रोत्साहन मिलना है ।

1.10 प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिये कुटीर व लघु उद्योग और अन्य क्षेत्रों में उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये गए हैं ।

2. जनसंख्या

2.1 हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो कि **1981** की जनगणना के अनुसार **42.81** लाख थी बढ़कर **1991** की जनगणना के अनुसार **51.71** लाख हो गई । जनसंख्या का घनत्व प्रदेश के लिए प्रति वर्ग किलोमीटर **93** है और समस्त भारत का **274** है । निम्न तालिका में प्रदेश व भारत की जनसंख्या से सम्बन्धित मुख्य विशेषतांए दर्शाई गई है:-

जनसंख्या आकड़े॥1991 की जनगणना के अनुसार॥

मद	हिमाचल प्रदेश	भारत
1.	2.	3.
1 जनसंख्या॥लाखों में॥:		
॥क॥ पुरुष	26.18	4,392.31
॥ख॥ स्त्रियां	25.53	4,070.72
कुल	51.71	8,463.03
2. दस वर्षीय वृद्धि दर		
॥1981-91॥प्रतिशत॥	20.79	23.85
3. घनत्व॥व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.॥	93	274
4. लैंगिग अनुपात॥1000 पुरुषों		
के पीछे स्त्रियों की संख्या॥	976	927
5. साक्षरता ॥प्रतिशत॥	63.86	52.21
6. शहरी जनसंख्या॥योग से प्रतिशत॥	8.69	25.73
7. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ॥कुल से प्रतिशत॥	25.34	16.48
8. अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या ॥कुल से प्रतिशत॥	4.22	8.08

जनसंख्या की वृद्धि

2.2 **1981-91** के दौरान जनसंख्या में दस वर्षीय वृद्धि दर **20.79** प्रतिशत थी जबकि दशक **1971-81** के दौरान यह वृद्धि दर **23.71** प्रतिशत थी । राष्ट्रीय स्तर पर दस वर्षीय वृद्धि दर **1981-91** व **1971-81** के दौरान क्रमश: **23.85** प्रतिशत और **24.66** प्रतिशत थी ।

परिवार का आकार

2.3 प्रदेश में **1991** जनगणना के अनुसार परिवारों की

संख्या 9.69 लाख थी और परिवार का आकार 5.3 था ।

लैंगिक अनुपात

2.4 लैंगिक अनुपात अर्थात् प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या इस शताब्दी के आरम्भ से प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है जो कि 1901 में 884 से 1991 में 976 हो गया । राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक अनुपात 1901 में 972 था घटकर 1981 में 934 हो गया था । 1991 जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर लैंगिक अनुपात पुन: घटकर 927 हो गया ।

नगरीय प्रवृति

2.5 स्वतन्त्रता से देश की शहरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यह 1971 में 19.91 प्रतिशत, 1981 में 23.34 प्रतिशत थी बढ़कर 1991 जनसंख्या के अनुसार 25.73 हो
गई । हिमाचल प्रदेश में शहरी जनसंख्या का बढ़ना काफी कम रहा । यह 1971 में 6.99 प्रतिशत,1981 में 7.61 प्रतिशत तथा बढ़कर 1991 जनगणना के अनुसार 8.69 प्रतिशत हो गई । 1981-91 के दौरान राज्य की शहरी जनसंख्या की सीमान्त वृद्धि दर 1.08 प्रतिशत है । शिमला जिला के अतिरिक्त जिसकी शहरी जनसंख्या 20.08 प्रतिशत है, अन्य जिले जहां पर शहरी जनसंख्या की अधिक प्रतिशतता रही वह कांगड़ा (13.21 प्रतिशत), मण्डी (12.41 प्रतिशत), तथा सोलन (10.53 प्रतिशत) हैं ।

अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की जनसंख्या

2.6 प्रदेश में 1981 की 10,53,958 अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की तुलना में 1991 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 13,10,296 थी जो कुल जनसंख्या का 25.34 प्रतिशत है। 1991 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या 2,18,349 थी जो कुल जनसंख्या का 4.22 प्रतिशत है जबकि 1981 में 1,97,263 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता 93.7 और जनजातीय जनसंख्या 97.5 थी । अनुसूचित जाति और जन जाति जनसंख्या का दस वर्षीय वृद्धि दर क्रमश: 24.32 प्रतिशत तथा 10.69 प्रतिशत था जबकि प्रदेश का दस वर्षीय वृद्धि दर 20.79 प्रतिशत था ।

धर्मानुसार जनसंख्या

2.7 1981 जनगणना के अनुसार प्रदेश में 4 मुख्य धर्म हैं । सबसे अधिक हिन्दू जो कि 40,99,706 है(95.8 प्रतिशत), उसके बाद मुसलमान 69,613(1.6 प्रतिशत), बौद्ध 52,629(1.2 प्रतिशत) और सिख 52,209(1.2 प्रतिशत) आते हैं । ईसाई कुल जनसंख्या का केवल 0.1 प्रतिशत तथा जैन 0.02 प्रतिशत है ।

आयु वर्गानुसार जनसंख्या

2.8 प्रदेश की जनसंख्या दर्शाती है कि **1981** में **0-14** वर्ष के आयुवर्ग में **17.0** लाख बच्चे(**39.7** प्रतिशत), **15-59** वर्ष के आयु वर्ग में **22.6** लाख व्यक्ति(**52.8** प्रतिशत) तथा **60** वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग में **3.2** लाख व्यक्ति(**7.5** प्रतिशत) थे ।

3. राज्य आय

राज्य घरेलू उत्पाद

3.1 राज्य आय अथवा राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदंड है । वर्ष **1980-81** के आधार पर स्थिर भावों पर वर्ष **1992-93** में प्रदेश का घरेलू उत्पाद **1201.32** करोड़ रुपये हो गया जबकि यह वर्ष **1991-92** में **1197.33** करोड़ रुपये था। वर्ष **1992-93** में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर **0.3** प्रतिशत रही जो लगभग नगण्य है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर **4.0** प्रतिशत रही। प्रदेश की धीमी विकास दर का मुख्य कारण प्रदेश में खाद्यान्न तथा फलों में कमी रही । खाद्यान्न उत्पादन वर्ष **1992-93** में **13.13** लाख टन रहा जबकि यह उत्पादन वर्ष **1991-92** में **13.44** लाख टन था, सेब का उत्पादन गिरकर वर्ष **1992-93** में **2.79** लाख टन हो गया जबकि यह वर्ष **1991-92** में **3.02** लाख टन था। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर ही निर्भर है । कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार-चढ़ाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है । वर्ष **1992-93** के दौरान भी कुल राज्य आय का लगभग **28** प्रतिशत कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है।

3.2 गत पांच वर्षों में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर नीचे सारणी में दर्शाई गई है:-

(प्रतिशत)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1.	2.	3.
1988-89	8.8	11.1
1989-90	10.3	6.0
1990-91	2.4	5.6
1991-92 (अस्थाई)	(-) 2.5	1.1
1992-93 (द्रुत)	0.3	4.0

प्रति व्यक्ति आय

3.3 राज्य आय के द्रुत अनुमानों के अनुसार **1992-93** में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय **5,743** रुपये है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय **6,249** रुपये है ।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

3.4 वर्ष **1992-93** में प्रदेश की राज्य में सबसे अधिक अनुदान प्राथमिक क्षेत्रों का था जो **36.83** प्रतिशत है । सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का **21.38** प्रतिशत, गौण क्षेत्रों का **21.96** प्रतिशत, वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान **10.06** तथा परिवहन संचार एवं व्यापार का **9.77** प्रतिशत रहा ।

3.5 इन मुख्य क्षेत्रों के अन्तर्गत सातवीं योजना की अवधि में हुए आर्थिक विकास का विवरण निम्न प्रकार से है:-

प्राथमिक क्षेत्र

3.6 प्राथमिक क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान वार्षिक विकास दर ह्रास **2.23** प्रतिशत रही पिछले वर्ष यह भी इस क्षेत्र में ह्रास **2.37** प्रतिशत की गिरावट आई थी । फल उत्पादन और खाद्यान्न तथा लघु वानिकी उत्पाद में हुई कमी इसका मुख्य कारण रहा ।

गौण क्षेत्र

3.7 इस क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वार्षिक विकास दर इस वर्ष **1992-93** में ह्रास **3.41** प्रतिशत रही ।

परिवहन संचार एवं व्यापार

3.8 वर्ष **1992-93** में इस क्षेत्र के अधीन विकास दर केवल **0.09** प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष यह दर **4.75** प्रतिशत थी ।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

3.9 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं । इस क्षेत्र की विकास दर लगभग **1.73** प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष यह **2.54** प्रतिशत थी

सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाएं

3.10 वर्ष **1992-93** में इस क्षेत्र की विकास दर **8.89** प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष ह्रास **1.41** प्रतिशत थी ।

4. कृषि

4.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है अतः यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है इससे प्रदेश में लगभग **69** प्रतिशत मुख्य श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होता है । राज्य के कुल घरेलू उत्पाद की लगभग **40** प्रतिशत आय कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्र में लेखांकित की जाती है। प्रदेश के कुल **55.67** लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से **10.15** लाख हैक्टेयर क्षेत्र **8.44** लाख किसानों द्वारा जोता जाता है । औसतन जोत **1.2** हैक्टेयर बनता है । वर्ष **1990-91** (अनन्तिम) की कृषि गणना के अनुसार जोतों का वितरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	कृषकों की श्रेणी	जोतों की संख्या (सैकड़ों में)	क्षेत्र ('00 हैक्टेयर में)	जोतों का औसतन आकार (हैक्टेयर)
1.	2.	3.	4.	5.
1.0 से कम	सीमान्त	5,380 (63.8)	2,180 (21.5)	0.4
1.0-2.0	लघु	1,680 (19.9)	2,285 (22.5)	1.4
2.0-4.0	अर्ध-मध्यम	961 (11.4)	2,611 (25.7)	2.7
4.0-10.0	मध्यम	366 (4.3)	2,069 (20.4)	5.7
10.0 व अधिक	बड़े	55 (0.6)	1,001 (9.9)	18.1
		8,442 (100.0)	10,146 (100.0)	1.2

4.2 प्रदेश की कृषि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है । सातवीं योजना से पहले किसानों को तकनीकी जानकारी देने के इलावा उन्नत बीज की किस्में, उर्वरक, पौध संरक्षण उपायों, उन्नत किस्म के कृषि औजारों का वितरण तथा कृषि भूमि पर भू तथा जल संरक्षण उपायों पर जोर दिया जाता रहा है ।

4.3 सातवीं योजना तथा वार्षिक योजना **1990-91 1991-92** व **1992-93** में समय पर निवेश आपूर्ति, सिंचाई के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाकर, जल संग्रह विकास, प्रदर्शन और प्रभावकारी उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी के द्वारा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के अतिरिक्त आलू, दालों तथा तिलहनों की पैदावार को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। **1992-93** के दौरान प्रगति समीक्षा नीचे दी गई है:-

खाद्यान्न उत्पादन:

4.4 वर्ष **1992-93** के दौरान खाद्यान्न उत्पादन **13.13** लाख टन हुआ । वर्ष **1993-94** के दौरान **15.00** लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है तथा वर्ष **1994-95** के दौरान **15.30** लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का प्रस्ताव है। पिछले पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

(लाख टनों में)

वर्ष	उत्पादन
1989-90	**13.68**
1990-91	**14.33**
1991-92	**13.44**
1992-93	**13.13**
1993-94 (लक्ष्य)	**15.00**

इस उत्पादन स्तर को प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है ।

(i) विशेष खाद्यान्न् उत्पादन कार्यक्रम:

4.5 प्रदेश में मक्की व धान की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से विशेष उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज, पौध संरक्षण सामग्री तथा कृषि उपकरण इत्यादि किसानों को उपदान मूल्यों पर वितरित किया गया । भारत सरकार की गेहूं की फसल के लिये भी ऐसी ही केन्द्रीय सहायता योजना की अनुमति के लिये सिफारिश की जा रही है ।

(ii) अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में:

4.6 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान व गेहूं के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में लाया गया क्षेत्र निम्न तालिका में दिया गया है:-

खाद्यान्न उत्पादन

'000 टन में

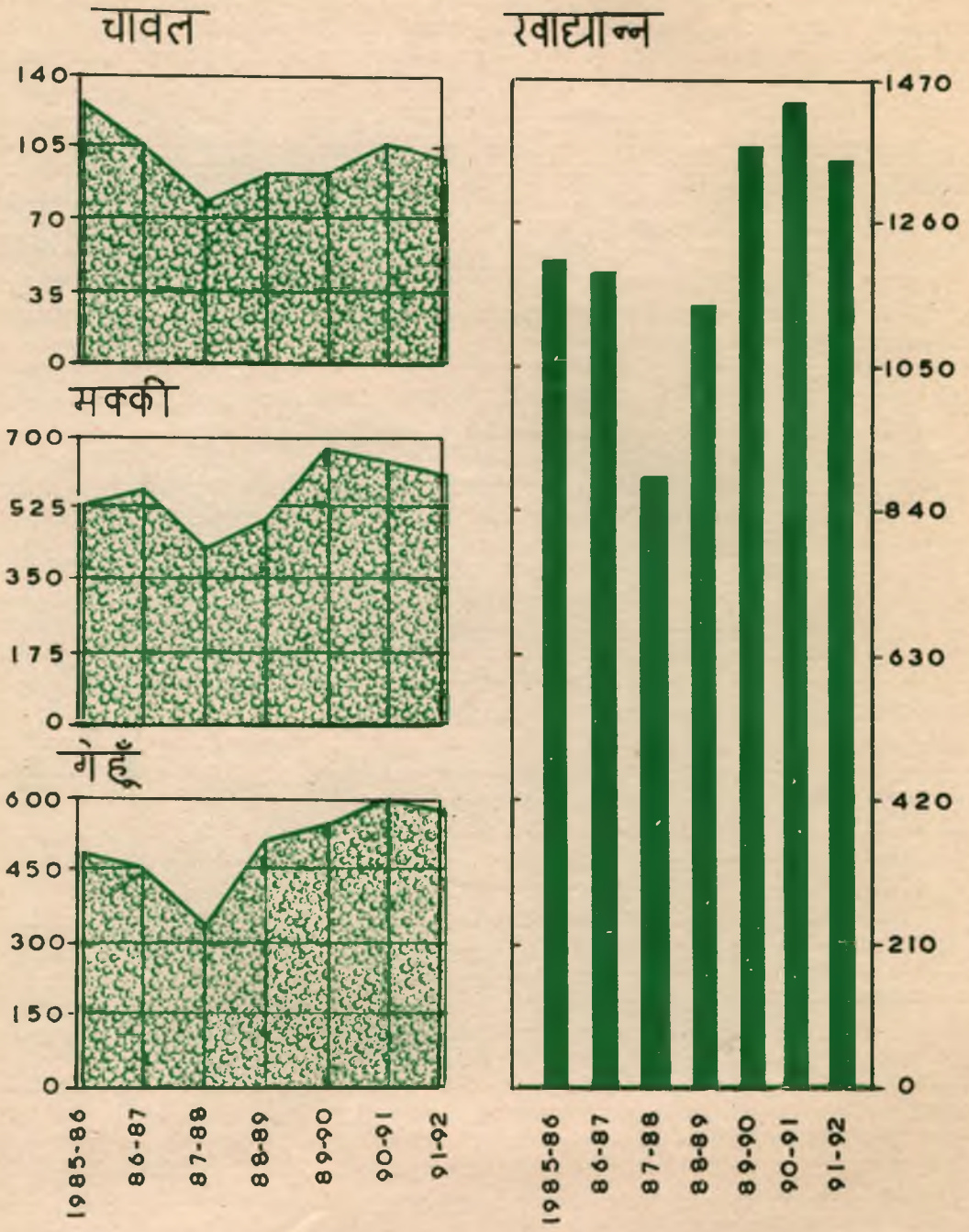

फसल का नाम	इकाई	अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र		लक्ष्य
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	2.	3.	4.	5.
मक्की	'000 हैक्टेयर	102.00	110.00	110.00
धान	"	93.00	93.00	88.50
गेहूं	"	360.00	365.00	360.00

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा चयनित आई. आर. डी. पी. में आने वाले किसानों को 50 प्रतिशत मूल्यों पर अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए गए ।

(iii) उर्वरक

4.7 रासायनिक खाद कृषि उत्पादन को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाती है । रासायनिक खाद को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कृषक वर्ग में इस खाद की मांग काफी बढ़ रही है। उर्वरकों की खपत का स्तर वर्ष 1985-86 में 23,664 टनों से बढ़कर 1989-90 में 32,711 टन हो गया है । आठवीं योजना के अन्त तक उर्वरकों की खपत का स्तर बढ़कर 50,000 टन होने की सम्भावना है । खाद की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने किसानों को यूरिया की कीमत पर 20.25 रुपये प्रति 50 किलो बैग पर उपदान स्वीकृत किया है । कैन, यूरिया तथा अमोनियम सलफेट के लिये परिवहन अनुदान भी दिया जा रहा है । वर्षवार उर्वरकों की खपत तथा पिछले दो वर्षों के लिये प्रस्तावित लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

मद	उर्वरक की पौष्टिक रूप में खपत (' 000 मि.ट.)		
	1992-93	1993-94 (संभावित)	1994-95 (लक्ष्य)
नाईट्रोजनस	24.5	29.6	31.0
फासफैटिक	3.7	5.8	6.0
पोटाशिक	2.4	4.6	5.0
योग	30.6	40.0	42.0

(iv) पौध संरक्षण

4.8 फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि फसलों को इनमें लगने वाली बिमारियों, कीट व कीट नाशकों से बचाया जाए । वर्ष **1993-94** में **4.35** लाख हैक्टेयर सम्भावित क्षेत्र विभिन्न पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है, जबकि वर्ष **1992-93** में **4.30** लाख हैक्टेयर क्षेत्र इन उपायों के अधीन लाया गया। वर्ष **1994-95** में **4.35** लाख हैक्टेयर को पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व चयनित आई.आर.डी.पी. परिवारों को पौध संरक्षक रसायन तथा उपकरण **50** प्रतिशत कीमतों पर उपलब्ध करवाए गए ।

(v) मिट्टी की जांच

4.9 मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए मिट्टी की निरन्तर जांच आवश्यक है । सोलन जिला को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाए स्थापित कर दी गई हैं । सोलन जिले से एकत्रित मिट्टी के नमूनों की जांच प्रयोगशाला शिमला द्वारा की जा रही है। वर्ष **1992-93** में लगभग **65,000** मिट्टी के नमूनों की विभिन्न प्रयोगशालाओं में विश्लेषण करने के लिये एकत्रित किये गए हैं। वर्ष **1993-94** के दौरान **66,000** मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है ।

वाणिज्य फसलें

(i) आलू

4.10 आलू हमारे प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिस पर विशेषत: जिला शिमला तथा लाहौल-स्पिति के कृषकों की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है । वर्ष **1992-93** में **1.30** लाख टन आलू का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष **1993-94** में **1.40** लाख टन आलू का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ii) सब्जियां

4.11 प्रदेश का विशेष जलवायु बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए अनुकूल है इन सब्जियों को उगाने के लिए कृषकों को तकनीकी सहायता तथा आवश्यक आदान समय पर उपलब्ध करवाए जाते हैं । वर्ष **1993-94** में **3.85** लाख टन सब्जियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जबकि वर्ष **1992-93** में **3.74** लाख टन सब्जियों का उत्पादन हुआ ।

बीज प्रमाणीकरण

4.12 बीजों की गुणवता को बनाए रखने तथा उत्पादकों को उनकी उपज के अच्छे दाम दिलवाने की सुनिश्चतता बनाए रखने के लिए और बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम पर बल दिया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में उत्पादकों को उनके बीज उत्पादन तथा उनकी उपज प्रमाणीकरण

के लिए 'हिमाचल प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था' ने अधिक संख्या में उत्पादकों को पंजीकृत किया।

बायो-गैस विकास कार्यक्रम

4.13 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को बायो-गैस संयत्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपदान दिया जाता है । प्रदेश ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति की है। वर्ष **1992-93** में दिसम्बर, **1993** तक **3,401** बायो-गैस संयत्र लगाए गए । इस प्रकार इस कार्यक्रम के आरम्भ से अब तक कुल **31,421** बायो-गैस संयत्र लगाए जा चुके हैं। वर्ष **1993-94** में **3,400** बायो-गैस संयत्र लगाने का प्रस्ताव है।

4.14 प्रदेश में तिलहनों व दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों की छोटी-2 थैलियां प्रदर्शनों के उद्देश्य से किसानों को मुफ्त वितरित की गई । इसके अतिरिक्त बीजों की छोटी-2 थैलियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व चयनित आई.आर.डी.पी. परिवारों से सम्बन्धित किसानों को **50** प्रतिशत मूल्यों पर उपलब्ध करवाए गए। उपदानों के अतिरिक्त जैसे उन्नत बीज, पौध संरक्षण, रासायन व उपकरण तथा उन्नत कृषि औजार किसानों को **50** प्रतिशत मूल्यों पर उपलब्ध करवाए गए ।

भू-संरक्षण

4.15 कृषि क्षेत्रों में भू-संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को **50** प्रतिशत का अनुदान देती है तथा वर्ष **1993-94** में **1,650** हैक्टेयर क्षेत्र को ऐसे उपायों के अधीन लाने का प्रस्ताव है ।

उद्यान

4.16 हिमाचल प्रदेश में विभिन्न फल/फसलों को उपजाने के लिए यहां की जलवायु तथा वनस्पति स्त्रोत बहुत उचित है । अधिक उत्पादन तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादक से अधिक आय होने के फलस्वरूप प्रदेश में उद्यान ग्रामीण लोगों की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है । सेब का उत्पादन अभी भी फल उत्पादन में मुख्य स्थान रखता है । साथ ही साथ अन्य फसलें भी जैसे नींबू प्रजाति के फल, आम, गुठलीदार फल आदि का उत्पादन धीरे-2 बढ़ता जा रहा है । वर्ष **1993-94** में उद्यान क्षेत्र में हुई मुख्य उपलब्धियों का उल्लेख निम्नलिखित है:-

फलों के अधीन क्षेत्र

4.17 वर्ष **1993-94** में फल पौधों के अन्तर्गत **7,000** हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य था । दिसम्बर,**1993** के अन्त तक लगभग **2,366** हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल फल पौधों के अन्तर्गत लाया जा चुका है तथा **4.69** लाख फल पौधों का वितरण किया गया । प्रदेश में दिसम्बर,**1993** तथा जनवरी,**1994** माह में लम्बे समय तक सूखा रहने की स्थिति से सर्द ऋतु के फल पौधों में

पौध रोपण कार्य में विलम्ब हुआ । परन्तु यदि आगामी महीनों में अच्छी वर्षा व बर्फ पड़ी तो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति वर्ष के अन्त तक होने की सम्भावना है ।

फलोत्पादन

4.18 वर्ष **1989-90** के दौरान **4.60** लाख टन फलों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है । वर्ष **1993-94** में सभी प्रकार के फलों के उत्पादन की क्षमता **5.59** लाख टन है, जबकि दिसम्बर,**1993** तक प्रदेश में **3.23** लाख टन फलों का उत्पादन हो चुका है तथा वर्ष **1993-94** के दौरान **3.35** लाख टन कुल फल उत्पादन होने की संम्भावना है । मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण फलों की फसलों को क्षति हुई जिसके फलस्वरूप फलोत्पादन में कमी आई ।

जंगली फल पौधों का उत्तम किस्मों में सुधार

4.19 जंगली फल पौधे इस प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं जिन्हें शीर्ष कलमबन्दी द्वारा उत्तम किस्मों में बदल कर उनसे अधिक लाभ उठाया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष **1993-94** में दिसम्बर,**1993** तक **5.00** लाख फल पौधों के लक्ष्य की तुलना में **0.93** लाख पौधों की कलमबन्दी की जा चुकी है, क्योंकि सामान्यतया शीर्ष कलमबन्दी का कार्य बसन्त ऋतु में किया जाता है अतः चालू वर्ष के अन्त तक लक्ष्य प्राप्त करने की सम्भावना है ।

पौध संरक्षण

4.20 वर्ष **1993-94** में **1.55** लाख हैक्टेयर बागवानी क्षेत्र पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर,**1993** तक **0.56** लाख हैक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत लाया गया जिसके वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है, क्योंकि पौध संरक्षण कार्य भी शीत व बसन्त ऋतु के दौरान ही किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त स्कैब के रोग की रोकथाम के अन्तर्गत **0.48** लाख हैक्टेयर लाने के लक्ष्य की तुलना में वर्ष **1993-94** में **0.32** लाख हैक्टेयर में स्कैब रोधक दवाइयों का छिड़काव किया गया । बागवानों को फल पौधों पर कीटों एवं बिमारियों की रोकथाम के लिये माह दिसम्बर,**1993** तक **2.05** करोड़ रुपये की **109** मिट्रिक टन कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाईयों का वितरण किया गया ।

उद्यान उद्योग में विविधता लाना

4.21 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक महत्वता वाली नई फल फसलों जैसे जैतून अंजीर, हॉप्स, कीवी फल तथा स्ट्राबैरी इत्यादि के उत्पादन हेतु विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं । वर्ष **1993** में वर्षा ऋतु में लगभग **2,607** जैतून के पौधों एवं **45,000** स्ट्राबैरी की कलमों का उत्पादन तथा वितरण किया गया तथा **4,500** अनार व **13,000** आंवले की नई किस्मों के पौधों का प्रदेश के बाहर से आयात किया गया तथा बागवानों को बगीचों में लगाने हेतु वितरण किया गया ।

फल उत्पादन

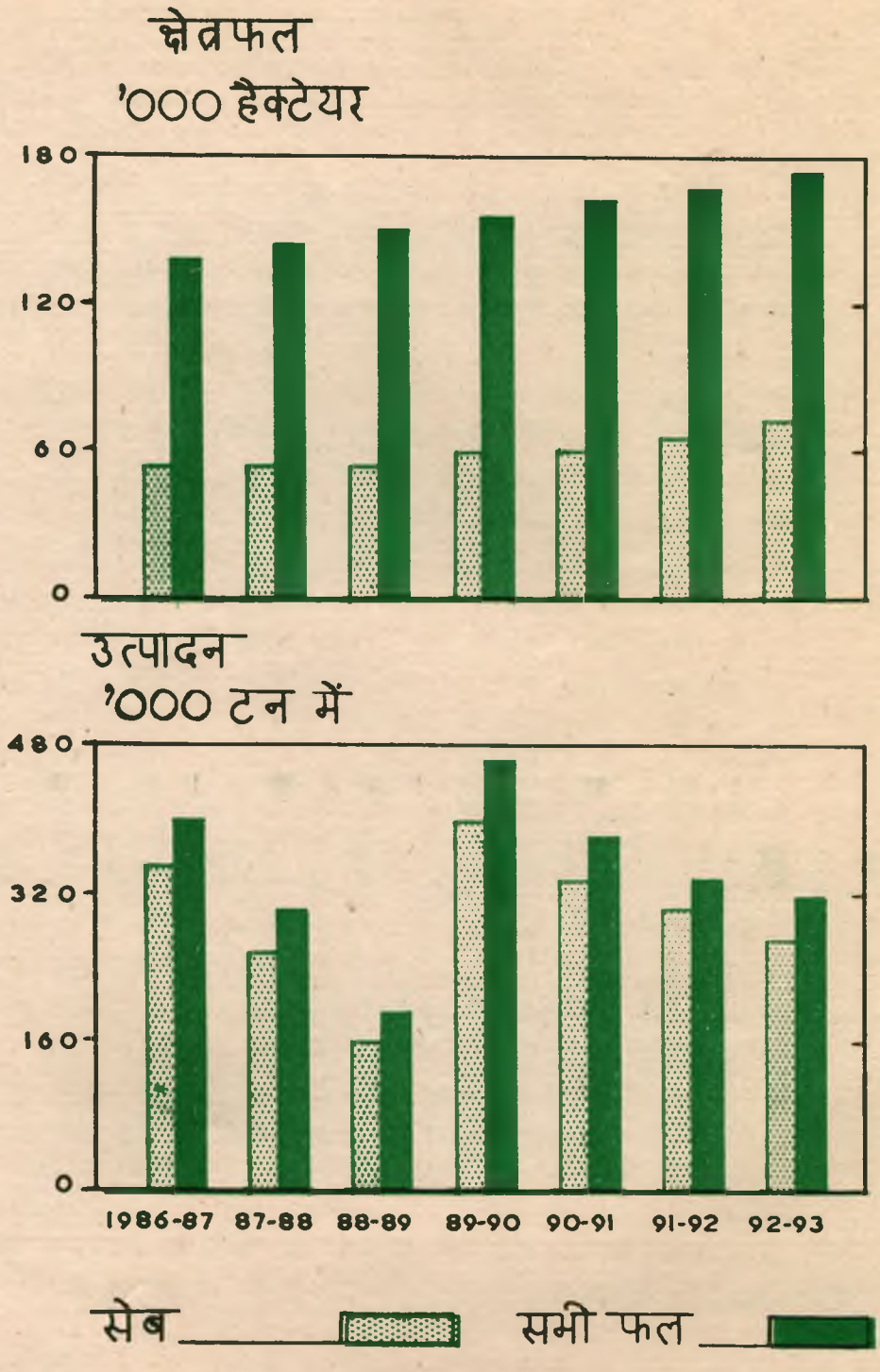
क्षेत्रफल
'000 हैक्टेयर
180
120
60
0
उत्पादन
'000 टन में
480
320
160
0
1986-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
सेब
सभी फल

वर्ष 1993-94 में प्रदेश में 30 हैक्टेयर क्षेत्रफल हाप्स उत्पादन के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1993 तक 25 हैक्टेयर क्षेत्र हाप्स उत्पादन के अन्तर्गत लाया गया तथा 45 मिट्रिक टन शुष्क हाप्स का रिकार्ड उत्पादन हुआ । वर्ष 1993 में एक 3.5 मिट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले हाप्स के सुखाने एवं विधायन संयंत्र की स्थापना की गई तथा दो 6 मिट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले अन्य संयन्त्र निर्माणाधीन हैं जो अगस्त, 1994 तक कार्य आरम्भ करना शुरू कर देंगें । इस प्रकार प्रदेश में हाप्स की सुखाई एवं विधायन की 13 मिट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता को 25 मिट्रिक टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जाएगा। जोकि 600 मिट्रिक टन हरे हाप्स के सुखाने एवं विधायन हेतु 80 प्रतिशत क्षमता होगी ।

सहयोगी औद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देना

4.22 फल फसलों में विविधता लाने के अतिरिक्त सहयोगी औद्यानिकी गतिविधियों जैसे खुम्ब उत्पादन, मौन पालन तथा पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देकर भी उद्यान उद्योग में विविधता लाई जा रही है । वर्ष 1993-94 में 1000 मिट्रिक टन पास्चूराईजड कम्पोस्ट तैयार करने के लक्ष्य के प्रति माह दिसम्बर, 1993 तक चम्बाघाट तथा पालमपुर स्थित विभागीय दो खुम्ब विकास परियोजनाओं में 286 मिट्रिक टन पास्चूराईजड कम्पोस्ट तैयार की गई तथा खुम्ब उत्पादकों में वितरित की गई । वर्ष 1993-94 में 600 मिट्रिक टन खुम्ब उत्पादन लक्ष्य के प्रति दिसम्बर, 1993 तक 476 मिट्रिक टन खुम्ब उत्पादन हुआ । मौन पालन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में 800 मौनवंश वितरण के लक्ष्य की तुलना में 144 मौनवंश वितरित किए गए तथा 170 मिट्रिक टन शहद उत्पादन के लक्ष्य में से दिसम्बर, 1993 तक 107.56 मिट्रिक टन शहद उत्पादन हुआ । प्रदेश में बेमौसमी पुष्प उत्पादन की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है । प्रदेश में वर्ष 1993-94 में 15 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प उत्पादन के अन्तर्गत लाने के विरुद्ध दिसम्बर, 1993 के अन्त तक 10 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प उत्पादन के अन्तर्गत लाया गया तथा 2.50 लाख पुष्प बल्ब तथा 4.00 किलोग्राम पुष्प बीज पुष्प उत्पादकों में वितरित किये गये ।

फलों का विपणन एवं विधायन

4.23 फल उत्पादकों को फल विपणन के लिए वर्ष 1993-94 में सभी प्रकार की सेवायें तथा सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाई गई । वर्ष 1993-94 के दौरान प्रदेश से दिसम्बर, 1993 तक लगभग 2.85 लाख टन फलों का निर्यात किया गया । सरकार द्वारा स्थापित कार्टन फैक्टरी में दिसम्बर, 1993 तक 10 लाख टैलीस्कोपी कार्टन का निर्माण किया गया तथा बागवानों में बांटा गया । पेटियां बनाने के लिए जंगलों पर आश्रित न होने तथा लकड़ी की पेटियों के लिए वैकल्प सुझाने की दृष्टि से प्रदेश में फल उत्पादकों को उनके उत्पाद की पैकिंग हेतु भी.

एफ. बी कार्टन प्लास्टिक क्रेट तथा सफेदे की लकड़ी के बाक्स इत्यादि के लिये निम्न प्रकार से उपदान प्रदान कर रही है ।

क्रम सं.	जिले का नाम	विवरण	अनुदान दर	अधिकतम सीमा प्रति इकाई रु.
1.	2.	3.	4.	5.
1. लकड़ी के लट्ठों/लकड़ी की पैकिंग पेटियों पर परिवहन अनुदान				
(i)	सोलन तथा सिरमौर	(अ) 20 कि.ग्रा. लकड़ी का डिब्बा	0.50 प्रति डिब्बा	500
		(ब) लकड़ी के लट्ठे	5.00 प्रति क्विंटल	500
(ii)	शिमला, मण्डी और किन्नौर	(अ) 20 कि.ग्रा. लकड़ी का डिब्बा	1.00 प्रति डिब्बा	1,000
		(ब) लकड़ी के लट्ठे	10.00 प्रति क्विंटल	1,000
2. कार्टन पर उपदान		(अ) 10 कि.ग्रा. क्षमता का कुल्लू कार्टन	5.00 प्रति डिब्बा	3,000
		(ब) टैलिस्कापिक कार्टन	10.00 से 12.00 डिब्बा	1,500

4.24 उद्यान विभाग द्वारा **883** फल उत्पादकों को फलों के वर्गीकरण तथा पेटियों में पैक करने की जानकारी हेतू प्रशिक्षण दिया गया तथा **11,885** पेटियों में प्रदर्शन के रूप में पैकिंग की गई । उद्यान विभाग की फल विधायन इकाइयों द्वारा **250** मिट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर **1993** तक **160** मिट्रिक टन फल पदार्थ तैयार किए गये तथा सामुहिक फल विधायन सेवा के अन्तर्गत **34.4** मिट्रिक टन फल पदार्थ तैयार किए । इसके अतिरिक्त **2,093** व्यक्तियों को घरेलू स्तर

पर फल विपाचन कार्य में प्रशिक्षण दिया । इसके अतिरिक्त एच.पी.एम.सी. द्वारा 500 टन सेब रस कन्सनट्रेट निर्यात किया गया । फल उत्पादकों को उनके उत्पाद का सही मूल्य सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है तथा इस वर्ष नीम्बू प्रजातीय फलों किन्नू, माल्टा, संतरा तथा लोकाट फल हेतु मंडी मध्यस्थता योजना शुरू की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	फल/किस्म का नाम	ग्रेड	समर्थन मूल्य (प्रति कि.ग्रा. (रुपये)
1.	किन्नू, माल्टा तथा संतरा	ए	3.50
		बी	3.00
		सी	2.50
2.	गलगल	-	1.20

4.25 इस वर्ष उपरोक्त फलों के क्रय हेतु प्रदेश में 12 क्रय केन्द्र खोले गए । फलों का क्रय एच. पी. एम. सी. तथा नैफैड/हिमफैड द्वारा किया जा रहा है ।

गुणवता निष्पादन

4.26 विभिन्न फल फसलों की सुधरी हुई उन्नत किस्मों एवं नई तकनीक का आयात करके फल उत्पादन में गुणवता सुधार के अतिरिक्त बागवानों में गुणवता उत्पादन में जागरूकता लाई जा रही है । प्रदेश ने 28 व 29 सितम्बर, 1993 को भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा मद्रास में आयोजित 'आल इण्डिया एप्पल शो' में 80 प्रतिशत से अधिक इनाम तथा चैलेन्ज शिल्डज जीत कर देश में गुणवता फल उत्पादन में ख्याति प्राप्त की है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में नीम्बू प्रजातीय फलों के लिये एक उत्तम बागवान प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है ।

नई तकनीक द्वारा उत्पादकता बढ़ाना

4.27 बगीचों में उपलब्ध पानी स्त्रोत के सही उपयोग हेतु ड्रीप सिंचाई पद्धति जैसा आधुनिक तकनीक तथा फलों, सब्जियों व पुष्पों का बेमौसम तथा संरक्षणात्मक ढंग से गुणवता उत्पादन करने हेतु ग्रीन हाऊस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा इन नई तकनीक को अपनाने हेतु किसानों को सामग्री क्रय करने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है । औद्यानिकी में फल उत्पादन तथा फसलोत्तर प्रबन्ध हेतु एक उच्च तकनीकी परियोजना का प्रारूप तैयार करके फ्रांस सरकार की सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

सिंचाई

4.28 हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55.7 लाख हैक्टेयर है । इसका बहुत बड़ा भाग निरन्तर बर्फ से ढका हुआ या वनों के अधीन तथा बंजर ढलानों का क्षेत्र है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में केवल 5.83 लाख हैक्टयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है । राज्य में लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का अनुमान है जिसमें से 50,000 हैक्टेयर भूमि को मुख्य तथा मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचित किया गया । सिंचाई परियोजनाओं को तीन भागों में जैसे मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई में बांटा गया है। जो 10,000 हैक्टेयर या अधिक बोया गया क्षेत्र हो वह मुख्य सिंचाई, 2,000 हैक्टेयर से अधिक व 10,000 हैक्टेयर से कम क्षेत्र को मध्यम सिंचाई तथा 2,000 हैक्टेयर व उससे कम क्षेत्र को लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत लाया गया । लघु सिंचाई परियोजनाओं में धरती के ऊपर तथा धरती के नीचे जल स्त्रोतों को शामिल किया गया है ।

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजना

4.29 मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 की अवधि में 233.86 लाख रुपए की लागत भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । वर्ष 1993-94 में 269.00 लाख रुपए का प्रावधान है जिससे 210 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रों सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी । नवम्बर,1993 के अन्त तक 118.95 लाख रुपये 145 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये व्यय किए गए ।

लघु सिंचांई परियोजनाएं

4.30 वर्ष 1992-93 में 1733.85 लाख रुपये सिंचाई सुविधाओं को 1,643 हैक्टेयर क्षेत्र में उपलबध करवाने हेतु प्रावधान रखा गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 1992-93 में यू. एस. एड परियोजना के अन्तर्गत 797 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये 224.00 लाख रुपये व्यय किए गए । वर्ष 1993-94 में 1790.00 लाख रुपये राज्य क्षेत्र में प्रावधान रखा गया है ताकि 1,400 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधाओं को दिया जा सके। इसके अन्तर्गत नवम्बर, 1993 तक 1,122 हैक्टेयर भूमि आ चुकी है ।

जल वितरण क्षेत्र

4.31 प्रदेश सरकार सिंचाई क्षेत्र में उपयोगिता तथा सिंचाई मात्र: शक्ति में बढ़ौतरी के बीच अन्तर के प्रति सचेत है । ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जा सके जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ सके । जहां तक प्रदेश में अपने वित्तीय साधनों से चलाई गई योजनाओं का सम्बन्ध है कमान क्षेत्र विकास कार्य केवल उन

योजनाओं पर किया जा रहा है जो कि पहले ही पूरी की जा चुकी है। गिरी योजना, बल्ह घाटी व भभौर साहिब फेज–I के जल वितरण क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया। वर्ष 1993–94 के दौरान 125.00 लाख रुपए, जिसमें 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सहायता का है, 649 हैक्टेयर भूमि में फिल्ड चैनल तथा 1,123 हैक्टेयर भूमि में वाराबन्दी के लिए रखे गए हैं। नवम्बर, 1993 तक 411 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल बनाए गए तथा 1,145 हैक्टेयर क्षेत्र में वाराबन्दी की जा चुकी है।

बाढ़ नियंत्रण

4.32 वर्ष 1992–93 में 364 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 1993–94 में बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 115.00 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है जिससे 360 हैक्टेयर भूमि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अन्तर्गत लानी है। इसके तहत नवम्बर, 1993 तक 223 हैक्टेयर भूमि लाई जा चुकी है।

कृषि गणना

4.33 वर्ष 1990–91 की कृषि गणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 8.44 लाख जोतें थीं जो कि वर्ष 1985–86 पर 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। इन जोतों का कुल क्षेत्र 1990–91 में 10.15 लाख था। इसके परिणाम स्वरूप औसत जोत वर्ष 1990–91 में 1.20 हैक्टेयर रह गई। वर्ष 1990–91 में सीमान्त जोतों (1.0 हैक्टेयर) की संख्या 5.38 लाख हो गई जब कि वर्ष 1985–86 में 4.63 लाख थी जबकि लघु जोतें (1.0 से 2.0 हैक्टेयर) वर्ष 1985–86 में 1.55 लाख थी, वर्ष 1990–91 में बढ़कर 1.68 लाख हो गई। 0.5 हैक्टेयर तक की जोतें जो 1985–86 में 2.96 लाख थी वर्ष 1990–91 में बढ़कर 3.37 लाख हो गयी। और 0.5 से 1.0 हैक्टेयर तक की जोतें जो वर्ष 1985–86 में 1.67 लाख थीं 1990–91 में बढ़कर 1.84 लाख हो गई। लघु जोतों की तुलना में 10.0 हैक्टेयर व उससे अधिक जोतों की संख्या जो वर्ष 1985–86 में 5,643 थी वर्ष 1990–91 में घटकर 5,528 रह गई। सीमान्त व लघु जोतों (2.0 हैक्टेयर और उससे कम की जोतें) के सम्बन्ध में यह प्रतिशतता जो वर्ष 1985–86 में 82.2 थी 1990–91 में बढ़कर 83.6 हो गई और उनके अधीन क्षेत्र की प्रतिशतता जो वर्ष 1985–86 में 43.2 थी बढ़कर 1990–91 में 44.0 हो गई। इसके विपरीत 10.0 हैक्टेयर व इससे अधिक बड़ी जोतों की प्रतिशतता जो वर्ष 1985–86 में 0.7 थी वर्ष 1990–91 में घटकर 0.6 रह गई। इसके अतिरिक्त 1990–91 की कृषि गणना के अनुसार 8.44 लाख जोतों में से 1.89 लाख व 0.34 लाख जोतें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की थी जोकि कुल जोतों का 22.4 प्रतिशत व 4.0

प्रतिशत है । जहां तक उनका क्षेत्र में हिस्से का सम्बन्ध है वह **1.38** लाख हैक्टेयर अनुसूचित जाति व **0.40** लाख हैक्टेयर अनुसूचित जनजाति का है जो कि कुल **10.15** लाख हैक्टेयर क्षेत्र का **13.6** प्रतिशत व **3.9** प्रतिशत है । यदि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों की जोतों व क्षेत्र में प्रतिशतता की जाए तो वह **26.4** प्रतिशत व **17.5** प्रतिशत होती है ।

भूमि सुधार

4.34 भूमि सम्बन्धी तरीकों में सुधार नीति प्रदेश में वर्ष **1993-94** में भी लागू रही। इस नीति के अन्तर्गत, (क) काश्तकार किसानों को भूमि का स्वामित्व दिलाना, (ख) भूमि जोतों में भिन्नता को कम करना, (ग) भू-एकत्रीकरण द्वारा जोतों के विभाजन को रोकना, (घ) भूमि रिकार्डज को बन्दोबस्त कार्यवाही द्वारा संशोधित करना और (ड.) परती भूमि/शामलात भूमि को भूमिहीनों और पात्र व्यक्तियों में आंवटन करना ।

स्वामित्व के अधिकार देना

4.35 हिमाचल प्रदेश काशतकार एवं भूमि सुधार अधिनियम-**1972** के **10**वें अध्याय के तहत गैर स्वामित्व काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है। धर्मशाला मण्डल में **2,35,472** गैर स्वामित्व काश्तकार थे जिनमें से **2,16,514** को स्वामित्व के अधिकार दिए जा चुके हैं । शेष **18,958** काश्तकार ऐसे हैं जो भू-स्वामी संरक्षण वर्ग में आते हैं जैसे कि बच्चे, विधवा, सैनिक, अपंग व्यक्ति आदि । इसी प्रकार मण्डी मण्डल में **1,07,107** गैर स्वामित्व काश्तकार थे जिनमें से **95,155** गैर स्वामित्व काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिए जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त शिमला मण्डल में गैर स्वामित्व काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार देने का कार्य पूरा हो चुका है तथा भू-स्वामी संरक्षण वर्ग में आने वाले काश्तकारों को ये अधिकार नहीं दिए गए ।

हि. प्र. ग्रामीण शामलात एक्ट, 1974

4.36 धारा 3 के अन्तर्गत गांवों की कुल शामलात भूमि सरकार में निहित हुई है जिसे भूमिहीनों तथा पात्र व्यक्तियों को आवंटन हेतु प्रयोग किया जा रहा है । धर्मशाला मण्डल में **31.12.1993** तक कुल **2,248** भूमिहीनों तथा **584** गृहहीन व्यक्तियों को जो **1981** व **1983** के सर्वेक्षण में चुने गये थे कृषि तथ गृह निर्माण हेतु भूमि का आवटन किया जा चुका है । शेष चुने हुये व्यक्तियों को कृषि योग्य तथा गृह निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि नहीं दी जा सकी है । मण्डी मण्डल में भूमिहीनों तथा पात्र व्यक्तियों को भूमि देने का कार्य प्रगति पर रहा । शिमला मण्डल में कुल शामलात भूमि को भूमिहीनों तथा पात्र व्यक्तियों में सार्वजनिक उद्देश्य के लिये वितरित की गई। सभी भूमिहीनों तथा पात्र व्यक्तियों को भूमि दी गई जो **1981** व

1983 के सर्वेक्षण में चुने गये थे ।

किसान पास बुकों का वितरण

4.37 किसान पास बुकों के वितरण का कार्य 1993-94 में जारी रहा । मण्डी मण्डल में नवम्बर,1993 तक 7,421 किसान पास बुक तैयार की गई जबकि धर्मशाला मण्डल में 31.12.1993 तक 13,682 किसान पास बुक वितरित की गई।

भूमि एकीकरण

4.38 पुराने सर्वेक्षण के अनुसार कुल 49 लाख एकड़ भूमि भू-एकत्रीकरण के योग्य है इसमें से मार्च,1993 तक 19.91 लाख एकड़ भूमि एकत्रित की जा चुकी है । भू-एकत्रीकरण कार्य कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर तथा मण्डी जिलों में प्रगति पर है । वर्ष 1993-94 में नवम्बर,1993 तक 5,746 एकड़ भूमि में यह कार्य पूर्ण हुआ जबकि वर्ष का लक्ष्य 77,250 एकड़ भूमि है । वर्ष 1994-95 का लक्ष्य भी 77,250 एकड़ रखा गया है ।

पशुपालन

4.39 प्रदेश में पशुपालन के विकास कार्यक्रम में (1) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, (2) गौजातीय पशु विकास, (3) भेड़ प्रजनन एवं ऊन का विकास, (4) कुक्कुट विकास, (5) पशु आहार तथा चारा विकास, और (6) पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा सम्मिलित है। इन क्षेत्रों की 1993-94 की सम्भावित उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

पशु स्वास्थ्य और रोग नियन्त्रण केन्द्र

4.40 इस समय राज्य में 230 पशु चिकित्सालय, 514 औषधालय तथा 89 वाह्य औषधालय हैं जो पशु चिकित्सा और छूत के रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाते हैं । इसके अतिरिक्त प्रदेश में 14 चलते-फिरते औषधालय भी कार्य कर रहे है जो कि महामारी को फैलने से रोकने के अतिरिक्त पशु चिकित्सा सुविधा शीघ्र पहुंचाते है । प्रदेश में 14 क्लीनिक प्रयोगशालाए कार्य कर रही हैं जिनसे पशुओं के विभिन्न रोग लक्षणों की तुरन्त जांच की जाती है । राज्य मुख्यालय में एक सर्वेक्षण इकाई कार्य कर रही है । जिसके द्वारा पशुओं के रोग की जांच व रोगों का नियन्त्रण किया जाता है । वर्ष 1993-94 में पशु महामारी (रिंडरपैस्ट) जो छूत की बिमारी है कि रोकथाम के लिए 4 चैक पोस्ट पंडोगा तथा मांदली जिला ऊना में स्वारघाट जिला बिलासपुर में तथा मिलवां जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं । इनके द्वारा, वर्ष 1993-94 में, 70,000 आने जाने वाले पशुओं को टीके लगाने का अनुमान है ।

4.41 वर्ष 1993-94 में पशु चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है ।

क्रम संख्या	मद	1993-94 की सम्भावित उपलब्धियां ('000)
1.	छूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग व बाह्य रोगी)	20.00
2.	अछूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग व बाह्य रोगी)	1,604.00
3.	रोग ग्रस्त पशुओं को दवाई दी गई जो कि चिकित्सालय, औषधालय आदि में नहीं लाए गए	88.00
4.	टीके लगाए गए	280.00
5.	बधियाकरण किया	85.00
6.	परिभ्रमण में दी गई चिकित्सा सुविधा:	
	(क) छूत	20.00
	(ख) अछूत	308.00
7.	परिभ्रमण बधियाकरण	112.00
8.	परिभ्रमण में लगाए गए टीके	620.00

गोजातीय विकास

4.42 गायों में जर्सी नसल सब नसलों से उत्तम मानी गई है। इससे प्रदेश में नसल सुधार के लिए जर्सी प्रजनन पर विशेष बल दिया जा रहा है। गायों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है। जहां आवागमन के साधन सुगम नहीं हैं वहां जर्सी नसल के बैलों से गायों में प्राकृतिक गर्भाधान का कार्य किया जाता है। भैंसों की नसल का सुधार मुरहा प्रजाति की नसल से किया जा रहा है। भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किन्नौर, कुल्लू तथा लाहौल-स्पिति जिलों को छोड़ शेष सभी जिलों में किया जा रहा है।

(क) ग्राम सम्वर्धन योजना:- इस योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम सम्वर्धन ब्लाक तथा 50 ग्राम सम्वर्धन केन्द्रों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर, तथा ऊना जिलों में कार्यरत है।

(ख) पहाड़ी पशु विकास कार्यक्रम:- यह कार्यक्रम शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू तथा चम्बा जिलों में चलाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 33 केन्द्रों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा प्रदान की जा रही है

(ग) सघन गोजातीय विकास परियोजना:- गोजातीय विकास के लिए घणाहट्टी में एक 'सघन गोजातीय

विकास परियोजना' कृत्रिम गर्भाधान कार्यकृताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह परियोजना घणाहट्टी में स्थित वीर्य बैंक से शिमला जिले की शिमला व सुनी तहसील में तथा सोलन जिले की अर्की तहसील में 22 केन्द्रों/उप केन्द्रों में चलाई जा रही है ।

(घ) चिकित्सालयों/औषधालयों तथा सांड केन्द्रों द्वारा प्रजनन सुविधाएं:- प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 507 चिकित्सालयों/औषधालयों द्वारा दोगली जाति के प्रजनन व कृत्रिम गर्भाधान द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । जहां पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध न हों ।

(ङ.) कृत्रिम गर्भाधान:- उन क्षेत्रों में जहां चिकित्सालयों तथा औषधालयों की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं वहां 49 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा प्रजनन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

4.43 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है:-

क्रम सं.	मद	वर्ष 1993-94 की सम्भावित उपलब्धियां	
		गाय	भैंसे
1.	कृत्रिम गर्भाधान	2,39,000	40,000
2.	प्राकृतिक गर्भाधान	4,000	1,100
3.	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े	95,000	11,000
4.	प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े	300	200

4.44 प्रदेश में शुद्ध व अच्छी नस्ल के सांडों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5 क्रास प्रजनन फार्म कमान्द, मगरोट् (मण्डी) कोठीपुरा (बिलासपुर) पालमपुर (कांगड़ा) तथा बागवन (सिरमौर) में कार्यरत है । तीन वीर्य कोष जिसमें एक गहरी जमी हुई प्रयोगशाला तथा 6 तरल नाईट्रोजन संयत्र हैं, राज्य में सांडों का जमा हुआ वीर्य विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में आपूर्ति कर रहे है। इन कार्यक्रमों को लागू करने से वर्ष 1993-94 में 635 हजार टन दूध के उत्पादन की सम्भावना है। इस वर्ष 3.60 लाख गाय व 50,000 भैंसों के स्ट्रा तथा इसके अतिरिक्त 1,60,000 लिटर तरल नाईट्रोजन का उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न 900 सुधरी नस्ल के बछड़ों/बछड़ियों को विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम के तहत कम दरों पर पशु

आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है ।

भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास

4.45 भेड़ों तथा ऊन में सुधार लाने के लिए सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरौल (चम्बा) नगवाईं (मण्डी) ताल (हमीरपुर) और कड़छम (किन्नौर) राज्य में किसानों को उन्नत भेड़ें देते हैं । इन फार्मों में **2,350** भेड़ें थी । वर्ष **1993-94** में लगभग **800** उन्नत भेड़ें किसानों को वितरित की जाने की संभावना है । भेड़ों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए तथा सोवियत मैरीनों और अमरिकन रैमबुलेट की ख्याति को देखते हुए सरकार ने वर्तमान सरकारी फार्मों पर प्रजनन कार्य शुरू कर दिया है । पांच भेड़ प्रजनन केन्द्र कोठी कोहार (कांगड़ा) स्वाड़ (मण्डी) बागीपुल (कुल्लू) डोडरा क्वार (शिमला) तथा चूरी (चम्बा) में कार्यरत हैं । भेड़ों के विकास के लिए विशेष पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को कम दरों पर ऋण प्रदान करने की परियोजना सिरमौर जिला में चलाई जा रही है । इसके अतिरिक्त सघन भेड़ विकास कार्यक्रम जो चम्बा जिले की भरमौर, चम्बा व भटियात तहसीलों में लागू है के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें दी जाती हैं तथा डिपिंग व ड्रैंचिंग की सुविधाओं के साथ चरागाहें उन्नत की जाती हैं । भेड़ों की ड्रैंचिंग तथा भेड़ पालकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया गया है । वर्ष **1993-94** में **15.30** लाख किलोग्राम ऊन उत्पादन की संभावना है । अंगोरा खरगोश पालकों को अंगोरा खरगोश के वितरण में पालमपुर (कांगड़ा) तथा नगवांई (मण्डी) फार्म कार्यरत हैं ।

कुक्कुट विकास

4.46 सुधरी किस्म के कुक्कुट पक्षी वितरित करने तथा अण्डों से बच्चे निकालने के लिए प्रदेश में **14** कुक्कुट फार्म कार्यरत हैं । वर्ष **1993-94** में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की संभावना है:-

क्रम	मद	वर्ष **1993-94** की सम्भावित उपलब्धियां
1.	सरकारी फार्मों पर अण्डे देने वाली मुर्गियों की औसत संख्या	4,171
2.	अण्डों का उत्पादन	8,38,764
3.	चूजों का उत्पादन	2,81,431
4.	चूजे निकालने के लिए रखे गए अण्डे	3,34,312
5.	खाने के लिए अण्डों का विक्रय	5,00,869
6.	चूजे निकालने के लिए अण्डों का विक्रय	4,200
7.	प्रजनन के लिए पक्षियों का विक्रय	1,91,787
8.	खाने के लिए पक्षियों का विक्रय	23,227

4.47 विशेष पशुधन (कुक्कुट) उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो शिमला, बिलासपुर तथा ऊना जिलों में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से लघु एवं सीमान्त किसानों के लाभ के लिए है वर्ष **1993-94** में **130** कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

पशु आहार तथा चारा विकास

4.48 उन्नत किस्म की नसल को उपयुक्त मात्रा में सुदृढ़ पौष्टिक आहार के क्षेत्र विस्तार में लाया गया है। उपजाऊ भूमि पर चारा उगाया जाता है तथा चारागाहों को विकसित किया गया। पशु पालकों को उन्नत किस्म के चारा स्टस, चारा बीज तथा चारा वृक्ष कम दामों पर उपलब्ध करवाये जाते हैं।

प्रशिक्षण

4.49 विभाग दुग्ध उत्पादकों तथा स्टाक सहायकों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है। इस वर्ष विभाग द्वारा **22** युवा बेरोजगारों को पशु पालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है जो अपनी पंचायतों में कार्य करेंगे।

मत्स्य

4.50 हिमाचल प्रदेश विशाल एवं विभिन्न प्रकार के मत्स्य स्त्रोतों से सम्पन्न राज्य है जिससे ठण्डे जल से नदी नालों और जलाशयों का जाल बिछा है जिसमें उष्ण कटिबधीय व सब-टैम्परेट की मत्स्य प्रजातियां हैं । मुख्यत: नदीय लक्यूस्ट्राईन, रिक्रीएशन और पौंड फिशरिज में वर्गीकृत राज्य के जलों में मत्स्य विकास की काफी सम्भावना है । प्रदेश में लगभग **12,000** मछुआरे अपनी रोजी के लिए मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है । वर्ष **1993-94** में सबसे पहले मत्स्य बीज उत्पादन पर ध्यान दिया गया जिसके फलस्वरूप अक्तूबर, **1993** तक **22.5** मिलियन मत्स्य बीज उत्पादन किया गया। प्रदेश के चमेरा, बैरासूल जैसे नए जलाशयों के सम्मिलित हो जाने व मत्स्य सम्वर्धन की प्रणालियों के विकसित हो जाने पर राज्य में मछली बीज की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति के लिए जिला चम्बा के सुल्तानपुर स्थान पर एक बहु-प्रजातीय मछली बीज उत्पादन केन्द्र की स्थापना का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ कर दिया गया। आधुनिक तरीकों से मछली पालन व पकड़ने तथा मत्स्य पालन के लिए जलाशयों के प्रबन्ध से इस वर्ष प्रदेश में मछली गोविन्दसागर जलाशय से मछली उत्पादन अक्तूबर, **1992** के **519** टन के मुकाबले अक्तूबर, **1993** तक **576** टन मछली उत्पादन हुआ जोकि **11** प्रतिशत अधिक है । विभाग ने 'माहीगर दुर्घटना बीमा' योजना व 'माहीगर जोखिम कोष' योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके । केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिये **20,000** रुपये नए

तालाबों को बनाने, 8,000 रुपये पुराने तालाबों के नवीनीकरण के लिये तथा 2,000 रुपये बहते पानी में जल इकाई की स्थापना के लिये दिए जाते हैं ।

4.51 अनुसूचित जातीय विशेष घटक योजना के अन्तर्गत विभाग सामुदायिक लाभ की योजनाओं पर विशेष बल दे रहा है । विभिन्न कार्यकलापों के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:-

क्रमांक	मद	लक्ष्य	उपलब्धियां	
		1993-94	अक्तूबर, 1993 तक	मार्च, 1994 तक संभावित
1.	2.	3.	4.	5.
1.	मत्स्य उत्पादन (टन)	6,500	2,878	6,500
2.	मत्स्य बीज उत्पादन-मिरर व मेजर कार्प, फ्राऊट (मिलियन)	30.00	22.50	30.00
3.	पंजीकृत मछुआरे (संख्या)	13,565	12,643	13,565

वन

4.52 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 67.5 प्रतिशत अर्थात 37,591 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है । इन वनों से ऐसी जड़ी-बूटियां जो औषधियां तैयार करने के काम आती हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । इसके साथ-2 वन, भू-संरक्षण तथा नदियों में पानी का बहाव उचित मात्रा में बनाए रखने में भी सहायता करते हैं जिसके फलस्वरुप बहुउद्देशीय विद्युत परियोजनाओं को भी संरक्षण मिलता है । हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति में विद्यमान साधनों के संरक्षण, प्रबन्ध कार्य समुचित तरीके से चलाना तथा साथ-2 इसकी नींव का विस्तार करना सम्मिलित है । इन्हीं नीतियों को पूर्ण रुप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए हैं । कुछ महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम निम्न प्रकार से हैं:-

वन रोपण

4.53 वन रोपण का कार्य फलोत्पादक वन योजना तथा भू-संरक्षण योजना के अन्तर्गत चलाया जा रहा है । फलोत्पादक वन योजना में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों जैसे चिलगोजा के पेड़ लगाने, चरागाहों का सुधार इत्यादि आते हैं । फलोत्पादक वन योजना के अन्तर्गत 130.35 लाख रुपये की लागत से 2,016 हैक्टेयर क्षेत्र सितम्बर, 1993 तक लाया गया ।

भारत-जर्मनी इको विकास परियोजना:चंगर क्षेत्र परियोजना:

4.54 भारत-जर्मन आर्थिक विकास परियोजना पालमपुर उप-मण्डल के चंगर क्षेत्र में फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के सहयोग से कार्य कर रही है । इस परियोजना की अनुमानित लागत **18.71** करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अन्तर्गत जैसे वन, कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग एक दुसरे के तालमेल से काम करेंगे । वर्ष **1993-94** के लिए इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए **100.00** लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए थे जिसमें से सितम्बर,**1993** तक **17.08** लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं । इस परियोजना के मुख्य कार्य है: पौध रोपण, भू तथा जल संरक्षण, इंधन बचत के लिए लकड़ी के विकल्प, तथा कृषि, उद्यान व पशुपालन की उन्नत तकनीक का अपनाना ।

एकीकृत वेस्टलैण्ड विकास परियोजना

4.55 :क: **रावी जलगृह में एकीकृत वेस्टलैण्ड विकास परियोजना:-** यह परियोजना चम्बा जिले के भरमौर, चम्बा, चुराह तथा डलहौजी मण्डलों में चलाई जा रही है । यह परियोजना **1992-93** से **1996-97** तक की अवधि की है तथा इस परियोजना की कुल लागत **441.00** लाख रुपये है । वर्ष **1993-94** में **181.85** लाख रुपये की तुलना में दिसम्बर,**1993** तक **65.24** लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं जिससे **1,320** हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में **834** हैक्टेयर क्षेत्र में यह योजना चलाई गई है ।

:ख: **जमाला, खालरा तथा पटलैण्डर क्षेत्र के लिये एकीकृत वेस्टलैण्ड विकास परियोजना:-** इस परियोजना में मण्डी जिले का जमाला क्षेत्र, कुल्लू जिले का खालरा क्षेत्र, तथा हमीरपुर जिले का पटलैण्डर क्षेत्र लिया गया है । यह परियोजना **5** वर्ष अर्थात **1990-91** से **1994-95** तक की अवधि की है तथा इसकी कुल लागत **99.00** लाख रुपये है । वर्ष **1993-94** में दिसम्बर,**1993** तक **110** हैक्टेयर क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाया गया है तथा **14.46** लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

:ग: **व्यास जलगृह के 13 उप जल प्रवाह क्षेत्रों में एकीकृत वेस्टलैण्ड विकास परियोजना:पण्डोह से ऊपर:-** इस योजना का क्षेत्र व्यास नदी के जलगृह के अन्दर आता है तथा इसकी मुख्य सहायक नदियां पार्वती तथा तीर्थ नदियां है । यह परियोजना **4** वर्ष अर्थात **1991-92** से **1994-95** तक की अवधि की है तथा इसकी कुल लागत **317.54** लाख रुपये है । वर्ष **1993-94** में दिसम्बर,**1993** तक **52.55** लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा **506** हैक्टेयर क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाया गया है ।

:घ: **लाहौल में चन्द्रभागा के मेयर तथा करडंग क्षेत्र में एकीकृत वेस्टलैण्ड विकास परियोजना:-** यह परियोजना लाहौल-स्पिति जिले के मेयर घाटी के दो जल प्रवाहों में जिसमें **426** हैक्टेयर परियोजना क्षेत्र तथा करडंग में **454** हैक्टेयर क्षेत्र में चलाई जा रही है । यह परियोजना **60.52**

लाख रुपये के उद्व्यय से 5 वर्ष अर्थात 1991-92 से 1995-96 की अवधि में चलाई जा रही है । वर्ष 1993-94 में दिसम्बर,1993 तक 9.83 लाख रुपये व्यय किए तथा 111 हैक्टेयर क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाया गया ।

(ङ.) **ईंधन और चारा उत्पादन परियोजनाः-** यह परियोजना भारत सरकार के सहयोग से 50:50 प्रतिशत के आधार पर हमीरपुर, मण्डी, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों में चलाई जा रही है। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष है जो 1990-91 से शुरू हुई । वर्ष 1993-94 के दौरान इसके अन्तर्गत 2,093 हैक्टेयर क्षेत्र लाने के लिये दिसम्बर,1993 तक इस पर 151.36 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(च) **आधुनिक वन अग्निशमन परियोजनाः-** भारत सरकार ने इस योजना को चलाने के लिये 13.00 लाख रुपये प्रदान किए हैं । वर्ष 1993-94 में दिसम्बर,1993 तक 6.01 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

(छ) **गौण वन उत्पाद परियोजनाः-** यह परियोजना 5 वर्ष की अवधि अर्थात 1992-93 से 1996-97 की है । वर्ष 1993-94 में इस योजना में दिसम्बर,1993 तक 36.36 लाख रुपये व्यय किये जा चुके है तथा 982 हैक्टेयर क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाया गया है।

विश्व बैंक की सहायता से हिमालय पहाड़ियों के लिए वाटर शैड विकास परियोजना(कंडी परियोजना)

4.56 एकीकृत वाटर शेड परियोजना (हिल्ज कण्डी परियोजना) विश्व बैंक की मदद से 1990-91 में शुरू की गई । इसका उद्देश्य पांच नदियों मारकण्डा(सिरमौर) घग्घर व सरसा(सोलन) स्वां(ऊना) तथा चक्की(कांगड़ा) के जल ग्रहण क्षेत्रों का इकोलोजिकल पुनर्वास करना है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों का सामाजिक व आर्थिक उद्धार हो सके । कण्डी क्षेत्र इन पांच नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में आता है तथा सूखे से वर्ष भर अत्यधिक प्रभावित रहता है व यहां भूमि का कटाव भी अधिक होता है । इस परियोजना के अधीन वन, कृषि, बागवानी व पशुपालन विभाग एक दूसरे के तालमेल से काम करेंगे । वर्ष 1993-94 के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत पौध लगाने, वन रोपण, रीप्लानिशिंग पौध रोपण तथा अन्य भू-संरक्षण कार्य, वर्षा वाले क्षेत्रों में उद्यान चारा प्रदर्शन, तालाब के किनारों का संरक्षण, शामलात भूमि तथा अन्य कार्यों के लिए 500.00 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए तथा अभी तक 212.54 लाख रुपये खर्च किए गए ।

वन्य प्राणी तथा प्राकृतिक संरक्षण

4.57 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियों से सम्बन्धित क्रिड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आखेट स्थलों व शूटिंग खण्डों में सुधार लाना है ताकि लुप्त हो रहे

प्रजातियों को बचाया जा सके । वर्ष 1993-94 में 150.00 लाख रुपये की तुलना में सितम्बर, 1993 तक 92.04 लाख रुपये(केन्द्रीय भाग सहित) की राशि उपयोग में लाई गई ।

वन सुरक्षा

4.58 वनों को अग्नि, अवैध गिरान तथा अतिक्रमण आदि खतरों का सामना प्राय: करना पड़ता है इसलिए आवश्यकता है कि उपर्युक्त स्थानों पर चैक पोस्ट्स की स्थापना की जाए ।अग्नि-शमन उपकरणों का प्रावधान व दूरभाष यंत्रों की स्थापना की गई तथा सभी वन मण्डलों को उपलब्ध करवाए गए । आग के खतरे वाले वन मण्डलों में वन सुरक्षा के तहत अच्छी संचार व्यवस्था की आवश्यकता है तथा उपलब्ध करवानी होगी । इस वर्ष भी यह योजना जारी रखी गई जिसके अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में सितम्बर, 1993 तक 15.00 लाख रुपये लक्ष्य के मुकाबले 5.33 लाख रुपये की धन राशि व्यय की गई ।

5. उद्योग

5.1 हिमाचल प्रदेश में जल-विद्युत, खनिज, वन तथा धूल रहित जनवायु का बहुत अधिक भण्डार है । यह सभी कारण ऐग्रो-आधारित, वन आधारित, खाद्य विधायन, पेय पदार्थ तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित करने के लिये उचित स्थिति जुटाते हैं ।

5.2 जब से देश में योजनाएं बन रही हैं प्रदेश के आर्थिक विकास ने बहुत प्रगति की है । पहले कुछ वर्षों में मूल आधारों के विकास जैसे सड़कें, पुल, परिवहन संचार तथा कृषि व उद्यान को उन्नत करने पर अधिक महत्व दिया गया । इसके साथ-साथ अर्थ व्यवस्था के माध्यमिक तथा टरशियरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिये पग उठाए ताकि लोगों विशेषकर बेरोजगार युवकों के लिये रोजगार सम्बन्धी नए तथा वैकल्पिक अवसर उन्नत हो सकें । शुरू में पुराने कुटीर व हस्तशिल्प उद्योगों को विकसित तथा आधुनिकरण किया गया । इससे राज्य में उद्यमियों के लिये बाद में औद्योगिक विकास का आधार बना । इस समय उद्योग विभाग में **22,000** लघु इकाईयां पंजीकृत हैं जिनमें **280** करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश हुआ तथा लगभग **80,000** व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। बड़े तथा मध्यम पैमाने के क्षेत्र में राज्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । इस समय प्रदेश में **140** बड़े तथा मध्यम पैमाने की इकाईया कार्य कर रही हैं तथा **530** करोड़ रुपये का निवेश इन इकाईयों में हुआ है जिससे लगभग **17000** व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। हाल ही में प्रदेश के औद्योगिक विकास को इलैक्ट्रोनिक्स से नई दिशा मिली हैं । इलैक्ट्रोनिक उद्योग के विकास के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम कार्य कर रहा है ।

औद्योगिक परियोजना अनुमोदन एवं समीक्षा प्राधिकरण:आई. पारा. :

5.3 इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य उद्यमियों की उनकी परियोजनाओ के कार्यान्वियन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं/एजैंसियों से जो सम्बन्धित हों उनके साथ समन्वय स्थापित करना है । मध्यम एवं बड़े उद्योगों के लिए आई. पारा की स्वीकृति अनिवार्य है । वर्ष **1993** में **24** नई परियोजनाओ का अनुमोदन किया जिसमें **622 19** करोड़ रुपए और रोजगार सम्भावनांए **6,011** व्यक्तियों के लिए हैं ।

जिला उद्योग केन्द्र

5.4 प्रदेश के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे हैं । जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम का उद्देश्य गाव तथा छोटे उद्यमियों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं/सेवाएं तथा समर्थन प्रदान करना है । वर्ष **1993** में **599** लघु उद्योगों का स्थाई पंजीकरण किया गया, इनमें **1,797** लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए जिनमें **329** अनुसूचित जाति, **157** अनुसूचित जनजाति तथा **1,311** अन्य वर्गों के लोग सम्मिलित थे । इसके अतिरिक्त **1,526** लघु उद्योगों का अस्थायी

पंजीकरण किया गया ।

औद्योगिक क्षेत्र

5.5 उद्यमियों में साधन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए (1) परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, पांवटा साहिब, मैहतपुर, शमशी, नगरोटा बगवां, बिलासपुर, रिकौंग पिओ, संसारपुर टैरस में औद्योगिक क्षेत्र, सोलन (चम्बाघाट), मण्डी, काला अम्ब, हमीरपुर, शोघी, चम्बा तथा अम्ब में इलैक्ट्रोनिक कम्पलैक्स तथा (2) सोलन, धर्मपुर, कांगड़ा, ज्वाली, देहरा-गोपीपुर में औद्योगिक सम्पदा स्थापित किए गए । इसके अतिरिक्त प्रदेश में और औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदाएं विकसित किए जा रहे हैं।

उद्यमी विकास कार्यक्रम

5.6 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमी विकास पाठ्यक्रम जिसमें संस्थान संयन्त्र और बाहरी सर्वेक्षण में प्रशिक्षण कोर्स भी सीमलित है, आयोजित किए गए । इसके अतिरिक्त एक पखवाड़े के पाठ्यक्रम उद्यमियों को सम्वेष्ट सूचना देने तथा औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताएं तथा कार्य पद्धतियों से अवगत करवाने के लिए आयोजित किए गए हैं । वर्ष **1993** के अन्तर्गत **15** उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) के पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत **322** व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

रेशम उद्योग

5.7 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है । रेशम के कीड़ों को पालने तथा कोकून को बेचने से वे अपनी आय में वृद्धि करते हैं । वर्ष **1993** में **1.11** लाख किलोग्राम कोकून जिसकी कीमत **75.00** लाख रुपए है का उत्पादन किया गया ।

सरकारी उपक्रमों में निवेश

5.8 उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले विभिन्न निगमों तथा बोर्डों में निवेश के लिए वर्ष **1992-93** में निम्नलिखित प्रावधान है:-

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	निगम का नाम	बजट प्रावधान 1992-93
1. हि0प्र0	राज्य औद्योगिक निगम	220.00
2. हि0प्र0 वित्त निगम		220.00
3. हि0प्र0	राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम	8.00
4. हि0प्र0	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	8.00
5. हि0प्र0	राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम	17.00
6. हि0प्र0	सामान्य औद्योगिक निगम	20.00

चाय उद्योग

5.9 चाय का उत्पादन कांगड़ा एवं मण्डी जिलों में समुद्र तल से 1,000 से 1,500 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है । प्रदेश में, 2,000 हैक्टेयर क्षेत्र में 1,660 चाय उगाने वाले कृषक कार्यरत हैं। वर्ष 1992-93 में प्रदेश में लगभग 12 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ ।

6. विद्युत

6.1 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है । यह बहुत ही संतोषजनक बात है कि अत्याधिक पहाड़ी क्षेत्र के बावजूद प्रदेश के सभी आबाद गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है ।

6.2 प्रारम्भिक जल, विज्ञान तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों से जल विद्युत उत्पादन बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर सम्भावित क्षमता **12,700** मैगावाट आंकी गई है । इसके अतिरिक्त प्रदेश नदी क्षेत्रों में अभी ऐसे स्थानों की पहचान बाकी है जिन पर लघु व सूक्ष्म परियोजनाओं के साथ-**2** मध्यम और बड़ी परियोजनाएं बना कर विद्युत क्षमता में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है । थरमल व अणुशक्ति- जन्य के उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण बहुत सी चिन्हित परियोजनाएं जिनको उत्पादन की अपेक्षा अधिक लागत के कारण उपरोक्त जल-विद्युत क्षमता में शामिल नहीं किया गया था, भी भविष्य में आर्थिक दृष्टि से कार्यान्वयन हो जाएंगी । इन दो पहलुओं को देखते हुए हिमाचल की कुल जल विद्युत क्षमता का अनुमान **25,000** मैगावाट व इससे भी अधिक आंका जा सकता है । कुल क्षमता में से अभी तक केवल **3,349** मैगावाट क्षमता का दोहन किया गया है जिसमें से हिमाचल प्रदेश के अधीन केवल **272** मैगावाट है, क्योंकि बड़े भाग का दोहन केन्द्रीय सरकार व अन्य अभिकरणों ने किया है । राज्य की विशाल जल विद्युत क्षमता उत्तरीय क्षेत्र के विद्युत विकास कार्य में प्रमुख भूमिका निभा सकती है जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी ।

6.3 प्रदेश में छठी पंच वर्षीय योजना से जल विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इससे न केवल राज्य की बढ़ती मांग पूरी होगी बल्कि उत्तर क्षेत्र में विद्युत की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी । इन तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए बड़े, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आरम्भ करने का राज्य में चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया तथा साथ ही साथ पहले से आरम्भ की गई परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाएगा ।

6.4 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए पर्याप्त विद्युत संचारण तथा वितरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि राज्य में इन परियोजनाओं द्वारा विद्युत औद्योगिकी की जा सके तथा उपयोग के लिये विद्युत का वितरण किया जा सके । कुछ योजनाओं का कार्य पहले ही समापन चरण पर है ।

6.5 ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रदेश ने आशाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं । इस तथ्य के बावजूद कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण

विद्युतीकरण का कार्य देर से आरम्भ किया था तथा कठिन पहाड़ी क्षेत्रों के होते हुए संतोषजनक बात है कि जून,1988 के अन्त तक सभी आबादी ग्रस्त गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। गहन विद्युतीकरण योजनाओं का विद्युतीकरण का कार्य बचे हुए घरों में किया जा रहा है तथा साथ ही बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता तथा उपलब्धता में संशोधन का कार्य भी किया जा रहा है ।

क. उत्पादन

चालू परियोजनाएं

थिरोट विद्युत परियोजना (4.5 मैगावाट)

6.6 4.5 मैगावाट क्षमता वाली यह परियोजना जिला लाहौल एवं स्पिति में लाहौल की जनजातीय घाटी में चालू है । इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत दिसम्बर,1991 की कीमतों के अनुसार 34 करोड़ रुपए है । इस परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत लाहौल एवं पांगी के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में उपयोग की जाएगी तथा अधिशेष विद्युत को जिला कुल्लू के मनाली क्षेत्र में उपयोग में लाया जाएगा । इस परियोजना के नवम्बर, 1994 तक चालू होने की सम्भावना है।

बनेर विद्युत परियोजना(12 मैगावाट)

6.7 वर्ष 1981 में 6 मैगावाट क्षमता रखने वाली यह परियोजना स्वीकृत की गई थी जो कि बाद में बढ़ा कर 12 मैगावाट कर दी गई है। इसकी नवीनतम अनुमानित लागत 40.54 करोड़ रुपए है। अपर्याप्त धन के कारण इस परियोजना का कार्य समय पर पूरा न किया जा सका । अब इस परियोजना के दिसम्बर,1994 तक चालू होने की सम्भावना है ।

गज विद्युत परियोजना(10.5 मैगावाट)

6.8 यह परियोजना वर्ष 1982 में स्वीकृत की गई थी । इसकी नवीनतम अनुमानित लागत संशोधित करके अक्तूबर,1991 की कीमतों के अनुसार 40.00 करोड़ रुपए कर दी गई थी । पिछले वर्षों में अपर्याप्त धन की वजह से इस परियोजना पर कार्य समय पर शुरु न किया जा सका और अब इसके जून,1994 तक चालू होने की सम्भावना है ।

भावा विकास योजना

6.9 जून,1987 में योजना आयोग द्वारा भावा विकास योजना की अनुमानित लागत 9.46 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है जबकि बाद में इसकी अनुमानित लागत संशोधित करके 16.33 करोड़ रुपए कर दी गई है । भावा विद्युत गृह से इस योजना के अन्तर्गत 54 एम. यू. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जाएगा । इस परियोजना का कार्य नवम्बर,1995 तक शुरु हो जाएगा ।

किल्लार विद्युत परियोजना(300 किलोवाट)

6.10 राज्य बिजली बोर्ड ने इस योजना के लिए

विद्युत उपभोग

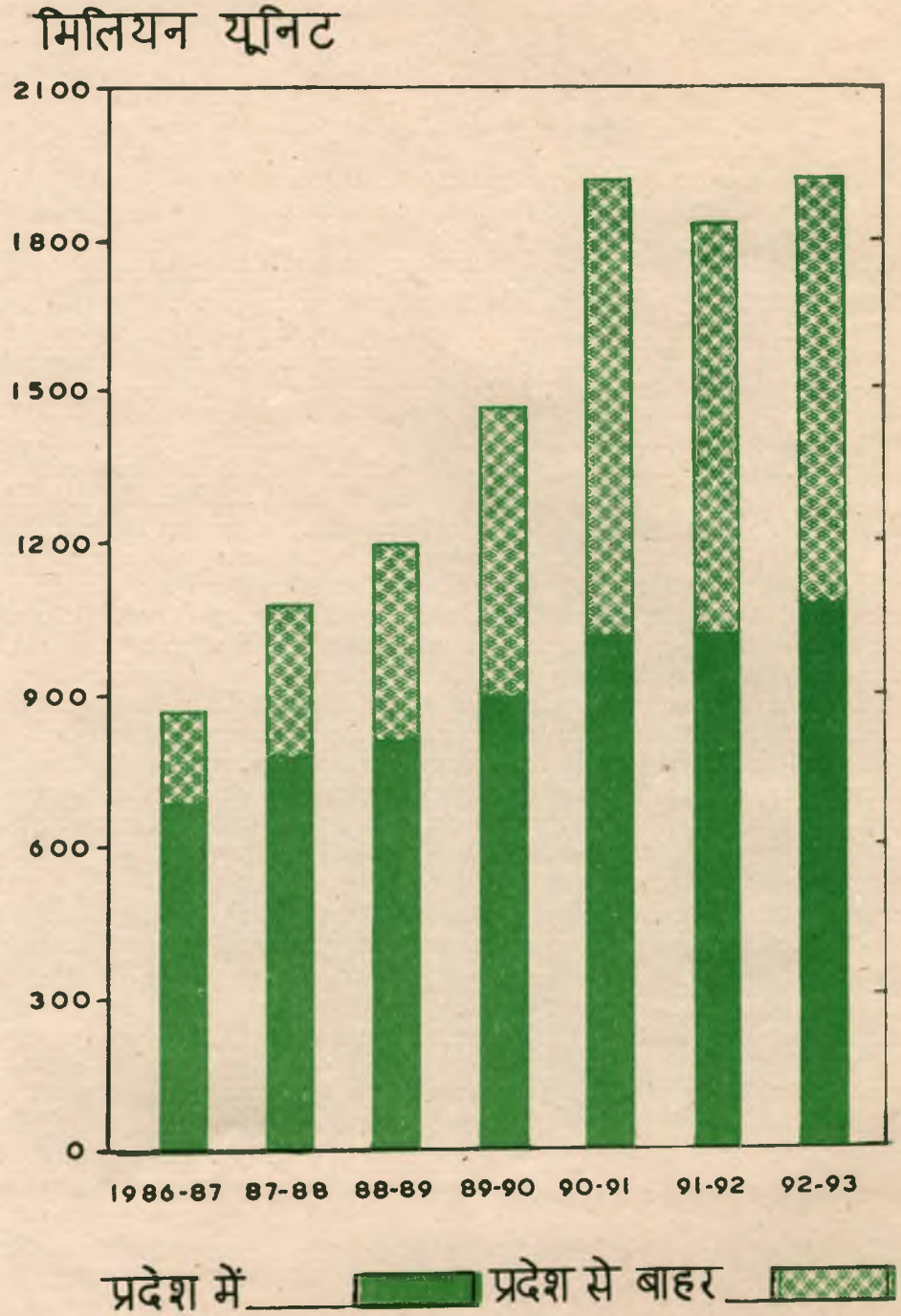
मिलियन यूनिट
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
1986-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
प्रदेश में
प्रदेश से बाहर

जुलाई,1986 की कीमतों के अनुसार 1.73 करोड़ रुपए की राशि राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की है तथा नवम्बर,1994 में शुरू होगी ।

उहल चरण-III परियोजना:70 मैगावाट:

6.11 यह परियोजना मण्डी जिला में स्थित है जिस पर लगभग 174.77 करोड़ रुपए खर्च होंगे । सरकार की नवीनतम नीति के आधार पर इस परियोजना को नीजि क्षेत्र के पूंजी निवेश के लिए सौंप दिया गया है ।

लारजी विद्युत परियोजना:126 मैगावाट:

6.12 इस परियोजना को जिसकी विद्युत क्षमता 126 मैगावाट है मण्डी जिले में ब्यास नदी पर निर्मित किया जाना है । इस परियोजना पर दिसम्बर,1990 के मूल्य के अनुसार नवीनतम अनुमानित लागत 355 करोड़ रुपए है । इस परियोजना के संरचना कार्य शुरू किए जा चुके हैं। ताकि इस पर धन जुटाया जा सके । इस परियोजना के मार्च,1999 तक शुरू होने की सम्भावना है ।

नाथपा-झाखड़ी विद्युत निगम:एन.जे.पी.सी.: द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं:केन्द्रीय तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से:

नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना:1,500 मैगावाट:

6.13 नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना जिसकी 1,500 मैगावाट क्षमता है का कार्य संयुक्त रूप से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नाथपा-झाखड़ी विद्युत निगम के माध्यम से किया जाएगा । उत्पादन कार्य हेतु इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 437 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया गया। यह ऋण सीधा नाथपा झाखड़ी निगम को आवंटित किया जाएगा तथा इक्विटी वाला भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा । इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत 1,678 करोड़ रुपए है ।

कोल डैम परियोजना:800 मैगावाट:

6.14 कोल डैम परियोजना जिसकी विद्युत क्षमता 800 मैगावाट है को भी नाथपा-झाखड़ी विद्युत निगम द्वारा ही कार्यान्वित किया जाना है । इस परियोजना के लिए भी वही शर्तें होंगी जो नाथपा-झाखड़ी परियोजना के लिए मानी गई हैं ।

6.15 वर्ष 1992-93 के दौरान विद्युत उत्पादन 1,087.4 मिलियन यूनिट था जब कि चालू वर्ष में नवम्बर,1993 तक 817.954 मिलियन यूनिट था । नवम्बर,1993 तक 156 मैगावाट का उर्जीयन किया गया ।

6.16 केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारों के स्रोत सीमित होने के कारण भारत सरकार ने अब निजी क्षेत्र को बिजली के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है ताकि आने वाले समय में बिजली की कमी की पूर्ति हो सके । इसके फलस्वरूप

National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8512
Date 23-3-95

प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 1990 में सिद्धांतिक रूप से निजी क्षेत्र को 10 जल विद्युत परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने का निश्चय किया। इसके अनुसार अक्तूबर, 1993 में समाचार पत्रों में प्रकाशन देकर प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये।

6.17 इन दस विज्ञापित की गई परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं (i) बासपा - II, (ii) ऊहल - III तथा (iii) घानवी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजि क्षेत्र की पार्टियों से समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इन तीन परियोजनाओं की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :-

बासपा जल विद्युत परियोजना :- बासपा-II परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मैसर्ज जे.पी.आई. सीमित से 1 अक्तूबर, 1992 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सम्बन्धित कम्पनी द्वारा पेश की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी तकनीकी तथा आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा है। पर्यावरण तथा वन सम्बन्धी स्वीकृति भी प्रदान हो चुकी है। सम्बन्धित पार्टी के साथ बिजली क्रय के बारे में समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैसर्ज जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज ने परियोजना स्थान पर मूलाधार कार्य पहले ही आरम्भ कर दिए हैं।

ऊहल जल विद्युत परियोजना :- फरवरी, 1993 में मैसर्ज बालारपुर इन्डस्ट्रीज सीमित ने ऊहल जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश कर दी है। बिजली के बेचने के बारे में निकाली गई दरें उच्च होने के कारण सम्बन्धित कम्पनी ने जनवरी, 1994 में संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दोबारा प्रस्तुत की है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा तकनीकी तथा आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने से पहले रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

घानवी जल विद्युत परियोजना :- मैसर्ज पी.पी.जी.एम. सीमित ने फरवरी, 1993 के अंतिम सप्ताह में घानवी विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर जांच-पड़ताल करने के उपरान्त रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को जांच-पड़ताल और तकनीकी तथा आर्थिक स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना पर कुछ टिप्पणियां सूचित की हैं जोकि मैसर्ज पी.पी.जी.एम. सीमित कम्पनी को भेज दी गई है। कम्पनी से इन टिप्पणियों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

6.18 इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने 15 और अतिरिक्त

परियोजनाए निजी क्षेत्र में देने के लिए अगस्त, 1993 में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए। हिबरा (231 मैगावाट), धमवाड़ी सुन्दा (70 मैगावाट), करछम वागटु (900 मैगावाट), नियोगल (12 मैगावाट), अलैन दुहांगन (192 मैगावाट) तथा मलाना (86 मैगावाट) नामक 6 विद्युत परियोजनाए निजी क्षेत्र की पार्टियों को दे दी गई हैं तथा 28.08.1993 को उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

6.19 इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र से ऐसी लघु जल विद्युत परियोजनाओं जिनकी क्षमता 3 मैगावाट तक है के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव आमन्त्रित किए। यह प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विवरणिका "लघु जल विद्युत परियोजनाओं को चलाने के लिए नीति मार्गदर्शन" के अनुसार होना चाहिए, जिससे परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहन इत्यादि विस्तार से दिए गए हैं। निजी क्षेत्र से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त करने की तिथि 31 दिसम्बर, 1994 से बदल कर अप्रैल, 1994 कर दी गई है।

ख. संचार तथा वितरण

6.20 राज्य में उपभोक्ताओं को बिना रुकावट के विद्युत आपूर्ति, नियमित वोलटेज तथा नई योजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन को शुरु करने के लिए संचारण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न अन्तरराजीय तथा केन्द्रीय परियोजनाओं से भी विद्युत आपूर्ति का हिस्सा भी प्राप्त करना है। धन के अभाव के कारण संचार तथा वितरण परियोजनाए पूर्ण नहीं की जा सकी तथा नई परियोजनाओं पर कार्य शुरु नहीं किया जा सका। इस कार्य के लिए 132 के.वी. संचारण लाईनें/सब-स्टेशन भी बिजली बोर्ड द्वारा शुरु करना है जिसके लिए विश्व बैंक ने 43 मिलियन डालर ऋण की स्वीकृति दी है। प्रारम्भिक तथा उच्चतर वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर उपभोक्ताओं की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए 33 के.वी. सब स्टेशन तथा इससे कम की स्वीकृत की लाईनों को कम वोलटेज की समस्या तथा संचार व वितरण की कमियों को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है।

ऊर्जा के गैर परम्परागत, नए तथा नवीकरण साधनों का विकास

6.21 आर्थिक वृद्धि के साथ-2 तेजी से उद्योगीकरण, अच्छे रहन-सहन के स्तर तथा इनफरास्ट्रक्चरल नेटवर्क में बढ़ौतरी के कारण ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ी है। पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों में कमी होने के कारण गैर पारम्परिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों जैसे सौर जल तापीय संयन्त्र, पवन चक्की तथा अन्य ऊर्जा संयन्त्रों के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है। गैर पारम्परिक और नवीकरण ऊर्जा स्त्रोतों के विकास पर प्रदेश में "हिमऊर्जा" की गतिविधियों पर अधिक महत्व दिया जाएगा।

सौर ऊर्जा

6.22 नए तथा नवीकरण ऊर्जा स्त्रोत सौर ऊर्जा के उपयोग में अधिक महत्व रखते हैं । सौर थर्मल संयत्र जैसे सोलर कुकर, सोलर स्टिल्स, सौर जलतापीय संयत्र को अधिक लोकप्रिय बनाने पर बल दिया जा रहा है ।

6.23 साधारण गर्म पानी प्रणाली द्वारा जिसमें प्लेट कोलैक्टर्स तथा इससे सम्बन्धित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, को संस्थाओं/अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/परिवारों को **60-80** डिग्री सैल्सियस तापमान पर गर्म पानी उपलब्ध करवाया जाता है । अभी तक **2.20** लाख एल. पी. डी. सौर जल तापीय संयत्र लगाए जा चुके हैं। इसमें **100** लिटरस प्रतिदिन क्षमता वाले **1,151** घरेलू जल तापीय संयत्र रियायती दरों पर लगाए गए हैं । **197** फोटोवोल्टिक प्रणाली द्वारा हैमलेटों/गांवों में स्ट्रीट लाईटिंग उपलब्ध करवाई हैं । इसके अतिरिक्त किन्नौर जिले के कुन्नु, चारंग, शलखान गांवों को **248** घरेलू फोटोवोल्टिक लाईट द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। **9** सामुदायिक लाईटें(**8** प्वाइंटस) भी लगाई गई हैं । उपदान के अन्तर्गत **16,044** सोलर कुकर बांटे गए । इसके अतिरिक्त **30** सामुदायिक सोलर कुकर होटल/संस्थानों को दिए गए । इसके साथ **9** सोलर फोटोवोल्टिक पम्प सिंचाई उद्देश्य के लिए तथा **2** सोलर टी.वी. सामुदायिक प्रयोग के लिए लगाए गए हैं । प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पारम्परिक खाना पकाने की रोजमर्रा की जरूरत के अलावा घरों में सौर ऊर्जा द्वारा गर्म रखने वाले संयत्रों के प्रयोग को अधिक लोकप्रिय बनाया जा रहा है ।

ऊर्जा संरक्षण

6.24 "हिम ऊर्जा" ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए अधिक प्राथमिकता दी है । **24,973** धुंआ रहित चुल्हे तथा **28,891** आसानी से उठाए जाने वाले चुल्हे बनाए और **44,343** प्रैशर कुकर व **13,533** नूतन स्टोव वितरित किए ताकि पता लगाए गए गांवों में इंधन की खपत में कमी हो । प्रदेश में **81** उन्नत किस्म के शमशान घाट जिसमें **40** से **50** प्रतिशत कम लकड़ी की आवश्यकता होती है, लगाई गई ।

7. रोजगार

7.1 1991 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 34.41 प्रतिशत मुख्य कामगार, 8.42 प्रतिशत सीमान्त कामगार तथा शेष 57.17 प्रतिशत गैर कामगार थे। मुख्य कामगारों में से 63.25 प्रतिशत काश्तकार, 3.30 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.45 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 32.02 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे।

जनशक्ति तथा रोजगार सेवाएं

7.2 रोजगार सेवा परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं:- (क) उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर उपयुक्त रोजगार प्राप्त करवाना (ख) छटनी व फालतू घोषित किए गए कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाना, (ग) रोजगार देने वाले को उपयुक्त उम्मीदवार भेजना, (घ) रोजगार अवसरों व प्रशिक्षण अवसरों तथा सम्बन्धित कार्यों का जनता, छात्र, अध्यापक, माता-पिता तथा प्रशासकों के लिए पता लगाना तथा (ङ) युवकों व रोजगार ढूंढने वालों की समस्याओं में समीक्षा तथा प्रशिक्षण व पाठ्यक्रमों को दोबारा से समायोजित करने हेतु रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुसार कामगारों को उनसे सम्बन्धित प्रशिक्षण देना । 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, शिमला तथा पालमपुर, 2 विश्वविद्यालय रोजगार तथा सुझाव कार्यालय, 40 उपरोजगार कार्यालय, एक राज्य रोजगार विपणन सूचना इकाई, 3 व्यावसायिक सुझाव इकाईयां, विकलांगों के लिए एक विशेष इकाई तथा हिमाचलवासियों को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों, संस्थाओं तथा निजि क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के द्वारा राज्य में रोजगार सहायता सूचना दी जा रही है । प्रदेश में बाहर के देशों में रोजगार जुटाने के लिए रोजगार निदेशालय में वर्ष 1992 में एक विदेशी रोजगार कक्ष स्थापित किया गया ।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

7.3 पिछले वर्ष की अपेक्षा नवम्बर, 1993 तक जीवित पंजीयिका में प्रार्थियों की संख्या 1.99 प्रतिशत अधिक थी जबकि विभिन्न रोजगार कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए भर्तियों में 1.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1.08 प्रतिशत कम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया । जनवरी से नवम्बर, 1993 तक की अवधि में [illegible] प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 4,135 व्यक्तियों को रोजगार मिला । विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अधिसूचित खाली स्थानों की संख्या 7,032 थी। सभी रोजगार कार्यालयों में 30 नवम्बर, 1993 तक जीवित पंजीयका में संख्या 4.93 लाख थी ।

रोजगार मार्किट सूचना कार्यक्रम

7.4 वर्ष 1960 से रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत

रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं । प्रथम त्रिमास में अर्थात जनवरी से मार्च, 1993 तक प्रदेश में कुल कर्मी 2.83 लाख (सार्वजनिक क्षेत्र 2.48 लाख तथा निजि क्षेत्र 0.35 लाख) की तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल कर्मी 2.76 लाख (सार्वजनिक क्षेत्र 2.42 लाख तथा निजि क्षेत्र 0.34 लाख) थे । सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोजगार का 6.42 प्रतिशत केन्द्रीय सेवाओं, 67.87 प्रतिशत राज्य की सेवाओं, 7.02 प्रतिशत केन्द्रीय अर्ध-सरकारी क्षेत्र, 17.36 प्रतिशत राज्य अर्ध सरकारी क्षेत्र, तथा 1.33 प्रतिशत स्थानीय निकायों में कर्मी काम कर रहे थे ।

व्यवसायिक सुझाव कार्यक्रम

7.5 व्यवसायिक सुझाव एवं रोजगार सलाह जैसे कार्यक्रम उनके लिए बनाए गए हैं जो कि इस प्रकार की सहायता चाहते हैं । व्यावसायिक सुझाव मुख्यतः युवाओं की सहायता के लिए हैं जबकि रोजगार परामर्श केवल वयस्कों की सहायता के लिए हैं । राज्य रोजगार निदेशालय इस कार्य को रोजगार कार्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग की सहायता से व्यवस्थित करता है । राष्ट्रीय नीतियों तथा तरीकों से सम्बन्धित, मसले, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, सामान व औजारों को तैयार करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल रखने के लिए महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण की केन्द्रीय वैकल्पिक इकाई, राज्य में निदेशक रोजगार निदेशालय की सहायता कर रही हैं । रोजगार कार्यालय में प्रभारी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है । इस कार्यक्रम को विस्तार से फैलाने के लिए भारत सरकार से प्राप्त हुए नवीनतम व्यावसायिक साहित्यिक, चार्ट और जीविनवृति पैम्फलैटस बांटे गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993 में नवम्बर, 1993 तक की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

(संख्या)

मद	नवम्बर, 1993 तक की उपलब्धियां
1.	2.
क. वैयक्तिक कार्यक्रम:	
1. व्यक्तियों का वैयक्तिक मार्ग दर्शन	7,849
2. व्यक्तियों का पंजीकरण के समय वैयक्तिक मार्ग दर्शन	30,901
3. व्यक्तियों को वैयक्तिक सूचना दी गई	1,566
4. (क) डाक द्वारा सूचना मिली	249
(ख) व्यक्तिगत सूचना दी गई	658

1.	2.
5. पुराने मामले -जीवित पंजीयका से प्राप्त हुए	1,275
ख. सामूहिक कार्यक्रम:	
1. सामूहिक चर्चाओं का आयोजन किया गया	847
2. व्यक्तियों द्वारा सामूहिक चर्चाओं में भाग लिया गया	8,291
3. कैरियरत/ग्रुप मार्गदर्शन के बारे में चर्चाएं की गई	188
4. व्यक्ति जो कैरियर सूचना कक्ष में गए	9,708
ग. समन्वय गतिविधियां:	
1. स्कूलों, कालिजों में जीवनवृति के लिए मार्ग दर्शन गतिविधियां तथा सम्मेलनों/प्रदर्शनो को आयोजित करने के लिए निर्देशन इकाईयों को बढ़ावा देना	403
2. रोजगार अवसरों/प्रशिक्षण सुविधाओं पर सूचना एकत्रित करने के लिए रोजगार संस्थाओं में जाना	71

इसी वर्ष पूरे प्रदेश में 13.9.1993 से 25.9.1993 तक एक पखवाड़े का व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार सलाहकार कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

7.6 केन्द्रीय रोजगार कक्ष की स्थापना प्रदेश में निजि क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं में तकनीकी आवेदकों तथा हुनर वाले आवेदकों को रोजगार देने के लिए की गई है । इस कक्ष की स्थापना राज्य के श्रमिक एवं रोजगार निदेशालय के अधीन की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य केवल तकनीकी तथा अधिक कुशल तथा अकुशल आवेदकों की निजि क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भर्ती है । इस परियोजना के अन्तर्गत एक तरफ तो निजि क्षेत्र में रोजगार चाहने वालों को उनकी योग्यता एवं अनुभवों के आधार पर रोजगार दिया जाता है जबकि दूसरी तरफ नियुक्तकों द्वारा सही श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत 31 अक्तूबर,1993 को 13,936 आवेदकों का पंजीकरण उनके तकनीकी योग्यताओं के आधार पर किया गया जिसे कि मुख्य रोजगार कार्यालयों से भेजा गया होता है । निजि क्षेत्र संस्थाओं ने अक्तूबर,1993 तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष को विभिन्न किस्मों की 2,656 रिक्तियां सूचित की थी तथा जिसमें 289 रिक्तियां तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग की थी । केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के लिए 11,585 आवेदकों को भेजा जिन में 2,694 आवेदक तकनीकी एवं उच्च कुशल(हुनर) वर्ग के थे । अक्तूबर,1993 तक प्रदेश में अभी तक 562 व्यक्तियों को विभिन्न निजि क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों में रोजगार दिया जिनमें से 45 व्यक्ति तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग के थे ।

विकलांगों के लिए विशेष कक्ष

7.7 जनवरी से सितम्बर,1993 के अन्तर्गत जीवित पंजिका पर 599 विकलांगों को और पंजीकृत करके विकलांगों की संख्या 4,514 हो गई थी । इसके अतिरिक्त 9 अनुरक्षित नियुक्तियां अधिसूचित की गई थी तथा 31 विकलांगों को साक्षात्कार के लिए पत्र जारी किए गए थे । इस वर्ष सितम्बर,1993 तक 8 विकलांगों को लाभकारी रोजगार में रखा गया था ।

विदेशी रोजगार कक्ष

7.8 वर्ष 1991 में श्रम एवं रोजगार निदेशालय में, विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को भेजने के लिये एक कक्ष स्थापित किया गया । विदेशों में रोजगार प्राप्त करने की सभी औपचारिकतायें पूरी करने के साथ-2 इस कक्ष का लक्ष्य उन व्यक्तियों को रोजगार दिलवाना है जो विदेशों में सरकारी एजेंसियों के साथ पंजीकृत हैं। जनवरी से सितम्बर,1993 तक विदेशों में रोजगार चाहने वाले 53 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया तथा अब तक 1,720 व्यक्ति पंजीकृत हो चुके हैं । 17 व्यक्तियों को बिजली, मिस्त्री,राजगीरी, बढ़ई तथा हेल्पर के रूप में विदेशों में भेजा गया ।

न्यूनतम मजदूरी

7.9 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी एक्ट,1948 के अन्तर्गत एक "न्यूनतम मजदूरी परामर्श बोर्ड" बनाया गया जो कि 20 अनुसूची रोजगार के अन्तर्गत मजदूरों के न्यूनतम दर से मजदूरी तय तथा उनके संशोधन के बारे में प्रदेश सरकार को परामर्श देता है । इस बोर्ड की सिफारिश पर 1.4.1991 से प्रदेश सरकार ने अकुशल मजदूरों को सभी 20 अनुसूची रोजगार में एक जैसी न्यूनतम दरें तय/संशोधित की हैं जो कि 22 रुपए प्रतिदिन या 660 रुपए प्रति माह हैं । इसी प्रकार 1.4.1991 से अर्ध कुशल, कुशल तथा अति कुशल मजदूरों को पहले से प्राप्त की जारही न्यूनतम दर की मजदूरी में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है । इसके अतिरक्त अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को 25 प्रतिशत की दर से न्यूनतम दर की मजदूरी से अधिक देने की स्वीकृति दी गई है जो कि कृषि निर्माण तथा सड़कों और भवनों के रख-रखाव, पत्थर तोड़ने का संचालन इत्यादि कार्य में लगे हुए हैं । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा घोषित पिछड़े हुए क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को 12.5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम दर की मजदूरी से अधिक देने की स्वीकृति दी गई है जो कि वानिकी तथा इमारती लकड़ी के कार्य में लगे हुए हैं । इसके अतिरिक्त उद्योगों में कार्यरत् मजदूरों के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि न्यूनतम मजदूरी पर भी हुई । 14.11.1993 से सरकार ने अकुशल मजदूरों को सभी 23 अनुसूची रोजगार में एक जैसी न्यूनतम दरें तय/संशोधित की हैं जो कि 22 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 24 रुपये प्रतिदिन या 660 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 720 रुपये प्रति

मास कर दी है

श्रमिक कल्याण उपाय

7.10 बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) एक्ट, **1976** के अन्तर्गत राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक सक्रीनिंग समिति के अतिरिक्त उपमण्डलीय स्तर पर सर्तकता समितियां तथा जिला स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया । राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्याय अधिकरण जिनका मुख्यालय शिमला में है का गठन किया है । औद्योगिक झगड़ा नियम, **1947** के तहत जिला एवं शैशन जज के पद के बराबर, श्रम अदालत/औद्योगिक न्याय अधिकरण का एक स्वतंत्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया । कारखाना अधिनियम, **1948** के अन्तर्गत **1,406** पंजीकृत कारखाने हैं जिनमें अनुमानित **39,848** मजदूरों को रोजगार प्राप्त है । इसी प्रकार मोटर ट्रासपोर्ट वर्कस एक्ट, **1961** के अन्तर्गत **38** मोटर ट्रासपोर्ट निगम पंजीकृत है जिनमें अनुमानित **4,315** मजदूर कार्य कर रहे हैं । कन्ट्रेक्ट लेबर (रैगुलेशन एण्ड एबौलिशन) एक्ट, **1970** के अन्तर्गत दिसम्बर, **1993** तक **230** मालिक अनुमानित **53,732** मजदूरों के साथ पंजीकृत हैं तथा **916** लाईसैंस प्राप्त ठेकेदार **38,442** मजदूरों के साथ पंजीकृत हैं । इसी प्रकार इन्टर स्टेट माईग्रैंट वर्कमैन (रैगुलेशन आफ इमपलायमैंट तथा कन्डीशन्स आफ सर्विस) एक्ट, **1979** के अन्तर्गत **71** मालिक अनुमानित **10,900** मजदूरों के साथ तथा **91** ठेकेदार अनुमानित **3,227** मजदूरों के साथ पंजीकृत हैं । इसी प्रकार ट्रेड यूनियन एक्ट, **1926** के अन्तर्गत **663** ट्रेड यूनियन पंजीकृत हैं । राज्य मजदूर बीमा योजना सोलन, परवाणू, बरोटीवाला, बद्दी, मैहतपुर, पांवटा साहिब, व काला अम्ब में लागू है । लगभग **390** उद्यमी व **19,480** मजदूर इस योजना के अन्तर्गत लाए गए इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत **626** उद्यम में कार्यरत **48,607** मजदूरों को लाभ पहुंच रहा है ।

औद्योगिक सम्बन्ध

7.11 प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में विकास होने से औद्योगिक सम्बन्धों के मसले को काफी महत्व प्राप्त हो रहा है । प्रदेश में औद्योगिक झगड़ों के निपटारे व औद्योगिक शान्ति को बनाए रखने के लिए एक समाधान प्रशासन कार्यरत है । समाधान अधिकारियों के कार्य क्षेत्रीय/ जिला रोजगार अधिकारी तथा श्रम अधिकारी को सौंपे गए हैं तथा अपने-2 क्षेत्राधिकार में यह कार्य देख रहे हैं । इसके अतिरिक्त जिन संस्थाओं में **100** से कम मजदूर हैं उन संस्थाओं में समाधान अधिकारियों की शक्तियां श्रम निरीक्षकों को निहित कर दी गई हैं। जिन झगड़ों का निपटारा ठीक तरीके से न हो सके अथवा जहां पर समाधान प्रणाली फेल हो जाए उन मामलों में उच्चतर अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं ।

8. ग्रामीण विकास

8.1 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (क) अधिक उत्पादन, (ख) अधिक रोजगार, (ग) ग्रामीणों को आय का समान वितरण, (घ) ग्रामीणों पर अधिक व्यय करना ताकि उनकी आर्थिक व सामाजिक हालत में सुधार हो सके । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष **1993-94** में निम्न राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यरत रहीं ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

8.2 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की सहायता से उनका एकीकृत विकास करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों को सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों के निर्माण/मुरम्मत, सामान्य शिक्षा के भवन निर्माण, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रामीण क्रिड़ाओ इत्यादि को अनुदान देना है । इसके साथ-साथ कच्ची सड़कों व पगडण्डियों के निर्माण के लिए विकसित कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, कृषकों को प्रोत्साहित करना, सिंचाई व भूमि उद्धार, पीने के पानी की स्कीमों का निर्माण व मुरम्मत, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिए गलियों को ठीक कराना, सुधरी नसल के पशुओ व पक्षियों का वितरण विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण पा रहे ग्रामीण प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा देना इत्यादि सम्बन्धी कार्यों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला/युवक मण्डलों की गतिविधियों को बढ़ावा देने व सुदृढ़ करने के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा विकास खण्ड कार्यालय भवनों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण भी किया जाता है । चालू वित्त वर्ष **1993-94** के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **140.00** लाख रुपए की राशि का प्रावधान है ।

ग्रामीण शौचालय

8.3 इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण को रोकना एवं ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना है । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों, पंचायत घरों, बाजारों तथा मेलों में भी खाली जगह पर शौचालयों का निर्माण किया जाता है । वर्ष **1991-92** से इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों को सहायता प्रदान करने के तरीकों को संशोधित किया गया तथा सामान्य वर्ग के लोगों को **1,200** रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों को **1,500** रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष **1993-94** में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग **70,320** स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर, **1993** तक **33,756** ऐसे शौचालयों का निर्माण किया जा

चुका है । इस योजना के अन्तर्गत 352.16 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं ।

ग्रामीण आवास

8.4 ग्रामीण आवास योजना जिसे ट्रस्म टैनामिन्ट के रुप में जाना जाता है का उद्देश्य राजस्व विभाग द्वारा बेघर लोगों तथा अन्य लक्ष्य समूह के पात्र व्यक्तियों के लिए दो कमरों के मकान का निर्माण करना है । वर्ष 1993-94 में दिसम्बर,1993 तक 500 गृहों के निर्माण के लक्ष्य में से 155 मकानों का निर्माण किया जा चुका है । वर्ष 1993-94 के 50.00 लाख रुपए के उद्व्यय में से अभी तक 27.99 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं ।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)

8.5 यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित है तथा इसका उद्देश्य लघु व सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, को ऊपर उठाना है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को उत्पादक सम्पति एवं रोजगार देना तथा जहां आवश्यकता हो विभिन्न उपदानों एवं संस्थागत ऋणों की सहायता से कार्यपूंजी सहित आय उत्पादन सम्पति का प्रबन्ध करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर,1993 तक 6,870 परिवारों को सहायता दी जा चुकी है । वर्ष 1993-94 के लिए 8,000 परिवारों का लक्ष्य रखा गया था । इस कार्यक्रम पर 248.19 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं

स्वः रोजगार योजना के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राईसम)

8.6 यह कार्यक्रम एकीकृत विकास कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है तथा इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 18-35 वर्ष तक की आयु वाले युवकों को कृषि तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों, उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में स्वः रोजगार के लिए तकनीकी जानकारी देना है । इच्छुक ग्रामीण युवकों को विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आई. टी. आई., सरकारी पोलिटैक्नीक तथा अन्य स्थानीय संस्थानों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 150 रुपए से 350 रुपए प्रतिमास तक प्रशिक्षण पाने के लिए स्थानानुसार वजीफा दिया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण पूरा होने के उपरान्त एक टूल किट मुफ्त दी जाती है । दिसम्बर,1993 तक 449 युवकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, 223 युवकों को बसाया गया तथा 169 युवकों को मजदूरी रोजगार दिया गया तथा इस पर 12.60 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों तथा बच्चों का उद्धार (डवाकरा)

8.7 यह कार्यक्रम भी राज्य में एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है । इसका मुख्य उद्देश्य चयनित परिवारों की महिलाओं को समूहों में संगठित करके उनकी इच्छानुसार आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो

सके । यह कार्यक्रम प्रदेश के बिलासपुर जिले को छोड़कर सभी जिलों में चलाया जा रहा है । 470 समूहों के लक्ष्य में से दिसम्बर,1993 तक 165 समूहों का गठन किया जा चुका है जिसमें 1,907 महिला सदस्य हैं तथा इन पर 21.93 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं ।

जवाहर रोजगार योजना

8.8 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजनाओं को सम्मिलित रुप देकर जवाहर रोजगार योजना को तैयार किया गया तथा पूरे देश भर में चलाया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को भारी मात्रा में रोजगार अवसर प्रदान करना है और समाज के गरीब भाग को लाभान्वित करने के लिए सामुदायिक सम्पति का सृजन करना है । यह कार्यक्रम गांव में पंचायतों द्वारा चलाया गया जो कि पूरी योजना एवं कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार है । 33.73 लाख कार्य दिवस के लक्ष्य के उपरान्त दिसम्बर,1993 तक 21.70 लाख कार्य दिवस अर्जित किये गए। वर्ष 1993-94 के लिए कुल स्वीकृत धन राशि 1,107.26 लाख रुपए में से 843.16 लाख रुपये की धन राशि व्यय की जा चुकी है।

इन्दिरा आवास योजना

8.9 इन्दिरा आवास योजना के लिए वित्तीय साधन जवाहर रोजगार योजना के कुल आवंटन में से 6 प्रतिशत निर्धारित है । इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, के लिए मकान बनाना है । स्वतंत्र हुए बन्धक मजदूरों को मकान देना भी इस योजना में शामिल है । लाभान्वित लोगों को मकान बनाने के लिए जिसमें स्वच्छ शौचालय एवं धुंआ रहित चूल्हे शामिल हैं 14,500 रुपयों की राशि प्रदान की गई । वर्ष 1993-94 के दौरान दिसम्बर,1993 तक 809 मकान बनाने के लक्ष्य की तुलना में 172 मकान बनाए गए तथा 312 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं निर्मित/ बन रहे मकानों में कुल 40.01 लाख रुपयों की राशि खर्च हुई

धुंआ रहित चूल्हा कार्यक्रम

8.10 यह कार्यक्रम प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य इंधन बचत, वन कटाव को रोकना, प्रदूषण को रोकना तथा ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों को प्रशिक्षण तथा जागरुकता देने के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर शिविर लगाए जाते हैं तथा उनके घरों में मुफ्त चूल्हा लगाया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं रोजगार कार्यकर्ता चूल्हों के निर्माण के लिए लगाए जाते हैं। वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारित 20,000 चूल्हों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर,1993 तक 16,022 चूल्हों का निर्माण किया जा चुका है तथा इस योजना के अन्तर्गत 5.48 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं ।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

8.11 यह कार्यक्रम प्रदेश में लाहौल-स्पिति जिले के स्पिति उप-मण्डल तथा जिला किन्नौर के पूह उप-मण्डल में केन्द्रीय सहायता द्वारा चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य ठण्डे मरुस्थल क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना है, जिसमें मुख्यत: उत्पादकता, आय स्तर बढ़ाना तथा इन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करना है । इस योजना के अन्तर्गत बढ़ते हुए मरुस्थल को और खराब होने से रोकना है । वर्ष **1993-94** में विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत **300.00** लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान है । नवम्बर,**1993** तक **149.96** लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

8.12 यह कार्यक्रम चालू वितीय वर्ष से संशोधित नीति के अनुसार आरम्भ किया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल उन्ही लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है जो गरीबी की रेखा से नीचे हों तथा पात्र लाभार्थियों को **1,500** रुपये प्रति शौचालय दिए जा रहे हैं। वर्ष **1993-94** में **4,680** शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर,**1993** तक **315** स्वच्छ शौचालय बनाये गए हैं तथा वर्ष **1993-94** के **26.28** लाख रुपये के लक्ष्य की तुलना में अभी तक **4.26** लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं ।

सुनिश्चित रोजगार गारंटी योजना

8.13 ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को एक नई योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों में रहने वाले ग्रामीण गरीबों को संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाएगा । यह योजना राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के सभी **7** खण्डों में चलाई जाएगी। इस योजना का व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा **80:20** के अनुपात में किया जाएगा । इस योजना का उद्देश्य कृषि मौसम में लगभग **100** दिनों के लिये सुनिश्चित आकस्मिक श्रमिक रोजगार को 8 घंटे के कार्य के लिये न्यूनतम मजदूरी देना है । वर्ष **1993-94** में भारत सरकार द्वारा **35.00** लाख रुपये लगभग **1.75** लाख दिहाड़ीदार मजदूरों के लिये दिए गए ।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे औजार

8.14 यह योजना वर्ष **1992-93** में कांगड़ा जिले में केन्द्रीय सहायता से चलाई गई जिसका उद्देश्य प्रत्येक लाभार्थी को **2,000** रुपये के सुधरे औजारों का किट देना है, जिसमें लाभार्थी का **200** रुपये का अंशदान भी सम्मिलित है । चालू वित वर्ष में यह योजना ऊना, हमीरपुर तथा चम्बा जिलों में शुरू की गई । वर्ष **1993-94** में भारत सरकार ने इन जिलों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे **1,479** ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे औजार देने के लिये **26.22** लाख रुपये उपलब्ध करवाए । दिसम्बर,**1993** तक **1,908** औजार किट दिए जा चुके हैं

परती भूमि विकास योजना

8.15 यह शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रदेश के हमीरपुर तथा कांगड़ा जिलों में चलाई जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत परती भूमि का सदुपयोग करना तथा इस पर जलाने की लकड़ी के पेड़ तथा पशुओं के चारे आदि के वृक्ष लगाना शामिल हैं । वर्ष **1993-94** में सितम्बर, **1993** तक **96.69** लाख हैक्टेयर भूमि को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है तथा **9.04** लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं ।

9. भाव की स्थिति

9.1 वर्ष **1992-93** में मुद्रा स्फीति अधिकतर आम पुरुषों व महिलाओं के लिये अधिक गम्भीर समस्या थी, विशेषत: खाद्य पदार्थों की मुद्रा स्फीति की दर समस्त वस्तुओं में बहुत अधिक रही । वर्ष **1993-94** के दौरान मुद्रा स्फीति की दर में धीरे-2 कमी आने से स्थिति में सुधार आया। थोक मूल्य सूचकांक (आधार **1981-82=100**) में वृद्धि की दर में जोकि बिंदुवार आधार पर वर्ष **1992-93** में **7.0** प्रतिशत थी, वर्ष **1991-92** में **13.6** प्रतिशत तथा वर्ष **1990-91** में **12.1** प्रतिशत थी । बिन्दुवार आधार पर चालू वित वर्ष **1993-94** (**29** जनवरी तक) में थोक मूल्य सूचकांक **7.7** प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह **6.5** प्रतिशत था ।

9.2 पिछले कुछ वर्षों के थोक मूल्य सूचकांक निम्न सारणी में दिए गए हैं:-

थोक मूल्य सूचकांक (आधार **1981-82=100**)

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक	
	अन्तिम सप्ताह	सप्ताहों की औसत
1.	2.	3.
1984-85	121.8	120.1
1985-86	127.7	125.4
1986-87	134.2	132.7
1987-88	148.5	143.6
1988-89	156.9	154.3
1989-90	171.1	165.7
1990-91	191.8	182.7
1991-92	217.8	207.8
1992-93	233.1	228.7
1993-94 (30.1.93)	232.1	227.8
1993-94 (29.1.94)	251.1	244.5

9.3 पिछले चार वर्षों का माहवार थोक मूल्य सूचकांक निम्न सारणी में दर्शाया गया है:-

थोक मूल्य सूचकांक (आधार: 1981-82=100)

मास	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	2.	3.	4.	5.
अप्रैल	172.8	192.8	219.5	234.6
मई	174.3	194.8	221.6	237.0
जून	176.9	198.4	224.1	239.8
जुलाई	179.3	202.8	226.6	239.7
अगस्त	180.2	209.2	228.8	243.5
सितम्बर	180.9	210.4	230.7	247.8(अ)
अक्तूबर	183.3	210.2	232.4	249.8(अ)
नवम्बर	185.1	212.4	231.4	251.3(अ)
दिसम्बर	186.6	213.2	231.4	250.3(अ)
जनवरी	189.6	215.3	231.6	250.7(अ)
फरवरी	191.6	216.4	232.8	
मार्च	191.7	217.7	233.1	
औसत	182.7	207.8	228.7	
औसत अप्रैल से जनवरी	180.9 (26.1.91)	206.0 (25.1.92)	227.8 (30.1.93)	244.5 (29.1.94)

अ = अस्थाई

9.4 विकास की प्रगति तथा प्रगति के लाभों के बराबर में बंटने के लिए किमतों में स्थिरता जरूरी है । मुद्रा-स्फीति का सर्वाधिक प्रभाव गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ता है इस का प्रभाव वित्तीय साधनों के जुटाने पर भी पड़ता है । वित्तीय घाटे में कठोर नियंत्रण, आयात में ढील देना, कड़ी मुद्रा स्फीति, गेहूं तथा चावल के आयात द्वारा घरेलू स्टाक में वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये आयात में रियायत जैसे मुख्य कारणों से वर्ष के दौरान मुद्रा स्फीति को स्थिर रखने में सहायता मिली ।

9.5 हिमाचल प्रदेश में भाव की स्थिति पर निरन्तर निगरानी के कारण कीमतों में बढ़ौतरी नहीं होने दी गई । ऐसा खाद्य

मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक 1981-82=100

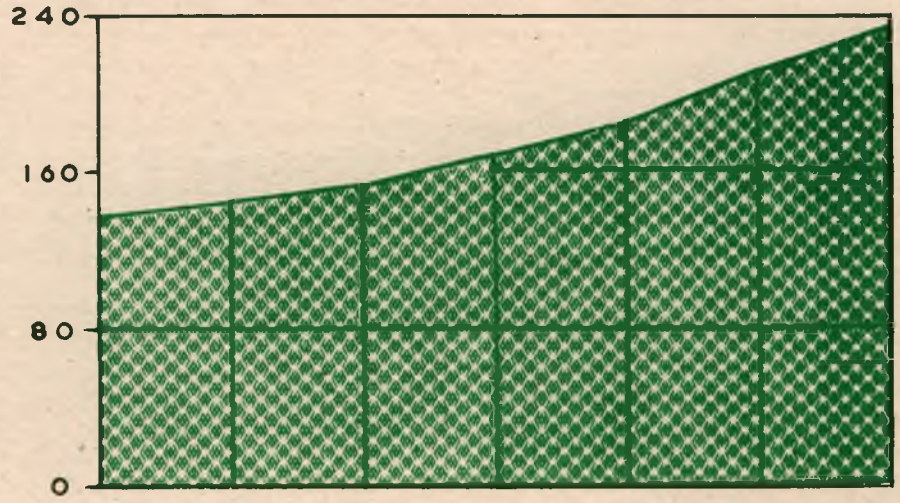

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1982 = 100

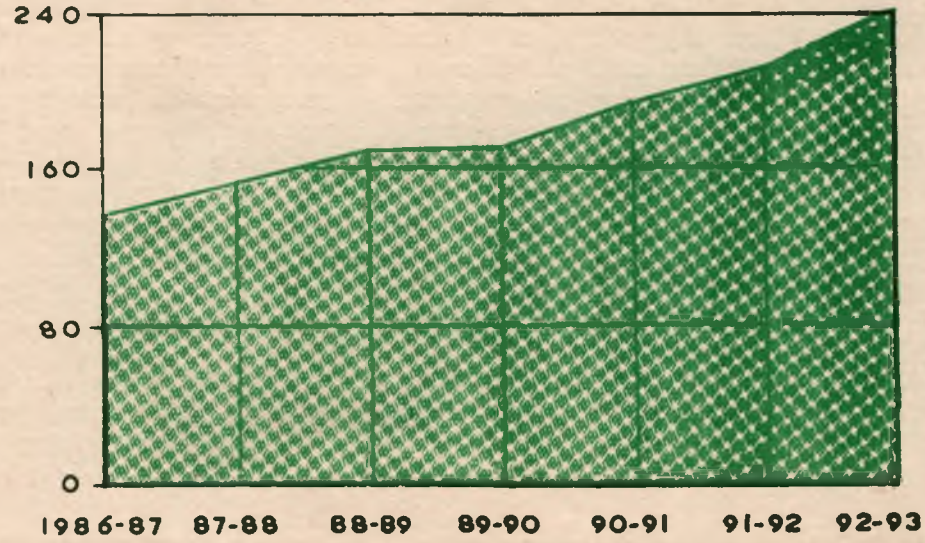

एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा प्रदेश में भाव पर निगरानी व आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 3,438 उचित मूल्य की दुकानों से सम्भव हुआ । इसके साथ-साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा अन्य अनाचारों द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है । वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों का अनुश्रवण करना जारी रखा ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें ।

10. नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक सेवाएं

10.1 वर्ष **1993-94** में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सक्रीय की गई । प्रचलित वर्ष में सार्वजनिक वितरण के माध्यम से खाद्यान्नों के अतिरिक्त नियन्त्रित वस्तुए जैसे लेवी चीनी, नियन्त्रित कपड़ा और खाद्य तेल, दालें, नमक, चाय की पत्ती, अभ्यास पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री तथा मिट्टी का तेल आदि जनता को उपलब्ध करवाई गई ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

10.2 विभिन्न स्त्रोतों तथा केन्द्रीय गोदामों से आवश्यक वस्तुएं खरीद कर और सार्वजनिक वितरण की उचित मूल्य की दुकानों पर ये वस्तुएं जनता को उपलब्ध करवाने के लिए "हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम" की स्थापना की गई है । निगम आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य **3,438** उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से करता है। इन **3,438** उचित मूल्य की दुकानों में से **2,693** उचित मूल्य की दुकानें सहकारिता क्षेत्र में, **557** दुकानें वैयक्तिक तौर पर, **63** दुकानें पंचायतों द्वारा तथा **125** दुकानें हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दिसम्बर, **1993** तक चलाई जा रही थी । जनवरी से नवम्बर, **1993** तक राज्य आपूर्ति निगम का विक्रय **96.93** करोड़ रुपए हो गया ।

भण्डारण एवं परिरक्षण

10.3 सरकारी खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों में **43** गोदाम **12,650** टन भण्डारण क्षमता के बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त नवम्बर, **1993** तक **5,119** टन क्षमता के गोदाम निजी क्षेत्र से किराए पर लिए गए हैं । प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने भी **5,650** टन भण्डारण क्षमता के गोदाम भारतीय खाद्य निगम और हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को किराए पर दिए हैं । **16** गोदाम जिनकी क्षमता **2,500** टन है, निर्माणाधीन है।

लेवी चीनी

10.4 भारत सरकार प्रदेश में कार्ड होल्डरों को वितरण के लिए मासान्यत: **2,120** टन लेवी चीनी प्रतिमाह देती है। परन्तु कई बार महत्वपूर्ण त्योहारों जैसे दिवाली व दशहरा पर केन्द्र सरकार राज्य के कोटे में अक्तूबर व नवम्बर मास में **304** टन की वृद्धि कर देती है । प्रदेश में उपभोक्ताओं को **400** ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह लेवी चीनी **8.30** रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से उपलब्ध कराई गई । इसके लिए वर्ष **1993-94** में **1.50** करोड़ रुपए का अनुदान के रुप में प्रावधान किया है।

खाने का तेल

10.5 रेपसीड व पाम नामक खाद्य तेल उपभोक्ताओं को **2**

किलो प्रति माह प्रति राशन कार्ड 5 सदस्यों के लिए तथा 3 किलो प्रति राशन कार्ड 5 से अधिक सदस्यों के लिए उचित मूल्य की दुकानों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता रहा । वर्ष 1993 में भारत सरकार ने 800 टन खाने के तेलों का आवंटन किया ।

नियन्त्रित कपड़ा

10.6 वर्ष 1993 में भारत सरकार ने 20.50 लाख मीटर नियन्त्रित कपड़ा जनता में वितरण हेतु प्रदेश सरकार को दिया । नागरिक आपूर्ति निगम ने भी उचित मूल्य की अपनी दुकानों द्वारा आम अनियन्त्रित कपड़ा उपलब्ध करवाया। वर्ष 1993 के दौरान नवम्बर,1993 तक 5.62 लाख मीटर नियन्त्रित कपड़ा उचित मूल्य की दुकानों ने वितरित किया ।

आयोडीन युक्त नमक

10.7 नमक सीधे डीलरों द्वारा मांगानुसार प्राप्त कर लिया जाता है। वर्ष 1993-94 में दुर्गम एवं दूर दराज के क्षेत्रों के लिए 3.50 लाख रुपए परिवहन अनुदान के लिए खर्च होने की सम्भावना है ।

तरल पैट्रोलियम गैस

10.8 वर्ष 1993-94 में 54 गैस एजैन्सियां बिलासपुर, चम्बा, डलहौजी, हमीरपुर, धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा बगवां, नूरपुर, कुल्लू, केलांग, मण्डी, सुन्दरनगर, करसोग, जोगिन्द्रनगर, शिमला, रोहड़ू, रामपुर, ठियोग, नाहन, पांवटा साहिब, सोलन, परवाणु, कसौली, नालागढ़, ऊना, सराज, चिओ, बनीखेत, योल-कैंट, देहरा, कांगड़ा, अम्ब, नारकण्डा, सुन्नी, बड़सर, काजा, पूह, शाहपुर, सरकाघाट, भाकड़ी, सबाथू तथा अर्की में कार्यरत थी । इसके अतिरिक्त 10 और गैस एजैन्सियां शीघ्र ही कार्य करना शुरु कर देंगी।

डीजल, पैट्रोल तथा मिट्टी का तेल

10.9 इस समय प्रदेश में 78 पैट्रोल और डीजल पम्प कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त वर्ष 1993 के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों में मिट्टी का तेल उपलब्ध करवाने हेतु 6 टी.के.डी. चिओ, शमशी, कारगाह (केलांग), चम्बा, काजा और पठानकोट में कार्यरत हैं । वर्ष 1993 में भारत सरकार ने 48,396 किलोलिटर मिट्टी के तेल का आवंटन किया । वर्ष 1993-94 में शिमला जिले के डोडरा क्वार तथा चम्बा जिले के लिए क्रमश: 0.40 लाख तथा 2.00 लाख रुपए अनुदान के रुप में खर्च किए जाएंगे ।

दुर्गम एवं दूर-दराज के क्षेत्रों को अनुदान

10.10 वर्ष 1993 में सरकार प्रदेश के दूर-दराज दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में जनता को गेहूं अनुदान मूल्य पर उपलब्ध करवाती रही । सरकार ने एकीकृत जन विकास परियोजना क्षेत्रों को गेहूं 305 रुपए प्रति क्विंटल तथा 330 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान क्षेत्रों में और अन्य

क्षेत्रों में 357 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनता को दिया । गेहूं का आटा भी प्रदेश के आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों तथा अनुदान प्राप्त क्षेत्रों में 386 रुपए प्रति क्विंटल और अन्य क्षेत्रों में 398 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध करवा रही है । इसके अतिरिक्त शिमला जिले के डोडरा क्वार क्षेत्र तथा पन्द्रह बीस क्षेत्र, कुल्लू जिले के सरघा तथा कुशवा क्षेत्र, सोलन जिले के बैरल व मंगल पचांयतें तथा कांगड़ा जिले के बड़ा-भंगाल क्षेत्रों में भी चावल बांटा गया । इन क्षेत्रों में 10 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक परिवहन भाड़ा सरकार ने अनुदान के रूप में वहन किया ।

छात्रों को विशेष सुविधाएं

10.11 बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत जनता को दिए जाने वाले मूल्य से 35 रुपए प्रति क्विंटल कम दर से गेहूं का आटा और चावल दिए गए ।

10.12 आवश्यक वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण में जमाखोरी व काला बाजारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न आदेशों व अधिनियमों को सख्ती से पालन कर रही है । वर्ष 1993 में नवम्बर, 1993 तक 28,740 निरिक्षण व छापे मारे गए, 9 मामले दर्ज किए गए, 366 व्यक्तियों को लिखित चेतावनी दी गई और 23 व्यक्तियों को विभागीय कार्यवाही के अधीन दण्ड दिया गया । 66,887 रुपए की धरोहर जब्त की गई ।

पेयजल

10.13 वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 16,807 आवाद गांव हैं जिनमें से 11,887 समस्या गांव तथा 4,920 सुगम गांव घोषित हैं । 31 मार्च,1985 तक 12,634 गांवों (8,348 समस्या गांव तथा 4,286 सुगम गांव) को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2,621 गांवों (2,432 समस्या गांव तथा 189 सुगम गांव) को पेय जल दिया गया । वर्ष 1991-92 के दौरान 425 गांवों(374 समस्या गांव तथा 51 सुगम गांव) को पेयजल दिया गया। वर्ष 1992-93 में 703 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया । वर्ष 1993-94 के दौरान 270 गांवों (74 शेष गांवों तथा 196 आंशिक रूप से लाये गए) को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त 1000 इंडिया मार्क III हैण्ड पाम्पस लगाने का लक्ष्य है। दिसम्बर,1993 तक 370 आंशिक रूप से लाये गए गांवों और बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है । इसके लिये 39 करोड़ रुपये की राज्य क्षेत्र में तथा 8.24 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधान है ।

10.14 यद्यपि प्रदेश के सभी नगरों में पेयजल योजनाएं कार्यरत हैं

परन्तु इन शहरों की पेयजल प्रणालियां बहुत पुरानी तथा वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अपर्याप्त हैं । विकास की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए **9.20** करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि वर्ष के अन्त तक पूरा खर्च कर दिया जाएगा । वर्ष **1993-94** में मल प्रवाह पद्धति के लिए **5.30** करोड़ रुपए का प्रावधान है ।

शिक्षा

10.15 हिमाचल प्रदेश में **1991** की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर **63.54** है। राज्य में पुरुषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में भी काफी अन्तर है । पुरुषों की **74.57** प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर **52.46** प्रतिशत है ।

प्राथमिक पाठशालाएं

10.16 वर्ष **1993-94** में प्रदेश में दिसम्बर, **1993** तक **7,548** सरकारी प्राथमिक पाठशालाएं कार्य कर रही थीं। वर्ष **1993-94** के दौरान अपने कार्य को सराहनीय ढंग से निष्पादित करने के लिए **2** जे.बी.टी. अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा **4** जे.बी.टी. अध्यापकों को राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

माध्यमिक पाठशालाएं

10.17 वर्ष **1991-92** में **1,067** माध्यमिक पाठशालाएं कार्यरत थीं। वर्ष **1993-94** में **5** प्राथमिक पाठशालाओं का स्तर बढ़ाकर माध्यमिक पाठशाला करने के लिये नोटिफाई किया गया । अभी कुल **45** प्राथमिक पाठशालाओं में से जो माध्यमिक पाठशालाएं अधिसूचित की गई थीं वर्ष **1993-94** में **20** माध्यमिक पाठशालायें ही कार्य कर रहीं हैं ।

उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

10.18 वर्ष **1991-92** में **1,142** उच्च/वरिष्ठ पाठशालाएं कार्य कर रही थीं। वर्ष **1993-94** में **4** माध्यमिक पाठशालाएं उच्च पाठशालाएं बनाने के लिये अधिसूचित की गई। अभी तक कुल **43** माध्यमिक पाठशालाएं उच्च पाठशाला के लिये अधिसूचित की गई हैं जिनमें से वर्ष **1993-94** में **20** उच्च पाठशालाएं कार्य कर रही हैं । इसके अतिरिक्त वर्ष **1993-94** में **10** उच्च पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनाने के लिए अधिसूचित किया । अभी तक कुल **39** पाठशालाएं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिये अधिसूचित की गई हैं जिनमें से वर्ष **1993-94** में **20** वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त मन्डप तथा लडभड़ोल की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को भवन निर्माण के लिये **30.00** लाख रुपये दिए गए ।

विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

10.19 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष **1993-94** में **6**

महाविद्यालय रिकांगपिओ, घुमारवीं, अर्की, जोगिन्द्रनगर, करसोग तथा चुवाड़ी शुरू करने के लिये अधिसूचित किए गए । करसोग तथा जोगिन्द्रनगर महाविद्यालय के भवन के निर्माण के लिये **50** लाख रुपये प्रति महाविद्यालय दिए गए । इसके अतिरिक्त वर्ष **1993-94** में **103** अतिरिक्त लैक्चरारों के पद सृजित किए गए । इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को **664.45** लाख रुपए सहायता अनुदान गैर-योजना बजट में दिए गए ।

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा

10.20 वर्ष **1993-94** में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा से सम्बन्धित **5** केन्द्रों में शिक्षा का कार्यक्रम जारी रहा । विकलांग बच्चों के लिए यह सुविधा शिमला, नाहन, धर्मशाला व चम्बा में उपलब्ध है ।

व्यवसायिक शिक्षा

10.21 प्लस दो प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा का लागू करना नई शिक्षा प्रणाली का ही एक भाग है, व्यवसायिक शिक्षा **25** वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में आरम्भ की गई हैं ।

वैज्ञानिक शिक्षा का सुधार

10.22 वर्ष **1993-94** में इस योजना के अन्तर्गत **160.00** लाख रुपये की स्वीकृति से (i) माध्यमिक स्कूलों को विज्ञान किट देना, (ii) उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की **207** विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार, (iii) **207** वरिष्ठ उच्चतर पाठशालाओं को विज्ञान पुस्तकें देने, तथा (iv) विज्ञान शिक्षकों को सर्विस में प्रशिक्षण दिया गया ।

मुफ्त छात्रावास

10.23 दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों में मुफ्त छात्रावास की सुविधा से शिक्षा के व्यापक प्रसार व बच्चों का स्कूलों से लगाव में बहुत सहायता मिली है । वर्ष **1993-94** में ऐसे **22** नि:शुल्क छात्रावास कार्यरत थे जहां नि:शुल्क आवास व भोजन सुविधा के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को **100** रुपए की वार्षिक सहायता पुस्तकें व सम्बन्धित सामग्री खरीदने के लिए भी दी जाती हैं ।

छात्रवृतियां

10.24 विभिन्न स्तर पर छात्रवृतियों के प्रोत्साहन हेतु **330.79** लाख रुपए का प्रावधान है । वर्ष **1992-93** में **69,792** छात्र लाभान्वित होने का अनुमान है ।

अध्यापकों को प्रशिक्षण

10.25 शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत **6** जे.बी.टी. स्कूल कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व धर्मशाला के शिक्षा महाविद्यालय में केवल विज्ञान विषयों में बी. एड. का प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा ।

अध्यापकों को राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार

10.26 वर्ष 1993-94 में 4 अध्यापकों को उनके श्रेष्ठ कार्य तथा व्यवसाय के प्रति निष्ठा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में 10 अध्यापकों को राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया ।

10.27 वर्ष 1992-93 में गैर सरकारी विभिन्न संस्थाओं को 257.20 लाख रुपए सहायता अनुदान के रूप में दिए गए ।

तकनीकी शिक्षा

10.28 प्रदेश में इस समय 5 बहुतकनीकी संस्थान, एक लघु तकनीकी पाठशाला जो कि अब उन्नत करके बहुतकनीकी संस्थान कर दिया है, 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मिलित है तथा 15 प्रशिक्षण संस्थान स्त्रियों के लिए कार्यरत हैं । इन बहुतकनीकी संस्थानों में 3 वर्षीय सिविल इन्जीनियरिंग, मकैनिकल, इलैक्ट्रीकल, आटोमोबाईल, वास्तुकला इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रौनिक्स तथा कम्युनिकेशन का पाठ्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाता है । कम्प्यूटर में पोस्ट डिप्लोमा कोर्स जनवरी, 1990 से राजकीय पोलिटैकनिक हमीरपुर व स्त्रियों के लिए पोलिटैकनिक कण्डाघाट में प्रारम्भ किया गया । लघु तकनीकी पाठशाला कांगड़ा में छात्रों को बढ़ईगिरी, यन्त्र सम्बन्धी प्रशिक्षण, फिटिंग वैल्डिंग, लोहे के औजार व नमूने बनाने आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इन ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय हमीरपुर में 1986-87 से कार्यरत है ।।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

10.29 हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से जन स्वास्थ्य, विभिन्न बिमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की अमूल्य सेवाएं सम्मिलित हैं, 39 असैनिक चिकित्सालय, 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 17 ग्रामीण चिकित्सालयों (उत्थान्नित प्रा. स्वा. केन्द्र), 206 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 178 औषधालयों तथा 1,852 उपकेन्द्रों और 46 मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(1) ग्रामीण स्वास्थ्य योजना:- इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहे हैं तथा ये गाईड मलेरिया निरीक्षण परिवार कल्याण तथा प्रतिरक्षण की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ।

(2) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,474 बुखार ईलाज डिपो, 4,712 औषधि

वितरण केन्द्र, 165 मलेरिया उपचारालय कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1993 के माह नवम्बर तक इस कार्य के अन्तर्गत 6,19,282 रक्त स्लाईड एकत्रित की गई। इनमें से 6,13,875 की जांच की गई और 3,995 अनुकूल पाई गई ।

(3) कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम:- यह कार्यक्रम प्रदेश में 6 कुष्ठ चिकित्सालयों, 76 पारिणाह क्लीनिक तथा 15 सर्वेक्षण तथा शिक्षा उपचार केन्द्रों में चलाया जा रहा है । इसके साथ इन्दिरा गान्धी मैडिकल कालिज शिमला में 20 बिस्तरों वाला वार्ड कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के 200 मामलों के लक्ष्य में से दिसबर,1993 तक 145 नए मामलों का पता लगाया गया तथा 646 मामले सम्पन्न किए गए ।

(4) एस.टी.डी. नियन्त्रण कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 71 एस.टी.डी. संस्थाएं हैं जिनमें से अधिकतर जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं । वर्ष 1993 में नवम्बर,1993 तक एस.टी.डी. के 1,058 मामलों का उपचार किया गया। इसके अतिरिक्त 52,526 रक्त के नमूने सीफिलिस रोग की जांच के लिए आए जिनमें से 337 मामले अनुकूल पाए गए ।

(5) राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 2 क्षय रोग चिकित्सालय, 11 जिला क्षय रोग क्लीनिक, 1 क्षय रोग क्लीनिक, 6 क्षय रोग उप क्लीनिक तथा 1 सर्वेक्षण एवं अधिवास उपचार केन्द्र जिनमें 713 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत हैं । दिसम्बर,1993 तक 13,812 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बिमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 35,237 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई।

(6) बी.सी.जी कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में 1,36,170 टीके लगाने का लक्ष्य है तथा दिसम्बर,1993 तक 95,412 टीके लगाए गए ।

(7) अन्धेपन से बचाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम:- वर्ष 1993-94 में 14,500 कैटरेक्ट आप्रेशन करने का लक्ष्य था जिसके अन्तर्गत दिसम्बर,1993 तक 5,183 कैटरेक्ट आप्रेशन किए गए ।

(8) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 40,000 बन्धयकरण और 60,000 लूप निवेश के लक्ष्य में से दिसम्बर,1993 तक क्रमश: 19,809 बन्धयकरण तथा 31,460 लूप निवेश किए गए। इसके

अतिरिक्त 89,000 तथा 31,000 के लक्ष्य में दिसम्बर,1993 तक 77,072 सी.सी. प्रयोगकर्ता तथ 17,483 ओ.पी. प्रयोगकर्ता नामांकित किए गए । सरकार ने छोटा परिवार अपनाने वालों को तथा संस्थाओं को इस कार्यक्रम को। प्रदेश में लोकप्रिय बनाने हेतु कई प्रोत्साहन दिए । §9§ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को टी.टी. और छोटे बच्चों को डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी. व मीजल के टीके लगाए गए । दिसम्बर,1993 तक की उपलब्धियां तथा 1993-94 के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :-

मद	लक्ष्य 1993-94	उपलब्धियां दिसम्बर, 1993 तक
1.	2.	3.
1. टी.टी. §गर्भवती माताए§	1,50,120	82,999
2. डी.पी.टी.	1,36,170	94,847
3. पोलियो	1,36,170	95,043
4. बी.सी.जी.	1,36,170	95,412
5. मीजल	1,36,170	86,947
6. डी.टी. § 5 वर्ष§	1,08,023	1,11,592
7. टी.टी. §10 वर्ष§	99,021	93,334
8. टी.टी. §16 वर्ष§	99,021	60,584
9. माताओं को आर्यन,फोलिक ऐसिड	1,50,120	1,47,921
10. विटामिन ए की कमी से अन्धेपन से मुक्ति : बच्चे	2,67,730	1,53,702

§10§ स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की चिकित्सा जांच की जाती है और रोगग्रस्त बच्चों को नजदीक वाली स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के लिए भेज दिया जाता है । बच्चों को टाइफाईड तथा टी.टी. के टीके भी लगाए जाते हैं ।

§11§ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय:- वर्ष 1993-94 में इन्दिरा गान्धी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 65 विद्यार्थियों की क्षमता रही । अध्ययन तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से इन्दिरा

गांधी अस्पताल तथा कमला नेहरू अस्पताल इससे सम्बन्धित हैं। इस महाविद्यालय के खुलने से औषधि, शल्य क्रिया, स्त्री रोग व प्रसूति क्षेत्र विज्ञान, रति रोग विज्ञान, दन्त चिकित्सा, आंख नाक व गला चिकित्सा, विकृशा विज्ञान, जीव भौतिक विज्ञान, कार्डियोलॉजी, रेडियोथिरेपी, न्यूरोलॉजी तथा न्यूरोसर्जरी इत्यादि में आम जनता को विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त महाविद्यालय नर्सों, रेडियोग्राफर्स, औषधलमिक सहायक ओ.टी.ए. प्रयोगशाला तकनीकी, फार्मेसिस्ट, दन्त, हाईजिनिस्टस को प्रदेश के औषधालयों व चिकित्सालयों की जरूरतों को मध्यनजर रखते हुए प्रशिक्षण भी देता है । इसके अतिरिक्त आयुविज्ञान महाविद्यालय ग्रामीण तथा कठिन क्षेत्रों के लोगों के लिए **50** बिस्तरों वाला चलता-फिरता अस्पताल चला रहा है तथा इन्टर्नल व प्रशिक्षण ले रही नर्सों को बेहतर क्षेत्रीय प्रशिक्षण दे रहा है ।

आयुर्वेद

10.30 हिमाचल प्रदेश में जनता को भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथिक द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के लिए **2** क्षेत्रीय अस्पताल, **2** वृत अस्पताल, **1** जनजातीय अस्पताल, **7** जिला अस्पताल, एक नेचर क्योर यूनिट, **522** आयुर्वेदिक औषधालय, **3** यूनानी औषधालय तथा **2** होम्योपैथिक औषधालय कार्यरत हैं । वर्ष **1992-93** में इन संस्थाओं में **40,276** अन्तरंग व **33,35,793** बाह्य रोगियों का ईलाज किया गया । इसके अतिरिक्त **2** आयुर्वेदिक फार्मेसियां शास्त्रोक्त दवाईयां तैयार कर राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों व औषधालयों को भेजती रही। इन फार्मेसियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । वर्ष **1992** में इन फार्मेसियों में **115** क्लासिकल औषधियां बनाई गई। इसके साथ ही जोगिन्दरनगर में एक अनुसंधान संस्थान कार्यरत है । कांगड़ा जिले के पपरोला में बी.ए.एम.एस. उपाधियों और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी कार्य कर रहा है जिसकी क्षमता **20** विद्यार्थी प्रति वर्ष हैं । औषधियों की भारतीय पद्धति का यह विभाग अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे मलेरिया उन्मूलन और परिवार कल्याण आदि में भी अपना सहयोग देता रहा है । आयुर्वेदिक संस्थाओं ने पात्र दम्पतियों को प्रेरित करने के लिए परिवार कल्याण शिविर लगाए तथा शल्यक्रिया वाले मामलों की देख रेख के लिए भी शिविर लगाए ।

पौषाहार कार्यक्रम

10.31 समाज तथा स्त्री विभाग द्वारा चलाए गए विशेष पौषाहार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य **6** वर्ष से छोटे बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पौष्टिक आहार प्रदान करना है । इस

कार्यक्रम से इस वर्ष 1,35,000 बच्चे व 30,000 गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ पहुंचाने की आशा है । इस पौष्टिक आहार की लागत 95 पैसे प्रति दिन प्रति बच्चा तथा 1.15 रुपए प्रतिदिन प्रति माता है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार प्रदेश के लिए वर्ष 1993-94 तक 36 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) परियोजना स्वीकृत कर चुकी थी । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य 0-6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना और उनके विकसित मानसिक व सामाजिक जीवन की वृद्ध नींव रखना तथा इसके साथ ही मृत्यु दर को कम करना और स्कूलों के प्रति बच्चों का लगाव पैदा करना है तथा बच्चों के विकास के लिए विभिन्न विभागों के तालमेल से एक प्रभावी नीति बनाना तथा उसे कार्यान्वित करना हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 6 सेवाएं जैसे प्रतिरक्षण, प्रतिपूरक पौषाहार, स्वास्थ्य की देखभाल रैफरल सेवाएं स्वास्थ्य तथा पौषाहार शिक्षा तथा नान-फार्मल प्री स्कूल शिक्षा कार्यरत हैं । इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक योजना के अन्तर्गत लगभग 1.35 लाख बच्चों 0.35 लाख माताओं को लाभ होने की आशा है ।

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

10.32 समाज एवं महिला कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाएं जो नैतिक खतरे में हों, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करना है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

समाज कल्याण

10.33 इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को पैंशन दी जाती है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं और उनकी वार्षिक आय 2,000 रुपए से अधिक नहीं है । यह पैंशन 60 रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है । संशोधित पैंशन कानून के अन्तर्गत वृद्धावस्था पैंशन उन व्यक्तियों को भी दी जाती है जिनके बच्चे हैं परन्तु उनकी मासिक आय 1,000 रुपये से अधिक न हो।अपंग व्यक्तियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और उनको यह पैंशन अपंग राहत भत्ते के रूप में दी जाती है । इसी प्रकार विधवाओं को भी इस पैंशन की प्राप्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं है । वर्ष 1993-94 के दौरान प्रदेश में इस प्रकार के पैंशनरों की संख्या 1,03,971 थी । लगभग 2,000 कुष्ठ रोगी व्यक्तियों को 60 रुपये प्रति मास की दर से वर्ष 1993-94 पुनर्वास भत्ता दिया जा रहा है ।

बाल कल्याण

10.34 निराश्रित बच्चों तथा अनाथों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों को चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संघों द्वारा रिकांग-पिओ, सराहन, सुन्नी, मशोबरा, टूटी कण्डी (शिमला) शिमला, कुल्लू और लाहल (चम्बा), ढल्ली, देहर (मण्डी), भरनाल (मण्डी), चम्बा तथा सोलन में बाल/बालिका आश्रम चलाए जा रहे हैं । परागपुर तथा सुजानपुर में कल्याण विभाग द्वारा 2 आश्रम चलाए जा रहे हैं। इन आश्रमों में रहने वालों को निशुल्क आवास तथा प्रवास के अतिरिक्त मैट्रिक तक शिक्षा दी जाती है । सुन्दरनगर में जेयूवनाइल ऐक्ट, 1986 के अन्तर्गत निराश्रित बच्चों के लिए स्थापित एक जेयूवनाइल/ घर वर्ष 1993-94 के दौरान भी कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त हरोली (ऊना) में एक विशेष स्कूल प्रेक्षण-कम-होम भी कार्यरत है ।

महिला कल्याण

10.35 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैं:-

(क) नारी सेवा सदन.- निराश्रित और राह भटकी लड़कियों के लिए चम्बा, मण्डी, शिमला, कांगड़ा, कल्पा और बिलासपुर में विभाग द्वारा नारी सेवा सदन चलाए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त नाहन में एक नारी सेवा सदन भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाया जा रहा है । इन सदनों में रहने वालों को निशुल्क आवास तथा प्रवास की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त कटाई, सिलाई तथा कढ़ाई में प्रशिक्षण दिया जाता है । ताकि वे आवास छोड़ने के उपरान्त अपनी रोजी-रोटी कमा सकें । ऐसी स्त्रियों के पुनर्वास के लिए तीन हजार रुपये प्रति स्त्री तक की आर्थिक सहायता भी दी जाती है ।

(ख) कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास.- नगरों में कार्यरत महिलाओं को आवास की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से विभाग ने 13 कार्यरत महिला छात्रावासों का निर्माण किया है । यह छात्रावास स्वयंसेवी संगठनों द्वारा केन्द्रीय सरकार के 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार के 25 प्रतिशत अनुदान से निर्मित किए गए हैं ।

(ग) बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए अनुदान.- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी लड़कियों को या तो उनके माता पिता को जिनकी वार्षिक आय 7,500 रुपये से अधिक न हो, 2,500 रुपये प्रति लड़की शादी के लिए अनुदान के रुप में दिये जाते हैं । वर्ष 1993-94 में इस उद्देश्य के लिए 5.00 लाख रुपयों का प्रावधान है और लगभग 200 लड़कियां इससे लाभान्वित होंगी ।

(घ) स्वयं-रोजगार के लिए महिलाओं को सहायता - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 7,500 रुपए से अधिक न हो किसी विशेष व्यवसाय की जानकारी हो या उस व्यवसाय में प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त किया हो, 1,000 रुपये से 2,500 रुपए तक की दर से सहायता दी जाती है। 1993-94 में 1.25 लाख रुपये इस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं और लगभग 50 महिलाओं को सहायता दी जाएगी ।

(ङ) महिला विकास निगम.- प्रदेश में महिलाओं को विभिन्न व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए एक महिला विकास निगम की स्थापना की गई है । वर्ष 1993-94 में इस निगम को 4.00 लाख रुपये दिये गए हैं ।

विकलांग कल्याण

10.36 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांगों के कल्याण के लिए "विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग" योजना के अन्तर्गत 0.70 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । विकलांगों को छात्रवृति दी जाती है और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी आजीविका कमा सके । ऐसे व्यक्तियों को जो अपंगों से शादी करें, 5,000 रुपये की राशी शादी अनुदान के रुप में दी जाती है तथा इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 55,000 रुपए 22 दम्पतियों के लिए रखे गए हैं ।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

10.37 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं:-

(क) तकनीकी छात्रवृतियां.- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रशिक्षणार्थियों जो आई.टी.आई., आर.टी.आई. और अन्य क्लस्टर केन्द्रों इत्यादि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं को 100 रुपये प्रति मास प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1993-94 के दौरान इसके लिए 21.84 लाख रुपए बजट में रखे गए हैं और इससे 1,800 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होंगे ।

(ख) अनुवर्ती कार्यक्रम.- इसके अन्तर्गत उन प्रशिक्षणार्थियों को औजार तथा उपकरण दिये जाते हैं जिन्होंने विभिन्न व्यवसाय में आई.टी.आई. से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कारीगरों को भी लिया जाता है । वर्ष 1993-94 के दौरान 6.60 लाख रुपए के प्रावधान से लगभग 1,020 व्यक्तियों को इससे लाभ पंहुचेगा ।

(ग) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन. अस्पृश्यता को दूर करने के लिए **6,000** रुपए प्रति दम्पति जहां लड़की स्वर्ण जाति की हो और **5,000** रुपये प्रति दम्पति जहां लड़की अनुसूचित जाति की हो दिये जाते हैं जिससे अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिले । वर्ष **1993-94** में इस योजना के अन्तर्गत **3.00** लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग **60** दम्पतियों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है ।

(घ) आवास अनुदान.- इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वर्फ से ढके क्षेत्रों में **10,000** रुपये का अनुदान और **8,000** रुपये अन्य क्षेत्रों में, आवास निर्माण के लिए दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त इस जाति के सदस्यों को उपरोक्त राशि का **50** प्रतिशत घर की मुरम्मत के लिए दिया जाता है । वर्ष **1993-94** में **66.00** लाख रुपये का प्रावधान है और लगभग **802** परिवार लाभान्वित होंगे ।

(ङ.) हरिजन बस्तियों व उनमें रहने की सुविधाओ में सुधार:- इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हों व अनुसूचित जाति के लोग अधिक हों छोटी पेयजल योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि जन स्वास्थ्य विभाग की योजनाओ के द्वारा लाभान्वित नही होते हैं । वर्ष **1993-94** के दौरान **18.00** लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है और लगभग **10** पंचायतों को लाभान्वित किये जाने की संभावना है । दिसम्बर, **1993** तक **12.14** लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं

(च) टाईप व शार्टहैण्ड में निपुणता.- इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पूर्व प्रशिक्षाणर्थियों को विभिन्न कार्यालयों में नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षण देना है ताकि वे अपनी निपुणता को कायम रख सकें । इस प्रकार के प्रशिक्षाणार्थियों की सूची रोजगार केन्द्रों से प्राप्त की जाती है और उसके उपरान्त इनकी विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति की जाती है । वर्ष **1993-94** में इन प्रशिक्षाणार्थियों को **300** रुपये प्रतिमास का वजीफा एक वर्ष तक दिया जाता है । इस योजना के लिए **2.90** लाख रुपये रखे गए हैं जिससे **37** प्रशिक्षणार्थियों को लाभ पहुचेगा ।

(छ) अनुसूचित जाति परिवारों को राहत जो अत्याचारों से पीड़ित हैं.- इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन

पर जातीय आधार पर अन्य परिवारों द्वारा अत्याचार किये गए हों । वर्ष **1993-94** के दौरान इस उद्देश्य के लिए **1.00** लाख रुपए का प्रावधान है ।

(ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम.- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के आर्थिक विकास के लिए प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम की स्थापना की गई है । यह निगम बैंकों की सहायता से अनेक उद्धार कार्यक्रम चला रहा है। वर्ष **1993-94** के दौरान **35.00** लाख रुपये की राशि राज्य हिस्से के रूप में इसके लिए निर्धारित की गई है ।

(च) जनजातीय सलाहकार परिषद.- जनजातीय सलाहकार परिषद माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की प्रगति की चर्चा के लिए गठित की गई है। वर्ष **1993-94** में इस कार्य के लिए **1.00** लाख रुपए रखे गए हैं ।

जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास

10.38 पांचवी योजना की समीक्षा से प्रतीत हुआ है कि अनुसूचित जनजाति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ी हुई है। इसलिए जनजाति उप-योजना को जनजाति के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए **1974-75** के वर्ष से चलाया जा रहा है । उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत **50** प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या के विकास खण्डों का चिन्हांकित करना, राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं एवं संस्थानों से साधनों को आरक्षित करना और इस आरक्षित राशि का विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा सम्पूर्ण करना और उचित प्रशासनिक एवं वित्तीय नीतियों को अपनाना शामिल है ।

10.39 राज्य में किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति जिले समस्त रूप में एवं चम्बा जिला की पांगी और भरमौर तहसील तथा उप-तहसील होली जनजाति है । छठी योजनावधि में संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति का सूत्रपात किया गया जिसके फलस्वरूप चम्बा तथा भटियात तहसीलों के क्षेत्र जनजातीय उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत चिन्हांकित किए गए । छठी योजना में जनजातीय क्षेत्र के सामान्य विकास के बजाय जनजातीय परिवारों की प्रगति पर बल दिया गया । इस प्रकार प्रदेश की **63** प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उप-योजना प्रणाली के अन्तर्गत लाई गई । आठवीं योजना के लिए अब तक अपनाए गए माप दण्ड ही मार्ग दर्शन के आधार रखे गए हैं । जनजातीय उप-योजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य योजना की **8.62** प्रतिशत भाग रखा गया और सातवीं योजना का लक्ष्य **9** प्रतिशत था जबकि वास्तविक उपलब्धि **8.78**

प्रतिशत थी । वार्षिक योजना 1992-93 तथा 1993-94 में यह लक्ष्य क्रमश: 9 प्रतिशत तथा 8.92 प्रतिशत था । वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य की वार्षिक योजना की 550.00 करोड़ रुपये में जनजातीय उप-योजना का भाग 49.50 करोड़ रुपये और विशेष केन्द्रीय सहायता 3.94 करोड़ रुपये थीं । जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 0.13 करोड़ रुपये थी । आर्थिक सेवाओं के क्षेत्रों को अधिकतम प्राथमिकता दी गई । अनुसूचित जनजाति के लोग, जो अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित खण्डों से बाहर रहते हैं, को उपयोजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम 1987-88 के वर्ष में लाया गया जब कि उनको विशेष केन्द्रीय सहायता से लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 1993-94 के लिए 0.26 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं ।

अनुसूचित जाति विकास

10.40 1991 की जन गणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या 13.10 लाख जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 25.34 प्रतिशत हैं, थी । अनुसूचित जाति जनसंख्या बिखरी होने के कारण, इस जाति के लिए व्यक्ति/परिवार/बस्ती आधारित स्कीमें/कार्यक्रम अपनाए गए ताकि (1) इनकी आय तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके, (2) ये व्यवसाय कम अपमानित हों, (3) इनकी शिक्षा का विकास सुनिश्चित किया जाए ताकि रोजी रोटी कमाने के लिए वे दूर के स्थानों में भी जा सकें, साथ ही उनके रहन सहन और वातावरण में सुधार लाया जाए । वर्ष 1979-80 में प्रथम बार प्रदेश में विशेष घटक योजना का अनुपादन किया गया । सातवीं योजनावधि में सकल योजना से 10.90 प्रतिशत राशि विशेष घटक योजना के लिए आरक्षित की गई तथा वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में क्रमश: 10.34 प्रतिशत तथा 12.35 प्रतिशत रही है । यह उपलब्धि भारत सरकार गृह मंत्रालय (अब कल्याण मंत्रालय) द्वारा दी गई, विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण प्राप्त हो सकी । आठवीं योजना के लिए राज्य योजना की राशि सम्पूर्ण राज्य योजना का 12 प्रतिशत रखा गया (अनुसूचित व अनुसूचित घटक के विचार बिना) वर्ष 1993-94 विशेष योजना का आकार 171.75 करोड़ रुपये का था जिसमें राज्य योजना 168.75 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहायता 13.00 करोड़ रुपये थी ।

10.41 विशेष घटक योजना के लिए जिला स्तर (किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर) पर योजना को सामाजिक संचालन हेतु जिला स्तरीय पुनर्वलोकन समितियां गठित की गई हैं ।

10.42 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 1986, के 11वें सूत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति को वर्ष 1993-94 के दौरान 23,420 परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1993 तक 12,523 परिवारों को लाभान्वित किया गया ऐसे लाभार्थियों का सामाजी मूल्यांकन भी किया जाता है ।

11. व्यापार तथा वाणिज्य

वाणिज्यिक बैंकिंग

11.1 सभी शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इनकी संख्या मार्च,1992 को 734 से बढ़कर मार्च,1993 को 742 हो गई । राज्य में कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 146(19.7 प्रतिशत) तथा उसके बाद शिमला जिला में 117(15.8 प्रतिशत) बैंक थे । ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षेत्रों में बैंक शाखाओं को बढ़ाने का कार्य वर्ष 1993 में भी जारी रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या 660 हो गई जो कि राज्य में कुल बैंक कार्यालयों की संख्या का 88.9 प्रतिशत है । यदि इस संख्या को जोड़ा जाए तो राज्य में प्रति बैंक शाखा औसत में जनसंख्या मार्च,1992 की 7,059 से बढ़कर मार्च,1993 में 7,086 हो गई ।

11.2 प्रदेश में शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा राशि मार्च,1992 को 1,590.86 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च,1993 में 1,855.79 करोड़ रुपये हो गई । इस प्रकार इस दौरान इसमें 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सकल बैंक में ऋण राशि मार्च,1992 में 530.11 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च,1993 में 589.42 करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि 11.2 प्रतिशत के लगभग थी । राज्य में ऋण पर दी गई राशि जमा राशि का अनुपात मार्च,1992 के 33.3 प्रतिशत की तुलना मेंमार्च, 1993 में 31.8 प्रतिशत हो गया । राज्य में मार्च,1993 में 88.9 प्रतिशत बैंक कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे परन्तु कुल ऋण का केवल 70.6 प्रतिशत तथा कुल जमा राशि का 70.4 प्रतिशत इन बैंकों द्वारा था । मार्च,1993 में राज्य के जिला कांगड़ा में बैंकों में जमाराशि 25.1 प्रतिशत तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 15.4 प्रतिशत थे । जिला शिमला में बैंकों में जमा राशि 22.4 प्रतिशत तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 24.1 प्रतिशत थे ।

11.3 सभी वाणिज्यिक शेड्यूल्ड बैंकों द्वारा दी गई बकाया ऋण राशि मार्च,1991 के अन्त में 589,26 लाख रुपये थी जो कि मार्च,1990 की बकाया ऋण राशि 464,21 लाख रुपये से 26.9 प्रतिशत अधिक थी । सभी वाणिज्यिक शेड्यूल्ड बैंकों द्वारा दी गई बकाया ऋण राशि के बारे में क्षेत्रानुसार आकड़े मार्च,1990 से मार्च,1991 की अवधि के लिए उपलब्ध हैं । अधिकतर क्षेत्रों में बकाया ऋण राशि में मार्च,1990 व मार्च,1991 के दौरान अधिकता रही । नीचे दी गई तालिका में सभी वाणिज्यिक शेड्यूल्ड बैंकों द्वारा मार्च,1990 व मार्च,1991 के अन्तिम दिन के समूहवार बकाया ऋण राशि के वर्गीकरण के आकड़े दर्शाये गये हैं ।

हिमाचल प्रदेश में सभी शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बकाया ऋण राशि का समूहवार वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र	आखिरी दिन को उधार दी गई बकाया राशि				प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (-) में
	मार्च 1990		मार्च 1991		1990 से 1991 में
	बकाया राशि	कुल से प्रतिशत	बकाया राशि	कुल से प्रतिशत	
1. कृषि	86,87	18.71	100,14	16.99	15.28
2. उद्योग	173,22	37.31	208,35	35.36	20.28
3. परिवहन संचालक	56,91	12.26	76,94	13.06	35.20
4. निजि तथा व्यवसायिक सेवाएं	49,66	10.70	66,40	11.27	33.71
5. व्यापार	64,86	13.97	78,20	13.27	20.57
6. वित्तीय संस्थान	63	0.14	10,11	1.72	1504.76
7. अन्य सभी	32,06	6.91	49,10	8.33	53.15
कुल बैंक उधार	464,21	100.00	589,26	100.00	26.94
जिसमें से लघु उद्योगों को	76,70	16.52	95,32	16.18	24.28

सहकारी बैंक

11.4 हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंकों की मुख्य कार्यालय सहित शाखा कार्यालयों की संख्या मार्च,1993 में 93 थी । सहकारी बैंकों में कुल जमा राशि मार्च,1992 की 21,245.38 लाख रुपये की तुलना में मार्च,1993 में 21,799.71 लाख रुपये हो गई । इस प्रकार इस दौरान इसमें 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, धर्मशाला की मार्च,1992 में 82 शाखाए

जिसमें मुख्यालय भी सम्मिलित हैं जिनकी जमा राशि 12,330.72 लाख रुपए थी जबकि जून,1991 में इसकी 80 शाखाएं ,जिनमें 11,586.86 लाख रुपए जमा राशि थी, कार्यरत थी । इसी प्रकार जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित,सोलन की मार्च,1992 में 16 शाखाएं जिनमें मुख्यालय भी सम्मिलित हैं, थी जिनमें 1,257.64 लाख रुपए की जमा राशि थी जबकि जून, 1991 में यह राशि 1,115.72 लाख रुपये थी।

12. परिवहन तथा संचार

I. राज्य क्षेत्र

सड़कें तथा पुल

12.1 हिमाचल प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास मुख्यत: कुशल संचार एवं सड़क प्रणाली पर निर्भर करता है । सड़कें इस प्रदेश के वासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं । क्योंकि यातायात के अन्य साधन नाममात्र हैं । इसलिए प्रदेश की विकास योजनाओं में सड़क निर्माण को लगातार काफी अधिक महत्व दिया गया है । वर्ष **1993-94** के लिए **5,430.00** लाख रूपए जिसमें **30.00** लाख रूपए केवल बैज, **90.00** लाख रूपये नाहन फाऊंड्री तथा **400.00** लाख रूपये सड़कों के आरक्षण व मुरम्मत के लिए भी शामिल हैं सड़कों तथा पुल निर्माण के लिए अनुमोदित किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर,**1993** तक **4,065.28** लाख रूपए का प्रावधान है । वर्ष **1993-94** का लक्ष्य तथा नवम्बर,**1993** तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं.	मद	इकाई	लक्ष्य 1993-94	उपलब्धियां नवम्बर, 1993 तक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	वाहन चलने योग्य	कि.मी.	290	175
2.	जल निकास	"	125	80
3.	पक्की तथा विरालित सड़कें	"	140	102
4.	जीप चलने योग्य	कि.मी.	25	16
5.	पुल	संख्या	30	11
6.	गांव से जुड़ने वाली मुख्य सड़कें	"	25	10

II. केन्द्रीय क्षेत्र

राष्ट्रीय उच्च मार्ग

12.2 हिमाचल प्रदेश में **760** किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण एवं सुधार हेतू भारत सरकार ने **1,200.00** लाख रूपए की राशि आवंटित की थी । जिसमें से नवम्बर,**1993** तक **456.19** लाख रूपए व्यय किए जा चुके हैं तथा शेष राशि इस वित्तीय वर्ष तक व्यय की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत शिमला से वांगटू राष्ट्रीय उच्च मार्ग-**22** को चौड़ा करना, बड़ोग बाईपास का निर्माण तथा पठानकोट-चक्की-मण्डी मार्ग जिसको पहले ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग-**20** का

नाम दे दिया गया है, को अपग्रेड करने जैसे कार्यों को करने पर विशेष ध्यान दिया गया है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्गों के रख-रखाव तथा बाढ़ वर्षा से हुए नुक्सानों को पूरा करने हेतु 629.45 लाख रुपये की राशि को उपलब्ध करवाया गया है। इन सभी सम्बन्धित पहलुओं पर कार्य तेजी से किए जा रहे हैं ।

गैर आवासीय/आवासीय भवन

12.3 लोक निर्माण विभाग सभी विभागों के गैर आवासीय तथा आवासीय दोनों प्रकार के भवनों के निर्माण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है । वर्ष 1993-94 के लिए गैर-आवासीय भवनों के लिए 'भवन निर्माण कार्यक्रम' के अन्तर्गत् 520.00 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है। इसमें से 340.74 लाख रुपये नवम्बर,1993 तक पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। इसी प्रकार वर्ष 1993-94 के लिए 360 लाख रुपये का प्रावधान आवासीय भवनों के लिए रखा गया है। इसमें से 74.44 लाख् रुपये नवम्बर, 1993 तक पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

रेलवे

12.4 प्रदेश में रेलवे लाईन की कुल लम्बाई, 31 मार्च, 1993 तक 225 किलोमीटर थी, जिसमें छोटी लाईनें शिमला-कालका(96 किलोमीटर(और जोगिन्द्रनगर-पठानकोट (113 किलोमीटर(तथा नगल डैम-ऊना (16 किलोमीटर(बड़ी लाईन है।

नागरिक उड्डयन

12.5 सातवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के भुन्तर में केवल एक हवाई पट्टी थी । इस सीमित हवाई सेवा से हिमाचल प्रदेश के अन्य मुख्य पर्यटन स्थलों जैसे शिमला, धर्मशाला, डलहौजी इत्यादि इससे वंचित रहे जिससे प्रदेश के सामान्य पूर्ण विकास तथा विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने में मुख्य बाधा रही । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जुब्बड़-हट्टी (शिमला(तथा गगल(कांगड़ा(नामक दो हवाई अड्डों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया तथा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया । शिमला हवाई अड्डा मई, 1987 तथा कांगड़ा हवाई अड्डा मई,1990 में चालू किए गए । हवाई अड्डों के निर्माण से कांगड़ा तथा शिमला घाटियों का बाकि देश के साथ वायु मार्ग से सम्पर्क स्थापित हो गया । राज्य में नागरिक उड्डयन के कार्य को सुचारू बनाने के लिये जुब्बड़-हट्टी तथा गगल हवाई पट्टियों को 'एयर पोर्ट एथोरटी ऑफ इण्डिया' को दे दी गई हैं ।

पथ परिवहन

12.6 परिवहन के अन्य स्त्रोत जैसे रेलवे, वायु तथा जल परिवहन न के बराबर होने के कारण पथ परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है । प्रदेश के सभी भागों, पड़ौसी राज्यों तथा केन्द्र शासित

राज्यों के पथों पर, समन्वित आयोजित, पर्याप्त तथा कार्यसाधक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई । इस समय राज्यों में राज्य यात्री परिवहन का विशेषत: पुराने हिमाचल में राष्ट्रीकरण है ।

12.7 वर्ष **1993-94** में नवम्बर, **1993** तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास **1,686** बसें थीं। वर्ष **1992-93** में **1,810** मार्गों की तुलना में वर्ष **1993-94** में **1,892** मार्गों पर बसें चल रही हैं।

तय की गई दूरी

12.8 वर्ष **1993-94** तक निगम की बसों ने **3.15** लाख किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय की जबकि वर्ष **1992-93** में यह दूरी **3.05** लाख किलोमीटर प्रतिदिन थी ।

12.9 इस समय प्रदेश में **21** क्षेत्र तथा **4** मण्डल स्तर के कार्यालय कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त शिमला, मण्डी में **2** मण्डलीय कर्मशालाएं कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त परवाणु तथा जसूर में बसों की बॉडी तथा मुरम्मत का कार्य चल रहा है । इसके अतिरिक्त परवाणु, जसूर तथा मण्डी में टायरों पर ठण्डी रबड़ चढ़ाने का प्लांट भी कार्यरत् है। निगम के **21** क्षेत्रीय डिपो पूरे प्रदेश में परिवहन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष **1992-93** में निगम के राजस्व को बढ़ाने व व्यय में कमी करने हेतु उठाए गए पग वर्ष **1993-94** में भी जारी रहे।

13. सहकारिता

13.1 प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या वर्ष 1991-92 में 4,116 थी जो कि वर्ष 1992-93 में 3.09 प्रतिशत की वृद्धि से 4,243 हो गई है और उनकी अंश पूंजी जो वर्ष 1991-92 में 4,807.00 लाख रुपये थी वर्ष 1992-93 में 9.89 प्रतिशत की वृद्धि से 5,282.41 लाख रुपये हो गई । इन समितियों की जमा पूंजी 1992-93 के दौरान 24.41 प्रतिशत की वृद्धि से 51,749.65 लाख रुपये हो गई जो कि वर्ष 1991-92 में 41,596.00 लाख रुपये थी । अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण(कृषि और गैर कृषि) जो 1991-92 में 4,858.58 लाख रुपये थे बढ़कर 1992-93 में 7,544.03 लाख रुपये हो गये । जो कि कुल 55.27 प्रतिशत अधिक थे, जबकि दीर्घ कालीन ऋण 31-3-1992 को 343.81 लाख से बढ़कर 31-3-93 को 413.20 लाख रुपये हो गये । कार्यरत पूंजी में 1991-92 से 1992-93 के दौरान 19.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई । नीचे दी गई तालिका में हिमाचल प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों की प्रगति को दर्शाया गया है ।

सहकारिता की प्रगति

(लाख रुपयों में)

क्रम	मद	1991-92	1992-93	वर्ष 1991-92 से प्रतिशत वृद्धि/कमी
1.	2.	3.	4.	5.
1.	समितियों की संख्या	4,116	4,243	3.09
2.	सदस्यता(लाखों में)	10.30	10.70	3.88
3.	अंश पूंजी	4,807.00	5,282.41	9.89
4.	जमा पूंजी	41,596.00	51,749.65	24.41
5.	कुल अल्प कालीन व मध्य कालीन ऋण वितरित(कृषि तथा गैर कृषि ऋण)	4,858.58	7,544.03	55.27
6.	दीर्घ कालीन ऋण वितरित	343.81 (31.3.92 तक)	413.20 (31.3.93 तक)	20.18
7.	कृषि उपज का विपणन मूल्य	2,362.64	3,286.32	39.10

1.	2.	3.	4.	5.
8. फुटकर वितरण:				
(क)	उपभोक्ता वस्तुएं	6,698.75	9,062.45	35.28
(ख)	कृषि उर्वरक	1,166.30	1,508.00	29.30
9. ग्रामीण जनसंख्या की भागीदारी	(प्रतिशत)	100	100	-

सहकारी समितियों के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है:-

सहकारी ऋण

13.2 सहकारी ऋण हिमाचल प्रदेश ग्रामीण कृषि विकास बैंक, लिमिटिड शिमला तथा प्राथमिक ग्रामीण कृषि विकास बैंक लिमिटिड, धर्मशाला द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं । यह दीर्घकालीन ऋण किसानों को विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिये दिये जाते हैं ।

उपभोक्ता वस्तुओ का वितरण

13.3 प्राथमिक समितियां प्रदेश के विशेषकर दूर-दराज तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को उपयोग की आवश्यक वस्तुओ का वितरण उचित मूल्यों पर करती हैं ।

आदानों की आपूर्ति

13.4 सहकारी समितियां किसानों को उचित मूल्य पर विभिन्न कृषि आदानों जैसे उर्वरक, तथा उन्नत बीज आदि की आपूर्ति करती है।

14. स्थानीय निकाय

14.1 भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में पंचायतें जो गांव की मूल संस्थाएं है ग्रामीण लोगों की आर्थिक दशा सुधारने में मुख्य भूमिका निभाती हैं । अतः इन प्रमुख प्रजातंत्र संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है । योजनाओं को बनाने तथा इनकी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सक्रीय रूप में शामिल किये बिना हम ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तथा भौतिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग के बारे में कभी भी सोच नहीं सकते ।

14.2 वर्ष **1993-94** के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित कार्य किए गए:-

1. पंचायत घरों की मुरम्मत ।
2. पंचायत पुस्तकालयों को सहाय अनुदान ।
3. पंचायतों को नगरपालिका सम्बन्धी कार्यों के लिए अनुदान
4. पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण
5. पंचायत समिति तथा जिला परिषद के भवनों का निर्माण/मुरम्मत ।
6. गृह कर के बराबर सहाय अनुदान ।
7. ग्राम के अध्यक्ष/उप-अध्यक्ष को मानदेय
8. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना चलाई गई ।

नगरपालिकाएं

14.3 प्रदेश में इस समय नगर निगम शिमला सहित **50** शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत हैं । इन शहरी स्थानीय निकायों की आय के साधन सीमित होने के कारण सरकार प्रतिवर्ष नागरिक सुख-सुविधा प्रदान करने हेतु अनुदान देती है । वर्ष **1993-94** के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को **838.64** लाख रुपए ह**328.29** लाख रुपए योजना के अन्तर्गत तथा **510.35** लाख गैर-योजना के अन्तर्गतह अनुदान दिए जाने का बजट में प्रावधान है जो कि स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के रख-रखाव और विकास कार्यों के लिए अनुदान रूप में स्वीकृत किए जाते हैं ।

14.4 अप्रैल, **1982** में चुंगी के समाप्त कर देने के कारण शहरी स्थानीय निकायों की आय कम हो जाने से सरकार अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। ताकि इनका कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा सके । वर्ष **1993-94** में इनके लिये **353.10** लाख रुपए का प्रावधान है । नागरिक सुरक्षा अधिनियम,**1955** के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव वाले शौचालयों में परिवर्तित करने की केन्द्रीय परिगणित योजना प्रदेश के **13** शहरों में चलाई जा रही है । वर्ष **1993-94** में शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव वाले शौचालयों में

परिवर्तित करने के लिए **40.00** लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अक्तूबर, **1993** तक **12,652** शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव वाले शौचालयों में परिवर्तित किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप **432** सफाई कर्त्तामों को सिर पर गन्दगी ढोने के अप्रतिष्ठित कार्य से छुटकारा दिलाया गया ।

14.5 शहरी मूल सुविधा सेवाएं प्रदेश के पांच शहरों में केन्द्र की सहायता से चलाई गई है । इस योजना का **40** प्रतिशत भाग राज्य सरकार, तथा **60** प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन शहरों के पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं तथा बच्चों के बहुमुखी विकास तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है । वर्ष **1991-92** से इस योजना को हमीरपुर तथा चम्बा में भी चलाया जा रहा है तथा वर्ष **1993-94** में इस योजना के अन्तर्गत **9.00** लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण दिलाने तथा रोजगार दिलाने का कार्य जारी रहा । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष **1993-94** में **42.00** लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ।

14.6 वर्ष **1993-94** में विकास कार्यों के कार्यन्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित राशि अनुदान के रूप में आवंटित की गई है:-

(लाख रुपयों में)

लेखा शीर्ष	योजना	गैर योजना	जोड़
3054-सड़कें व पुल	**31.00**	**62.10**	**93.10**
2215-जल आपूर्ति	**82.00**	**14.19**	**96.19**
2217-शहरी विकास	**203.29**	**45.00**	**248.29**
जोड़	**316.29**	**121.29**	**437.58**

15. विशेष अध्ययन

§क§ आर्थिक गणना-1990

15.1 अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र की सुदृढ़ व व्यवस्थित विकास योजनाओ के लिये व्यापक व विश्वनीय आकड़ा आधार का होना अति आवश्यक है । कृषि क्षेत्र में आधार सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है किन्तु गैर-कृषि क्षेत्र में आंकड़ों की नियमित प्राप्ति केवल कुछ ही संगठित व्यवसायों तक सीमित है । अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्र के लिये भी नियमित रूप से विस्तृत सूचना उपलब्ध करने के उद्देश्य से भारत सरकार, योजना मंत्रालय के आधीन केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने वर्ष **1977** में "आर्थिक गणना व सर्वेक्षण" नामक एक योजना प्रारम्भ की। इसी योजना के अन्तर्गत देश भर में गैर कृषि उद्यमों से सम्बन्धित सूचना एकत्र करने के लिये प्रथम आर्थिक गणना वर्ष **1977** में, द्वितीय गणना वर्ष **1980** में व तृतीय आर्थिक गणना वर्ष **1990** में की गई ।

15.2 अन्य सभी राज्यों की भान्ति हिमाचल प्रदेश में भी आर्थिक गणना का समस्त कार्य अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा किया गया। दूसरी आर्थिक गणना की तरह आर्थिक गणना **1990** का सर्वेक्षण कार्य भी मितव्ययता व समय की बचत को ध्यान में रखते हुए जनगणना-**1991** के मकान सूचीकरण के साथ-2 किया गया। इस आर्थिक गणना में कृषि व गैर कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन तथा बागान से सम्बन्धित कार्यकलापों को छोड़ अन्य सभी उद्यमों का अध्ययन किया गया। गणना के दौरान उद्यमों की स्थिति, उद्यम में किए जाने वाले कार्यकलाप का वर्णन, संकार्य का स्वरूप, स्वामित्व का प्रकार, स्वामी का सामाजिक वर्ग, कार्यकलाप के लिये प्रयुक्त शक्ति/ईधन और उद्यम में कार्यरत कुल श्रमिकों एव सामान्यत: भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के विषय में सूचना एकत्र की गई ।

सभी उद्यम

15.3 आर्थिक गणना से यह प्रकट हुआ कि प्रदेश में **1,82,981** उद्यम थे जिनमें **4,68,650** लोगों को रोजगार प्राप्त था। इन उद्यमों में से, **1,75,875** उद्यमों §96.1 प्रतिशत§ में **4,56,668** §97.4 प्रतिशत§ व्यक्ति गैर कृषि क्षेत्र और शेष **7,106** §3.9 प्रतिशत§ उद्यमों में जिनमें **11,982** §2.6 प्रतिशत§ व्यक्ति §फसल उत्पादन एवं बागान के अतिरिक्त§ कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे। **35,414** §19.4 प्रतिशत§ उद्यम शहरी क्षेत्र में थे तथा **1,47,567** §80.6 प्रतिशत§ उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थे । कुल उद्यमों में से **1,24,264** §67.9 प्रतिशत§ उद्यम ऐसे थे जिनका स्वामित्व पारिवारिक सदस्यों के पास ही था तथा उनमें से कोई भी भाड़े वाला मजदूर कार्य नहीं कर रहा था। शेष **58,717** §32.1 प्रतिशत§ प्रतिष्ठान थे। §प्रतिष्ठान से अभिप्राय ऐसे उद्यम से है जिसमें

कम से कम एक व्यक्ति अवश्य भाड़े की मजदूरी पर कार्य करता हो।

15.4 इससे यह भी प्रकट होता है कि 1,47,567 ग्रामीण उद्यमों में से 1,40,719 (95.4 प्रतिशत) उद्यम गैर कृषि क्षेत्र में थे, और शेष 6,848 (4.6 प्रतिशत) उद्यम कृषि क्षेत्र मे थे । ग्रामीण क्षेत्र के 1,40,719 गैर कृषि उद्यमों में से 97,832 (69.5 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यम थे और बाकी प्रतिष्ठान थे । इसी तरह 6,848 कृषि उद्यम जो ग्रामीण क्षेत्र में थे, उनमें से 5,927 (86.5 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यम थे और बाकी 921 प्रतिष्ठान थे जिन्होंने भाड़े पर एक या अधिक श्रमिक रखे थे ।

15.5 शहरी क्षेत्रों में उद्यमों की स्थिति कुछ भिन्न है। 35,414 शहरी उद्यमों में से 35,156 (99.3 प्रतिशत) उद्यम गैर कृषि उद्यम थे और बाकी 258 केवल (0.7 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र में थे । इससे यह प्रकट होता है कि शहरी क्षेत्र में सारा कार्यकलाप गैर कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित था । 258 शहरी कृषि उद्यमों में से 192 स्वकार्यरत उद्यम थे और केवल 66 प्रतिष्ठान थे ।

रोजगार

15.6 समस्त प्रदेश में, भिन्न-2 आर्थिक कार्यकलापों में लगभग 1.83 लाख उद्यमों में लगभग 4.69 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था। 1,24,264 स्वकार्यरत उद्यमों में 1,53,395 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ, अतः प्रति स्वकार्यरत उद्यम में औसतन रोजगार 1.23 व्यक्ति रहा । इसके विपरीत 58,717 प्रतिष्ठानों में 3,15,255 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ तथा प्रति प्रतिष्ठान औसतन रोजगार 5.36 व्यक्ति रहा, इनमें से भाड़े पर रोजगार का भाग प्रति प्रतिष्ठान 4.97 व्यक्ति रहा । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित उद्यमों की संख्या तथा उनमें रोजगार स्थिति तालिका 15.1 में दर्शाई गई है ।

तालिका: 15.1 हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित उद्यमों की संख्या तथा उनमें कार्यरत व्यक्ति

उद्यम का प्रकार और कार्यरत व्यक्ति	ग्रामीण		शहरी		कुल संख्या
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. कृषि कार्यकलाप					
(क) कुल उद्यम	6848	96.4	258	3.6	7106
1. स्वकार्यरत उद्यम	5927	96.9	192	3.1	6119
2. प्रतिष्ठान	921	93.3	66	6.7	987

1.	2.	3.	4.	5.	6.
(ख) सामान्यत: कार्यरत					
व्यक्तियों की संख्या	11492	96.0	490	4.0	11982
1. स्वकार्यरत उद्यम	8861	97.0	272	3.0	9133
2. प्रतिष्ठान	2631	92.3	218	7.7	2849
(ग) कुल भाड़े के श्रमिक	2194	93.0	166	7.0	2360
2. गैर-कृषि कार्यकलाप					
(क) कुल उद्यम	140719	80.0	35156	20.0	175875
1. स्वकार्यरत उद्यम	97832	82.8	20313	17.2	118145
2. प्रतिष्ठान	42887	74.3	14843	25.7	57730
(ख) सामान्यत: कार्यरत					
व्यक्तियों की संख्या	300722	65.9	155946	34.1	456668
1. स्वकार्यरत उद्यम	117537	81.5	26725	18.5	144262
2. प्रतिष्ठान	183185	58.6	129221	41.4	312406
(ग) कुल भाड़े के श्रमिक	170504	58.9	118952	41.1	289456
3. कृषि तथा गैर-कृषि कार्यकलाप					
(क) कुल उद्यम	147567	80.6	35414	19.4	182981
1. स्वकार्यरत उद्यम	103759	83.5	20505	16.5	124264
2. प्रतिष्ठान	43808	74.6	14909	25.4	58717
(ख) सामान्यत: कार्यरत					
व्यक्तियों की संख्या	312214	66.6	156436	33.4	468650
1. स्वकार्यरत उद्यम	126398	82.4	26997	17.6	153395
2. प्रतिष्ठान	185816	58.9	129439	41.1	315255
(ग) कुल भाड़े के श्रमिक	172698	59.2	119118	40.8	291816

नोट:- स्तम्भ 3 तथा स्तम्भ 5 में दिए गए आंकड़े क्षैतिज योग से प्रतिशत दर्शाते हैं ।

15.7 गैर कृषि उद्यमों का मुख्य कार्यकलाप के अनुसार वितरण का विश्लेषण करने से यह प्रतीत होता है कि परचून व्यापार, विनिर्माण, सामुदायिक और सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या के अनुसार तीन मुख्य आवश्यक कार्यकलाप थे । इन तीनों कार्यकलापों में प्रदेश के **80** प्रतिशत उद्यम थे जिनमें से व्यापार में **29** प्रतिशत, विनिर्माण में **28** प्रतिशत तथा सामुदायिक, वैयक्तिक और सामाजिक सेवाओं में **31** प्रतिशत उद्यम लगे हुए थे ।

15.8 **1,75,875** गैर कृषि उद्यमों में से लगभग **80** प्रतिशत उद्यम **1,40,619** उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे तथा बाकी **20** प्रतिशत **35,156** उद्यम शहरी क्षेत्रों में थे ।

15.9 आर्थिक गणना-1990 के परिणामों से यह भी पता चलता है कि कुल गैर-कृषि उद्यमों में से अधिकतर उद्यम स्वकार्यरत उद्यम थे । 67.2 प्रतिशत उद्यम स्वकार्यरत उद्यम थे तथा 32.8 प्रतिशत प्रतिष्ठान थे। कुल गैर कृषि उद्यमों में संचार में प्रतिष्ठानों की संख्या प्रतिशतता के अनुसार सबसे अधिक 99.8 प्रतिशत थी, बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति (94.0 प्रतिशत), भण्डारण तथा गोदाम (76.4 प्रतिशत), वित्त, बीमा व स्थावर सम्पदा व व्यापारिक सेवाएं (75.2 प्रतिशत), खनन तथा उत्खनन (69 प्रतिशत), सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओ में (59 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे । अन्य शेष कार्यकलाप समूहों में कुल प्रतिष्ठानों की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से कम थी। विनिर्माण क्षेत्र में सबसे कम (15 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे ।

15.10 नीचे दी गई तालिका 15.2 में उद्यमों की कुछ मुख्य विशेषताएं, जैसे कि उद्यम का स्वामित्व, प्रचालन तथा स्थिति दर्शाई गई हैं। इस तालिका से यह पता चलता है कि कुल 1,82,981 उद्यमों में से, केवल 14,933 उद्यम (8.2 प्रतिशत) मौसमी उद्यम थे और 7.6 प्रतिशत उद्यम बिना अहाते के कार्यरत थे । कुल मिलाकर 67.7 प्रतिशत उद्यम अपने आर्थिक कार्यकलाप बिना ऊर्जा/ईंधन के चल रहे थे। कुल उद्यमों में से 18.1 प्रतिशत उद्यमों के स्वामी अनुसूचित जाति के थे तथा केवल 3.0 प्रतिशत उद्यमों का स्वामित्व अनुसूचित जनजातियों के पास था ।

तालिका 15.2 : हिमाचल प्रदेश में उद्यमों की चयनित विशेषताएं

मद	ग्रामीण		शहरी		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. कुल उद्यम	147567	80.6	35414	19.4	182981	100.0
2. उद्यम						
(1) मौसमी	14274	95.6	659	4.4	14933	100.0
(2) बिना अहाते के कार्यरत	12007	86.3	1901	13.7	13908	100.0
(3) बिना ऊर्जा/ईंधन के कार्यरत	96880	78.2	27063	21.8	123943	100.0
3. उद्यमों का स्वामित्व						
(1) अनुसूचित जाति	29498	88.9	3692	11.1	33190	100.0
(2) अनुसूचित जनजाति	5068	91.9	447	8.1	5515	100.0

जिलावार स्थिति

15.11 आर्थिक गणना-1990 के आंकड़ों से प्रतीत होता है कि सभी जिलों में से कांगड़ा जिले में कुल उद्यमों में से सबसे अधिक 22 प्रतिशत उद्यम थे, द्वितीय स्थान मण्डी जिले का (14 प्रतिशत), शिमला (13 प्रतिशत), सोलन (8 प्रतिशत), चम्बा, हमीरपुर, ऊना तथा सिरमौर (प्रत्येक का 7.0 प्रतिशत), कुल्लू (6 प्रतिशत), बिलासपुर (5 प्रतिशत), किन्नौर (2 प्रतिशत), तथा लाहौल एवं स्पिति जिले में (केवल 1.0 प्रतिशत) उद्यम थे । जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या की बात है, कांगड़ा जिले में सबसे अधिक ग्रामीण उद्यम (24 प्रतिशत) थे तथा द्वितीय स्थान पर मण्डी जिले में (15 प्रतिशत) ग्रामीण उद्यम थे। शहरी उद्यमों में, शिमला जिले में सबसे अधिक (20 प्रतिशत) उद्यम थे तथा कांगड़ा का द्वितीय स्थान (15 प्रतिशत) था। प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे, प्रदेश में 36 उद्यम थे। जिला-वार उद्यमों की संख्या तालिका 15.3 में दर्शाई गई हैं ।

तालिका 15.3 : हिमाचल प्रदेश में जिलावार उद्यमों का वितरण

जिला	स्वकार्यरत उद्यम						प्रतिष्ठान					
	कृषि			गैर-कृषि			कृषि			गैर-कृषि		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. चम्बा	613	5	618	6623	861	7484	30	1	31	3944	1312	5256
2. कांगड़ा	1683	23	1706	24126	3471	27597	326	11	337	8733	1736	10469
3. हमीरपुर	511	17	528	8020	1443	9463	82	2	84	2425	853	3278
4. ऊना	68	12	80	7040	2179	9219	28	11	39	2541	999	3540
5. बिलासपुर	489	6	495	5672	1054	6726	115	3	118	1941	644	2585
6. मंडी	953	21	974	15328	2592	17920	88	8	96	5394	1606	7000
7. कुल्लू	403	37	440	5365	1631	6996	48	10	58	2456	1362	3818
8. लाहौल-स्पिति	33	-	33	856	-	856	5	-	5	1024	-	1024
9. शिमला	547	46	593	9548	3441	12989	57	11	68	6113	3633	9746
10. सोलन	297	3	300	6567	1886	8393	110	6	116	3296	1624	4920
11. सिरमौर	329	22	351	6577	1755	8332	29	3	32	3387	1074	4461
12. किन्नौर	1	-	1	2170	-	2170	3	-	3	1633	-	1633
हिमाचल प्रदेश	5927	192	6119	97832	20313	118145	921	66	987	42887	14843	57730

कुल उद्यम

जिला	ग्रामीण	प्रतिशत	शहरी	प्रतिशत	योग
1.	14.	15.	16.	17.	18.
1. चम्बा	11210	7	2179	6	13389
2. कांगड़ा	34868	24	5241	15	40109
3. हमीरपुर	11038	7	2315	6	13353
4. ऊना	9677	6	3201	9	12878
5. बिलासपुर	8217	6	1707	5	9924
6. मण्डी	21763	15	4227	12	25990
7. कुल्लू	8272	6	3040	9	11312
8. लाहौल-स्पिति	1918	1	-	-	1918
9. शिमला	16265	11	7131	20	23396
10. सोलन	10210	7	3519	10	13729
11. सिरमौर	10322	7	2854	8	13176
12. किन्नौर	3807	3	-	-	3807
हिमाचल प्रदेश	47567	100	35414	100	182981

आर्थिक गणना-1990 की आर्थिक गणना-1980 से तुलना

15.12 आर्थिक गणना-1990 की मदों का कार्यक्षेत्र तथा क्षेत्र विस्तार आर्थिक गणना-1980 के समरूप था । दोनों आर्थिक गणनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि पिछले दशक में उद्यमों की संख्या में 31.4 प्रतिशत की वृद्धि है, क्योंकि 1990 में उद्यमों की संख्या 1,82,981 हो गई जो कि आर्थिक गणना-1980 के अनुसार 1,39,342 थी । प्रदेश में, आर्थिक गणना-1980 के अनुसार 6,753 कृषि उद्यम तथा 1,32,589 गैर कृषि उद्यम थे जो कि आर्थिक गणना-1990 के अनुसार क्रमशः 7,106 तथा 1,75,875 हो गए। 1980 में, ग्रामीण उद्यम कुल उद्यमों का 83 प्रतिशत थे तथा 1990 की आर्थिक गणना के अनुसार लगभग 81 प्रतिशत थे । पिछले दशक में, रोजगार ढांचे में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की प्रतिशतता 1980 में 69 प्रतिशत थी जो कि 1990 में कुछ कम हो कर 67 प्रतिशत हो गई । तथापि, 1980 की तुलना में 1990 में सभी उद्यमों में कुल श्रमिकों की संख्या 3.44 लाख से बढ़कर 4.69 लाख हो गई। 1990 में भाड़े के श्रमिकों की संख्या 2.92 लाख हो गई जो कि 1980 में 2.04 लाख थी ।

15.13 1980 की आर्थिक गणना के अनुसार, ऐसे उद्यमों की

संख्या, जिनका स्वामित्व अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के पास था, क्रमश: 4,550 और 21,710 थी जो कि 1990 में बढ़कर क्रमश: 5,515 और 33,190 हो गए । बिना अहाते के उद्यमों की संख्या आर्थिक गणना-1980 के अनुसार 14,267 थी जो कि 1990 में घट कर 13,908 हो गई । इसी तरह, मौसमी उद्यमों की संख्या घट कर 14,933 हो गई, जो कि 1980 की आर्थिक गणना के अनुसार 17,064 थी ।

॥ख॥ हिमाचल प्रदेश में पर्यटक यातायात सर्वेक्षण 1990

15.14 पर्यटन एक उद्योग के रूप में देश के विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से विकसित हो रहा है । पर्यटन विशेष कर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां का अलौकिक एवं कुंवारा सौन्दर्य, समृद्ध संस्कृति, खुशहाल, भोले-भाले व सत्कारशील लोग सभी प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम हैं । पर्यटन के विकास से स्थानीय लघु उद्योगों के विकास में भी मदद मिलती है । यहां के लघु उद्योगों के प्रसिद्ध उत्पाद हैं सुन्दर शालें, हिमाचली टोपियां, गेहने लकड़ी की बनी वस्तुएं जिन में पर्यटक रुचि लेते हैं तथा जिन्हें इस भ्रमण को स्मरणीय बनाने के लिये खरीदते हैं ।

15.15 परन्तु प्रदेश में पर्यटकों का आवागमन, आयु, व लिंगवार विभाजन, उद्गम स्थान, ठहराव अवधि, व्यय का ढंग तथा परिवहन, आवास, भोजन एवं पेय पदार्थ पर व्यय एवं हिमाचल से खरीद आदि के आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन व वितरण के लिये कोई भी नियमित संस्था कार्यरत नहीं है । इस के अलावा उन की रुचि, अरुचि व पर्यटन विकास के लिये सुझाव आदि एकत्र करने की भी व्यवस्था नहीं है ।

कार्य क्षेत्र एवं विस्तार

15.16 अर्थ एवं सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश ने 12 जिला मुख्यालयों तथा 29 अन्य महत्वपूर्ण चयनित स्थलों पर वर्ष 1990 में पर्यटक यातायात पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सर्वेक्षण किया। इन स्थलों का चयन पर्यटन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश से विचार विमर्श करके किया गया । सर्वेक्षण के लिये उचित प्रतिदर्श अभिकल्प बनाया गया । फलस्वरूप 28 प्रतिशत निजी होटल, 80 प्रतिशत पर्यटन निगम के होटल व बंगले तथा 50 प्रतिशत धर्मशालाएं व लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह इस सर्वेक्षण की परीधि में शामिल किए गए ।

15.17 पर्यटक वह व्यक्ति माना गया जो अपने सामान्य निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की यात्रा पर रहा और कम से कम एक रात्रि का ठहराव होटल, धर्मशाला, विश्राम गृह, निरीक्षण हट, गैस्ट हाऊस आदि में हो ।

15.18 इस रिपोर्ट में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वह अर्थ एवं सांख्यिकीय विभाग के अपने विचार हैं और यह आवश्यक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी इन विचारों से सहमत हो ।

पर्यटक यातायात सर्वेक्षण- 1990 के प्रमुख परिणाम

15.19 सर्वेक्षण के परिणाम 844 पर्यटक दलों जिन में 2416 पर्यटक (2273 स्वदेशी व 143 विदेशी) शामिल हैं, से 41 पर्यटक केन्द्रों पर साक्षात्कार कर के प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं । इस के अतिरिक्त चयनित होटलों व पर्यटकों के ठहराव के अन्य स्थानों के आगन्तुक रजिस्टरों में से पर्यटकों का विवरण वर्ष 1988-89 व 1989-90 के लिये एकत्र किया गया ।

सर्वेक्षण के कुछ मुख्य एवं महत्वपूर्ण परिणाम निम्न प्रकार से हैं:-

1. हिमाचल प्रदेश में चयनित पर्यटकों में से लगभग 21 प्रतिशत पर्यटक आयोजित प्रवास के अन्तर्गत यहां पहुंचे और अन्य पर्यटक अपने प्रयास से ही आये ।
2. (क) भारतीय प्रतिदर्श पर्यटकों का औसत ठहराव 3.5 दिवस जबकि विदेशियों का 5.1 दिवस था ।
   (ख) प्रतिदर्श पर्यटकों में लगभग 65 प्रतिशत पुरुष व 35 प्रतिशत महिलाएं थीं ।
3. हिमाचल प्रदेश में लगभग 56 प्रतिशत, प्रतिदर्श पर्यटकों के दल का आकार चार या चार से अधिक व्यक्ति का था, केवल 11 प्रतिशत प्रतिदर्श पर्यटक 'एक व्यक्ति' वाले दल के आकार में आए और बाकी प्रतिदर्श पर्यटक 'दो या तीन व्यक्ति' वाले दल में आए ।
4. विदेशी पर्यटकों में 34 प्रतिशत संख्या ब्रिटेन, 8 प्रतिशत आस्ट्रेलिया, 7 प्रतिशत जर्मनी और 6 प्रतिशत कैनेडा व स्वीडन तथा शेष अन्य देशों के नागरिकों की थी ।
5. स्वदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक 90 प्रतिशत उत्तरी भारत (उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश मिला कर 8 से थे और शेष पर्यटक देश के अन्य राज्यों से आए ।
6. भारतीय प्रतिदर्श पर्यटकों में 52 प्रतिशत उद्योग व व्यापार तथा 29 प्रतिशत सेवा कार्यों से सम्बन्धित थे । विदेशी पर्यटकों में सब से अधिक पर्यटक, 30 प्रतिशत विद्यार्थी थे ।
7. भारतीय प्रतिदर्श पर्यटकों में से करीब 45 प्रतिशत (37 प्रतिशत विदेशी) प्राईवेट होटलों में, 11 प्रतिशत (28

प्रतिशत विदेशी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की आवास सुविधा में ठहरे हुए थे ।

8. अधिकांश भारतीय।44 प्रतिशत। व विदेशी ।43 प्रतिशत। पर्यटक 50 रुपये प्रतिदिन की किराया दरों वाली आवास सुविधा में ठहरे हुए थे । लगभग 2 प्रतिशत भारतीय व 4 प्रतिशत विदेशी पर्यटक 500 रुपये से अधिक किराया दरों वाली आवास सुविधा में ठहरे हुए थे ।

9. 60 प्रतिशत भारतीय व 73 प्रतिशत विदेशी पर्यटक मनोरंजन व दृश्यावलोकन के लिये आए थे । करीब 18 प्रतिशत भारतीय पर्यटक सामाजिक व धार्मिक कार्यों से आए थे ।

10. 43 प्रतिशत भारतीय पर्यटकों की तुलना में 85 प्रतिशत विदेशी पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार आए । बार-2 हिमाचल में पर्यटन के लिये आने वाले पर्यटक 57 प्रतिशत थे ।

11. भारतीय पर्यटक का परिवहन, आवास तथा भोजन एवं पेय पदार्थों पर औसत व्यय 560 रुपये पाया गया जबकि इन मदों पर विदेशी पर्यटकों का व्यय 621 रुपये था। वर्ष 1989-90 में पर्यटकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में 150 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है ।

इस के अतिरिक्त 32 प्रतिशत भारतीय प्रतिदर्श पर्यटकों व 47 प्रतिशत विदेशी पर्यटकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1989-90 में लगभग 18 करोड़ रुपयों की खरीददारी के अनुमान हैं ।

12. पर्यटकों के हिमाचल प्रदेश में आगमन के अनुमान आगन्तुक रजिस्टरों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1988-89 में अनुमानित पर्यटकों की संख्या 20.54 लाख हैं जो कि वर्ष 1989-90 में बढ़कर 26.68 लाख हो गई । इस में 0.49 व 0.59 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं ।

15.20 पर्यटकों द्वारा पर्यटक केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हेतु उन के सुझाव वैसे तो स्थल विशेष हैं फिर भी उन के सामान्य सुझाव यहां संक्षिप्त में प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

1. पर्यटक स्थलों पर शौचालयों की सफाई की व्यवस्था ।
2. सन्तोषजनक पेयजल की उपलब्धता ।

3. टैक्सियों को मीटर लगवाना ।
4. पर्याप्त उचित बस सेवा व सीटों की आरक्षण सुविधा।
5. जगह-2 पर सार्वजनिक टैलिफोन व्यवस्था ।
6. मनोरंजन केन्द्रों/स्थलों का विकास ।
7. पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था ।
8. बैंकिंग व विनिमय की सुविधा ।
9. हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियों का कैलेंडर बनवाना तथा पर्यटक साहित्य/नक्शों का वितरण ।
10. शीतकालीन खेलों व जल-क्रिड़ाओं का विकास ।
11. चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता में सुधार ।

Month	Wholesale Price Index Numbers (Base:1981-82=100)			
	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
April	172.8	192.8	219.5	234.6
May	174.3	194.8	221.6	237.0
June	176.9	198.4	224.1	239.8
July	179.3	202.8	226.6	239.7
August	180.2	209.2	228.8	243.5
September	180.9	210.4	230.7	247.8(P)
October	183.3	210.2	232.4	249.8(P)
November	185.1	212.4	231.4	251.3(P)
December	186.6	213.2	231.4	250.3(P)
January	189.6	215.3	231.6	250.7(P)
February	191.6	216.4	232.8	
March	191.7	217.7	233.1	
Average	182.7	207.8	228.7	
Average from April to January	180.9 (26.1.91)	206.0 (25.1.92)	227.8 (30.1.93)	244.5 (29.1.94)

9.4 A measure of price stability is essential for sustaining the momentum of growth, ensuring equitable distribution of the benefits. Inflation hurts the poor most since their incomes are not indexed to prices. Among the principal factors which have helped to contain inflation during the current year are strict control of the fiscal deficit, liberalisation of imports, a tight monetary policy, augmentation of domestic stocks of wheat and rice and relaxation of import compression measures to boost industrial production.

9.5 The price situation in Himachal Pradesh remained under constant watch and the prices were not allowed to increase much because the Food and Civil Supplies department of the Pradesh has been keeping constant vigil on the price situation and the essential consumer commodities were supplied to the public through a net work of 3,438 fair price shops. Further, in order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption , the State Govt. is vigorously enforcing various Orders/Acts. A system of regular weekly monitoring of prices of essential commodities also continued during the year so that effective measures could be taken in time to check undue price rise.

10. CIVIL SUPPLIES AND SOCIAL SERVICES

10.1 During 1993-94, the public distribution system was made more effective. Besides foodgrains, controlled commodities such as levy sugar, controlled cloth, edible oils,pulses,salt, tea leaves,exercise books, stationery and kerosene oil, etc. were supplied to the people through the public distribution system during the year.

Public Distribution System

10.2 The Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation has been established for wholesale procurement of essential commodities from the central godowns and other sources and to make available the same through fair price shops for further distribution to the public. The corporation is handling the distribution of essential commodidies through a net work of 3,438 fair price shops. Out of 3,438 fair price shops as many as 2,693 fair price shops were being run by the co-operative sector, 557 fair price shops by the individuals, 63 by panchayats and 125 by the H.P. State Civil Supplies Corporation upto December,1993. From January to November, 1993 the sales turnover of the State Civil Supplies Corporation reached a level of Rs.96.93 crore.

Storage and Preservation

10.3 For storage of Government foodgrains and other essential commodities, 43 godowns with storage capacity of 12,750 tonnes have been constructed at different places of the Pradesh. In addition, upto November, 1993, 5,119 tonnes capacity godowns have been hired from the private parties. The department of Food and Civil Supplies has also rented out 5,650 tonnes of capacity godowns to the Food Corporation of India and Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation. 16 godowns with a capacity of 2,500 tonnes are under construction.

Levy Sugar

10.4 To arrange distribution of levy sugar to the card holders, the Government of India generally allots 2,120 tonnes of levy sugar every month. But due to festivals like Diwali and Dushehra the State quota is increased by 304 tonnes each during October and November by the Central Government. The levy sugar was made available to the consumers at the scale of 400 grams per head per month at the rate of Rs.8.30 per kg. During 1993-94 an amount of Rs. 1.50 crore has been provided for this purpose.

Edible Oils

10.5 Edible oils, namely, rapeseed oil and palm oil, continued to be supplied to the consumers through fair price

shops at the scale of 2 kg. per month per ration card upto 5 members and 3 kg. per month per ration card or more than five members. During 1993, the Govt. of India allotted 800 tonnes of edible oils to the State.

Controlled Cloth

10.6 During the year 1993 , the Government of India allotted 20.50 lakh metres controlled cloth to the State for further distribution to the public. The Civil Supplies Corporation also distributed other common non-controlled cloth at their fair price shops. During 1993, 5.62 lakh metres controlled cloth was distributed to the public through fair price shops upto November,1993.

Iodized Salt

10.7 Iodized salt is being procured by the dealers according to their demand. An amount of Rs. 3.50 lakh is expected to be spent as transport subsidy for the remote and inaccessible areas during the financial year 1993-94.

Liquified Petroleum Gas

10.8 During the year 1993-94, 54 gas agencies were functioning at Bilaspur, Chamba, Dalhousie, Hamirpur, Dharamsala, Palampur, Nagtora Bagwan, Nurpur, Kullu, Keylong, Mandi, Sundernagar, Karsog , Jogindernagar, Shimla, Rohru, Rampur,Theog, Nahan,Poanta-Sahib, Rajgarh, Solan, Parwanoo,Kasauli,Nalagarh,Una,Seraj, Peo, Banikhet, Dehra, Yol Cantt., Kangra, Amb, Narkanda, Suni, Barsar, Kaza, Pooh Shahpur, Sarkaghat, Jhakri, Sabathu and Arki. In addition 10 more gas agencies are likely to start functioning shortly.

Diesel, Petrol and Kerosene Oil

10.9 At present 78 petrol and diesel pumps are functioning in the Pradesh. Besides, 6 T.K.D. at Peo, Shamshi, Kargha(Keylong), Chamba, Kaza and Pathankot continued functioning during 1993 for supplying kerosene oil to the tribal and far flung areas of the Pradesh. During 1993, the Govt. of India, allotted to the State 48,390 kilolitres of kerosene oil. An amount of Rs. 2.00 lakh and Rs. 0.40 lakh is earmarked to be spent as subsidy for Chamba and Dodra-Kawar in Shimla district respectively.

Subsidy being given to Remote/Inaccessible Areas

10.10 During the year 1993, the Government continued supplying wheat to the public at subsidised rates. The Government has supplied wheat @ Rs. 305 per quintal in integrated tribal development project areas and @ Rs. 330 per quintal in subsidised areas and at the rate of Rs. 7 per quintal in other areas.Wheat atta is also being supplied at the rate of Rs.326 per quintal in ITDP and

subsidised areas and at the rate of Rs.398 per quintal in other areas of the Pradesh. Besides this, rice was also distributed in Dodra-Kawar and Pandra-Bees areas of district Shimla, Sargha and Kushwa areas of district Kullu, Beral and Mangal Panchayat areas of district Solan, and Bara Bhangal areas of district Kangra. For these areas, the entire transport charges exceeding Rs. 10 per quintal were borne by the State Government as subsidy.

Special Facilities to the Students

10.11 Under the 20-Point programme,wheat,atta and rice were supplied to the students residing in various educational hostels at concessional rates i.e. Rs.35.00 per quintal less than the issue rates fixed by the Government of India for general public.

10.12 In order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Government is vigorously enforcing various Orders/Acts. During the calendar year 1993, as many as 28,740 raids/inspections were carried out, 9 cases were registered, 366 persons were given written warnings and 23 persons were punished under departmental action upto November,1993. An amount of security of Rs.66,887 was forfeited.

DRINKING WATER

10.13 Out of the total 16,807 inhabited villages according to 1981 census, 11,887 villages have been declared as problem villages and 4,920 as easy villages. Upto 31st March,1985 drinking water facilities were provided to 12,634 villages comprising 8,348 problem and 4,286 easy villages. During the Seventh Five Year Plan as many as 2,621 villages were covered(2,432 problem and 189 easy villages). During 1991-92, 425 villages(374 problem villages and 51 easy villages) were covered and 703 villages were covered during 1992-93. During 1993-94, balance 74 villages and 196 partially covered villages aggregating to 270 villages are proposed to be covered. Besides this 1,000 India Mark-III hand pumps are proposed to be installed. Upto December,1993, 370 partially covered villages and inhabitants have been provided drinking water facility. There is a provision of Rs 39.00 crore under State sector and Rs 8.24 crore under central sector rural drinking water programme.

10.14. Though drinking water supply schemes are in existence in all the towns of the Pradesh but these drinking water supply schemes are quite old and inadequate to cope with the present needs. Keeping in view the urgency of augmentation of water supply schemes in towns, an amount of Rs.9.20 crore has been provided under urban water supply scheme which is expected to be utilised fully by the end of

roof. During the year 1993, 599 small scale industrial units were registered on permanent basis and employment opportunities were provided to 1,797 persons. Out of these 329 were scheduled castes, 157 scheduled tribes and 1,311 were of other classes. Besides, 1,526 small scale industrial units were registered on provisional basis.

Industrial Areas

5.5 In order to provide infrastructural facilities to the entrepreneurs, Industrial areas at Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Paonta Sahib, Mehatpur, Shamshi, Nagrota Bagwan, Bilaspur, Reckong Peo, Sansarpur Terrace, electronics complex at Solan(Chambaghat), Mandi, Kala Amb, Hamirpur, Shoghi, Chamba, and Amb and (ii) industrial estates at Solan, Dharampur,Kangra, Jawali, Dehra-Gopipur were established .In addition, more industrial areas/estates are being developed in the Pradesh.

Entrepreneurs Development Programme

5.6 Under this programme, entrepreneurial development courses including institutional in-plant training and out-surveys were held. In addition, short-term quick exposure courses of a fortnight's duration have been designed to provide package information to the desirous entrepreneurs and to acquaint them with the necessary requirements and procedures required for setting up industrial units. During the year 1993, 15 Entrepreneurial Development Programmes(EDPs) courses were conducted wherein 322 persons were imparted training.

Sericulture Industry

5.7 Sericulture is one of the important cottage industries of the Pradesh which provides subsidiary employment to farmers for supplementing their income by rearing silk-worms and selling cocoons produced by them. During 1993, 1.11 lakh kg. cocoons valuing Rs. 75.00 lakh was produced.

Investment in Government Undertakings

5.8 During the year 1992-93, the following investments were proposed to be made in different Corporations and Boards under the administrative control of the Industries department:-

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Name of the Corporation	Budget provision for 1992-93
1.	2.	3.
1.	Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation	220.00
2.	Himachal Pradesh Financial Corporation	220.00
3.	Himachal Pradesh State Small Industries and Export Corporation	8.00
4.	Himachal Pradesh Handicrafts and Handloom Corporation	8.00
5.	Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation	17.00
6.	Himachal Pradesh General Industries Corporation	20.00

Tea Industry

5.9 Tea is grown in Kangra and Mandi districts of the Pradesh at an altitude of 1,000 to 1,500 metres above sea level. There are 1,660 tea planters cultivating an area of 2,000 hectares in the Pradesh. During 1992-93, about 12 lakh Kgs. tea was produced in the Pradesh.

6.ELECTRICITY

6.1 Himachal Pradesh State Electricity Board is engaged in the investigation and execution of various hydro-electric projects and transmission and distribution of electricity.It is a matter of satisfaction that despite very difficult and mountainous terrain all the inhabited villages in the State have already been electrified.

6.2 Himachal Pradesh has a vast hydel potential and through preliminary hydrological, topographical and geological investigations, it has been estimated that 12,700 MW of hydel power can be generated in the State by constructing various major, medium, small and mini/micro hydel projects on the five river basins. In addition, a large number of unidentified areas have still been left in the river basins which can contribute substantially to the power potential of Himachal Pradesh by way of mini/micro, medium and even large projects. Also in view of the rising cost of thermal and nuclear generation, many identified projects which have been excluded from the above mentioned hydel potential on account of non-suitability due to high cost of generation, will also become viable in future. On these two considerations, a conservative estimate of the total potential in Himachal Pradesh could well be put up at 25,000 MW or even more. Out of the total hydel potential only 3,349 MW has been harnessed so far, out of which only 272 MW is under the control of Himachal Pradesh as bulk of the potential has been exploited by the Central Govt. and other agencies. The huge hydel potential of the State can play a major role in power development programmes in the northern region and will provide an economic base for the overall development of Himachal Pradesh.

6.3 Hydel power generation in the Pradesh has been accorded top priority from the Sixth Plan onwards because it will not only meet the increasing power demand within the State but also to bridge the gap in the demand and supply in the northern region as a whole. In view of this a phased programme has been chalked out to take up various major,medium,small and mini/micrc hydel projects in the State during the seventh/eighth five year plans besides completing the ongoing projects as early as possible.

6.4 To match the increasing activities on construction of hydel projects there is an immediate need to lay emphasis on adequate transmission and distribution net work in order to transmit power from these projects and its distribution for utilisation within the State. The work on some of such schemes is already in an advanced stage of completion.

6.5 In the field of rural electrification, the State has made remarkable achievements. Inspite of the fact that Himachal Pradesh was a late starter in the field of rural electrification and also because of very difficult and

mountainous terrain, it is a matter of satisfaction that all the inhabited villages of the State were electrified by the end of June,1988. Intensive electrification schemes are also in operation for electrification of left out houses and further improvement in the availability and reliable supply of electricity.

A.GENERATION

ON GOING PROJECTS

Thirot Hydel Project(4.5 MW)

6.6 This project with an installed capacity of 4.5 MW is located in the tribal valley of Lahaul in Lahaul & Spiti district. The latest estimated cost of this project is Rs.34 crore (at December,1991 price level). The power generated from this project shall be utilised in the remote tribal areas of Lahaul and Pangi and the surplus power available shall be utilised in Manali area of Kullu district. The project is scheduled for completion in November,1994.

Baner Hydel Project(12 MW)

6.7 This project was sanctioned during the year 1981 for an installed capacity of 6 MW which has subsequently been raised to 12 MW. The latest estimated cost of the project is Rs. 40.54 crore (at October,1991 price level). The work on the project could not be taken up in right earnest in the previous years due to paucity of funds. The project is now scheduled for completion in December,1994.

Gaj Hydel Project(10.5 MW)

6.8 The project was sanctioned during the year 1982. The latest revised estimated cost of the project is Rs. 40.00 crore (at October,1991 price level). The work on this project could not be taken up in the right earnest during the previous years due to inadequate provision of funds. The project is now scheduled for commissioning during June,1994.

Bhaba Augmentation Scheme

6.9 Bhaba Augmentation Scheme with an estimated cost of Rs. 9.46 crore was approved by the Planning Commission in June,1987. However, the latest revised estimated cost is Rs. 16.33 crore. The scheme will afford an additional generation of 54 MU annually from the Bhaba Power House. The scheme is scheduled for commissioning during November,1995.

Killar Hydel Project(300 KW)

6.10 The State Electricity Board has sanctioned the scheme amounting to Rs. 1.73 crore at July, 1986 price level and is being executed under the State plan. This scheme is

scheduled for commissioning in November,1994.

Uhl Stage-III Project(70 MW)

6.11 This project is located in Mandi district. The project is estimated to cost Rs.174.77 crore. This project is proposed for private sector investment.

Larji Hydel Project(126 MW)

6.12 This project with an installed capacity of 126 MW is to be constructed on the river Beas in Mandi district. The latest estimated cost of this project is Rs. 355.00 crore at December,1990 price level. The infrastructural works of this project have been taken in hand. The project is scheduled for commissioning during March,1999.

PROJECTS TO BE EXECUTED BY NJPC(jointly by State and Central Governments)

Nathpa Jhakri Hydro Electric Project(1,500 MW)

6.13 Nathpa Jhakri Hydro Electric Project with an installed capacity of 1,500 MW is to be executed jointly by the State and the Central governments through the Nathpa Jhakri Power Corporation. World Bank loan amounting to 437 million dollars has been sanctioned for the generation component of this project. This loan will directly come to the Nathpa Jhakri Power Corporation and the sources for the equity portion shall be funded by the Central and State Governments. The original estimated cost of this project is Rs. 4,337 95 crore.

Kol Dam Project(800 MW)

6.14 Kol Dam project with an installed capacity of 800 MW is also proposed to be executed by the Nathpa Jhakri Power Corporation in joint sector on the similar terms and conditions as agreed for the Nathpa Jhakri Project. The estimated cost of the project is Rs. 1,565 crore at 1991 price level.

6.15 The electricity generated during 1992-93 was 1087.4 million units while during current year upto November,1993 it was 817.954 million units. As many as 156 pumpsets have been energised upto November,1993.

6.16 Due to limited resources available with the Central and State governments, the Govt. of India has now approved the participation of the private sector in the generation, supply and distribution of electricity in the country in order to overcome the anticipated power shortage. As a result, the Himachal Pradesh Govt. decided in principle in April,1990 to allow the private sector participation in respect of ten hydro-electric projects. Accordingly, offers

for the same were invited by issuing press notice during October,1993.

6.17 Out of 10 projects advertised Menorandum of Understandings (MOUs) were signed with the private parties in respect of three projects viz., Baspa-II, Uhl-III and Ghanvi. The status of these three projects is an given below:-

1. Baspa Hydro Electric Project:- An agreement was also signed with M/S J.P.I. Ltd. for the implementation of Baspa-II project on 1st October,1992. The techno-econcmic approval to the Detailed Project Report(DPR) submitted by he concerned company has been given by the Central Electricity Authority(CEA) and formal approval is awaited. The environment and forest clearance has also been received. The power purchase agreement is under finalisation with the firm M/S Jai Pradash Industries Ltd. have already started the work in respect of infrastructural works on the project site.

2. Uhl Hydro-electric Project:- M/S Ballarpur Industries Ltd. submitted the Detailed Project Report of Uhl Hydroelectric Project during February,1993. The sale rate of electricity worked out by the company was on the higher side and as such they have resubmitted an updated detailed Project Report in January,1994. The report is under examination for according techno-economic clearance by the HPSEB/CEA.

3. Ghanvi Hydro-electric Project:- M/S PPGM Ltd. submitted the Detailed Project Report(DPR) for Ghanvi Hydro-electric Project in the last weak of February,1993. After scrutiny/examination at various levels in the HPSEB, the same was sent to the CEA for examination and techno-economic clearance. The CEA has conveyed certain observations on the DPR which have been sent to M/S PPGM Ltd. The replies of which are still awaited from the company.

6.18 Further, the State government advertised 13 projects for privatisation during August,1993. Six project viz (i)Hirbra(231 MW), (ii) Dhamwari Sunda(70MW), (iii)Karcham Wangtoo(900 MW), (iv) Neogal(12 MW), (v) Allain Duhangan(192 MW), and (vi) Malana (86 MW) were allotted to the private parties and MOUs were signed with them on 28.8.1993.

6.19 In addition, the Pradesh government also invited offers from the private sector for participation in small hydro-electric projects (SHPs) upto 3 MW capacity on potential sites as per brochure on Guide lines on implementation of SHP in H.P.) detailing the incentives etc.

for projects. The last date for the receipt of offers from the private parties has now been revised from 31st Dec.,1993 to April,1994.

B. TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

6.20 The need for strengthening the transmission and distribution system in the State is being felt for the last few years in order to ensure proper voltage,uninterrupted power supply to the consumers and also for evacuation of power from new projects as also to receive our share of power from various inter-State and Central projects. However, because of paucity of funds, transmission and distribution schemes could not be completed and work on new schemes could not be started. For this purpose, a number of 132 KV transmission lines/sub-stations have been undertaken for which the world bank has approved a loan amounting to 43 million dollars. In order to strengthen the preliminary and secondary distribution system a number of schemes for 33 KV sub-stations and below are being sanctioned from time to time to cater to the needs of additional demand of electricity of consumers, to solve the low voltage problems and to reduce transmission and distribution losses.

Development of Non-conventional and New and Renewable Sources of Energy

6.21 With the growth in the economy, the demand for energy increases tremendously due to rapid industrialisation, better standard of living and increased infrastructural net work. As the conventional sources of energy is limited, there is an immediate need to explore new and alternative sources of energy, encourage the use of proven technologies such as solar water heating system and other efficient energy devices. Development of non-conventional energy sources and renewable sources of energy constitute the core of activities of HIMURJA in the Pradesh.

Solar Energy

6.22 Solar energy utilisation forms an important part of the new and renewable sources of energy. Various solar thermal devices like solar cookers,solar stills, solar water heating system etc. are proposed to be made more popular.

6.23 Simple hot water systems using flat plate collectors and associated instruments have been efficiently deployed for providing hot water in the institutions/ hospitals/ PHCs./households at a temperature of 60-80 degree celsius. So far 2.20 lakh LPD solar water heating systems have been installed. It includes 1,151 domestic systems of 100 litres per day which have been installed at subsidized rates. 197 stand alone photo voltaic systems have been installed in different hamlets/villages for providing street

light. Further Kunnu, Charang, Shalkhar villages in Kinnaur district have already been electrified by providing 248 domestic photo voltaic lights. Nine community light points have also been installed. As many as 16,044 solar cookers have been distributed at subsidized rates. In addition 30 community solar cookers have been distributed to hotels/institutions. Further, 9 solar photo voltaic pumps for irrigation purposes and two solar TVs have been installed for community use. The concept of solar passive heating of households is being popularised in the tribal areas of the Pradesh, where, apart from traditional cooking needs, the heating needs are more essential.

Energy Conservation

6.24 HIMURJA attaches high priority towards energy conservation in different sectors of economy. As many as 24,973 smokeless chullahs and 28,891 portable chullahs have been installed and 44,343 pressure cookers and 13,533 nutan stoves have been distributed to reduce the consumption of fuel in the identified villages. 81 improved crematoria, which results in 40-50 percent saving of fuel, have been constructed in different parts of the State.

7. EMPLOYMENT

7.1 As per 1991 Census, 34.41 percent of the total population of the Pradesh is classified as main workers, 8.42 percent marginal workers and the rest of 57.17 percent as non-workers. Of the main workers 63.25 percent are cultivators, 3.30 percent agricultural labourers, 1.43 percent are engaged in household industries and 32.02 percent in other activities.

Manpower and Employment Schemes

7.2 The employment service schemes include(i) assistance to employment seekers, possessing diverse qualifications and experience, in finding suitable jobs,(ii)to enable workers and surplus retrenched employees to find out alternative employment ,(iii)to serve employers by referring to them suitable workers to fill up vacant posts in their establishments, (iv)to collect employment information regarding job opportunities, training facilities, and related matters for the public, students, teachers, parents and administrators and (v) to guide young persons and employment seekers in their problems, review and re-adjustments of the training programmes and curricula according to the employment market needs. The employment assistance/information service in the Pradesh continued to be rendered through the 3 regional employment exchanges, 9 district employment exchanges, 2 university employment and guidance bureaus at Shimla and Palampur, 40 sub-office employment exchanges, one state employment market information unit, 3 vocational guidance units, a special cell for physically handicapped persons, and a central employment cell for placement of Himachalis in the various industrial units, institutions and establishments in private sector during the year under review. In order to render overseas employment assistance to the job seekers of the Pradesh desirous of employment abroad, a foreign employment cell has been established in the Directorate of Employment during 1991.

Employment Exchange Information

7.3 The employment exchange data at the end of November,1993 as compared to the corresponding period of last year reveals that the number of applicants on the live register increased by 1.99 percent while the submission from various employment exchanges against various posts increased by 1.06 per cent. The placements have decreased by 1.08 per cent. During the period January to November, 1993, in all 94,629 applicants were registered and 4,135 placements were done. The number of vacancies notified by various employers was 7,032. The consolidated live register of all employment exchanges stood at 4.93 lakh on 30th November, 1993

Employment Market Information Programme

7.4 At the district level,the employment data is being collected under the Employment Market Information Programme since 1960. At the end of first quarter i.e. January to March,1993, the total employment in the state was 2.83 lakh(public sector:2.48 lakh and private sector:0.35 lakh) as against 2.76 lakh(public sector: 2.42 lakh and private sector: 0.34 lakh) during the corresponding period of the last year. Of the total employment in public sector, 6.42 per cent were borne on the Central Government establishments, 67.87 per cent on State Government establishments, 7.02 per cent on the quasi-Government (Central), 17.36 per cent on the quasi-Government(State) and 1.33 per cent on the local bodies establishments.

Vocational Guidance Activities

7.5 The Vocational Guidance and Employment Counselling programme has been designed to give intensive Vocational Guidance to those who seek such assistance. The term Vocational Guidance is more appropriately connected with assistance to youth whereas Employment Counselling refers to the assistance given to the adults. The State Directorate of Employment administers this service through employment exchanges in collaboration with the Education Department of the Pradesh. The central unit of vocational guidance(VG)at DGE&T, assists the Director of Employment Exchanges of the state in all the matters pertaining to policies and procedures, the training of staff,the preparation of tools and material and coordination of services at the national level.At an employment exchange, the programme is implemented by the VG section under the administrative control of the officer incharge of the exchange. Under this programme uptodate occupational literature, charts, career pamphlets received from the Govt. of India are distributed. The following achievements have been made upto November,1992 during the year 1992-93:-

(Number)

Item	Achievements upto November, 1992
1.	2.
A-Individual Programme :	
1. Persons received individual guidance ..	7,849
2. Persons received guidance at the time of registration ..	30,901
3. Persons received individual information	1.566

1.		2.
4. (a) Information sought by post	..	249
(b) Information sought in person	..	658
5. Old cases reviewed from live register	..	1,275
B-Group Programme:		
1. Group discussions conducted	..	847
2. Persons attended group discussions	..	8,291
3. Career/group guidance talks delivered	..	188
4. Persons visiting career information room	..	9,708
C-Coordination Activities:		
1.Visit to schools/colleges for promotion of such activities as setting up of career corners, guidance units, arranging career conferences/seminars/ exhibitions etc.	..	403
2.Visits to employment institutions for collecting information on job opportunities/training facilities etc.	..	71

During the year under report, a Vocational Guidance fortnight to provide Vocational Guidance and Employment Counselling was celebrated throughout the Pradesh w.e.f. 13.9.1993 to 25.9.1993.

Central Employment Cell

7.6 With a view to provide technical and highly skilled manpower to the industrial units, institutions and establishments being set up in the private sector in the Pradesh, a special central employment cell which has been set up in the Directorate of Labour and Employment of the State remained engaged in rendering its services during the year under review. The main objective of setting up of this cell is to make available the technical and highly skilled and un-skilled manpower to the industrial units in the private sector as per their requirements. Thus under this scheme, assistance is provided to the employment seekers in finding suitable jobs in private sector according to their qualifications and experience on the one hand, and employers in this sector to recruit suitable workers on the other hand. Under this scheme, there were 13,936 registrants as on 31st October,1993 who were registered on the basis of the duplicate registration cards received from their parent employment exchanges, belonging to the category of technically/highly skilled personnel. As many as 2,656 vacancies of various nature were notified upto October,1993 by employers of private sector establishments, out of

which, 289 vacancies were of technical and highly skilled nature which were notified by the employers to the Central Employment Cell. The central employment cell sponsored 11,585 candidates of various trades, including unskilled, to the various industrial units out of which 2,694 candidates were of technical and highly skilled nature, and upto October ,1993, 562 persons were placed in various private sector industrial units of the Pradesh,out of which 45 were of technical and highly skilled nature.

Special Cell for the Placement of Physically Handicapped Persons

7.7 During the period from January to September,1993, 599 physically handicapped persons were brought on the live register of this special cell bringing the total number to 4,514. Besides, 9 reserved vacancies were notified and 31 physically handicapped persons were sponsored against these vacancies. 8 physically handicapped persons were placed in gainful employment upto September,1993.

Foreign Employment Cell

7.8 A cell for the placement of those job seekers, who are desirous of foreign employment, has been set up at the Directorate of Labour and Employment of the State during 1991. The aim of this cell is to place those persons, who are registered with the cell through various government agencies, in employment abroad besides disseminating information with regard to the formalities required to be completed in connection with foreign service. During January to September,1993 as many as 53 persons desirous of foreign employment were registered bringing the total nunber to 1,720 and placement was secured for 17 persons as electrician, mason, carpenter and helper.

Minimum Wages

7.9 Himachal Pradesh Government has constituted a Minimum Wages Advisory Board under the Minimum Wages Act,1948 for the purpose of advising the State Government generally in the matter of fixing and revising the minimum rates of wages for the employees in the 20 scheduled employments. On the recommendation of this Board, the State Government fixed/revised the uniform minimum rates of unskilled workers in 20 scheduled employments @ Rs. 22 per day or Rs. 660 per month w.e.f. 1.4.1991. Similarly, 10 percent increase was given to other categories such as semi-skilled, skilled, highly skilled and other categories of workers on the wages which were applicable prior to 1.4.1991. Further, an increase of 25 percent was allowed over and above the minimum rates of wages in the scheduled tribe areas and 12.5 per cent increase over and above the minimum rates of wages is allowed in the backward areas as

notified by the government. Besides, 20 per cent increase over and above minimum rates of wages is also applicable to the workers working inside the tunnels. The government has notified the proposal with regard to revision of minimum wages in the 23 scheduled employment from Rs.22 per day to Rs. 24 per day or Rs. 660 per month to Rs. 720 per month for unskilled workers w.e.f. 14.11.1993.

Labour Welfare Measures

7.10 Under the Bonded Labour System(Abolition)Act,1976 the State Government has constituted vigilance committees at the district and sub-divisional levels besides a screening committee at the State level. The Pradesh Government has constituted a Labour Court and an Industrial Tribunal with headquarters at Shimla for adjudication of industrial disputes. Under the Industrial Disputes Act, 1947 an independent presiding officer of Labour Court/Industrial tribunal of the rank of District and Session Judge has been appointed.Under the Factories Act,1948 there are 1,406 registered factories with an estimated employment of 39,848 workers. Similarly under the Motor Transport Workers Act,1961, there are 38 motor transport undertakings registered with an estimated employment of 4,315 workers. Under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act,1970, there were 230 principal employers registered with an estimated employment of 53,732 workers and 916 licenced contractors with an estimated employment of 38,442 labourers upto December,1993. Similarly, under the Inter State Migrant Workman(Regulation of Employment and Condition of Service) Act,1979, 71 principal employers with an estimated employment of 10,900 stand registered and 91 contractors with an estimated employment of 3,227 stand licenced as on 31st December,1993. Further there were 663 trade unions registered under the Trade Union Act,1926. The Employees State Insurance Scheme is applicable in the areas of Solan,Parwanoo, Barotiwala,Baddi,Mehatpur, Poanta and Kala Amb. About 390 establishments with an estimated employment of 19,480 workers are covered under the scheme. Similarly, 626 establishments with an estimated employment of 48,607 workers are covered under Employees Provident Fund Scheme.

Industrial Relations

7.11 The problem of industrial relations has assumed considerable importance on account of expansion of industrial activity in the Pradesh. Conciliation machinery has been functioning in the Pradesh and has proved an important method for the settlement of industrial disputes and maintaining industrial peace. The functions of conciliation officers have been entrusted to the Labour Officers and Regional/ District Employment Officers in the field within their respective jurisdiction. Besides the powers of conciliation officers have also been vested with

the respective Labour Inspectors in respect of all those establishments in which the employment of workers does not exceed one hundred.The higher authorities intervene in cases where the conciliatory methods fail to bring about any amicable settlement.

8. RURAL DEVELOPMENT

8.1 The main objectives of the rural development programmes are (i)more production,(ii)more employment, (iii)more equitable distribution of income among rural masses, and (iv)more investment on rural masses to enable them to live better social and economic life. To achieve these objectives the following state and centrally sponsored development schemes/ programmes remained under implementation during 1993-94 :-

Community Development Programmes

8.2 The main objective of this programme is to achieve. integrated development of the rural people, with the initiative and participation of the village community itself. Under this programme, grants-in-aid are provided to Panchayat Samitis for the construction/repair of primary school buildings under general education and for organising various cultural programmes, rural sports and meets etc.,under social education. Further grants-in-aid are also given to Panchayat Samities for the construction of kaccha roads and bridle paths, demonstration of improved agricultural implements, encouragement of farmers, irrigation and reclamation schemes, construction and repair of drinking water supply works, pavement of streets, works relating to health and sanitation, supply of improved animals and birds, stipend to the trainees of rural areas undergoing training in different trades etc. In addition, grants are also provided for the promotion and strengthening of Mahila Mandals and Yuvak Mandals etc., under composite programme. Besides above, housing needs of the staff in the field and office buildings etc. at block headquarters are also met under this programme. During the current financial year 1993-94, an amount of Rs.140.00 lakh has been provided under this scheme.

Rural Sanitation

8.3 Under this scheme, sanitary latrines are constructed in the rural areas in order to control the environmental pollution to improve the health and sanitation of the rural masses. Besides, latrines are also constructed in the institutions located in rural areas, village fair sites, market yards and panchayat ghars etc. From 1991-92, it was decided to implement this programme on a massive scale. Under this scheme the criteria of assistance to the beneficiaries has been revised and now Rs.1,200 would be provided to the beneficiaries of general categories and Rs.1,500 to scheduled castes/scheduled tribes and selected IRDP families. During 1993-94 against the target of constructing about 70,320 sanitary latrines, 33,756 such latrines have been constructed upto December,1993. An expenditure of Rs. 352.16 lakh has been incurred under this scheme.

Rural Housing

8.4 This scheme, which is known as two room tenement scheme, aims at construction of houses for the houseless persons identified by the Revenue Department and for the eligible families of target group in the rural areas. Upto December, 1993, 155 houses have been constructed against the target of 500 houses for the year 1993-94 and Rs. [illegible].99 lakh have been incurred against the total outlay of Rs.50.00 lakh for 1993-94.

Integrated Rural Development Programme(IRDP)

8.5 It is a centrally sponsored programme and the target group of the programme consists of small farmers,marginal farmers, agricultural labourers,rural artisans and others who are below the poverty line.The main objective of this programme is to provide income generating productive assets and employment to the poor people through package of assistance comprising subsidy and institutional credit. Under this programme,6,870 families have been assisted upto December,1993 .The target of assisting 8,000 families was fixed for 1993-94. An amount of Rs. 248.19 lakh has been spent under this programme.

Training of Rural Youth for Self Employment(TRYSEM)

8.6 This programme is a part of IRDP and the main objective of it is to provide necessary technical skills to rural youths of target group in the age group of 18-35 years to enable them to take up self employment ventures in the broad fields of agriculture and allied activities, industry, services and business activities.The training to the interested rural youths is imparted free of cost in various Govt. training institutions like ITIs, Govt. Polytechnics and other local institutions. During training, the trainees are given stipend from Rs. 150 to Rs. 350 per trainee per month subject to the place of training. Besides, after the completion of the training a free tool kit is given to them. Upto December,1993, 449 youths were trained, 223 youths were settled, 169 youths were provided wage employment and an expenditure of Rs. 12.60 lakh has been incurred.

Development of Women and Children in Rural Areas(DWCRA)

8.7 This programme is being implemented in the State as a part of IRDP. The objective is to increase employment opportunities for the rural women of target group by taking up income generating activities on group basis, acceptable to them, and by introducing new income generating activities. This scheme is in operation in all the districts except Bilaspur . Upto December 1993, 165 groups against the target of 470 groups with the membership of 1,907 women have

formed and an expenditure of Rs.21.93 lakh has been incurred under this programme.

Jawahar Rojgar Yojna

8.8 Jawahar Rojgar Yojna, which was launched throughout the country by merging the erstwhile programmes of NREP and RLEGP,aims at generating larger employment opportunities for unemployed and under-employed persons in the rural areas and creating productive community assets for direct and continuing benefits to the poor sections of the society.This programme is implemented through village Panchayats which are responsible for the planning and execution of the programme.Against the target of generating 33.73 lakh mandays of employment, 21.70 lakh mandays were generated upto December,1993. Out of a total allocation of Rs.1,107.26 lakh for the year 1993-94, an expenditure of Rs. 843.16 lakh has already been incurred under this scheme.

Indira Awas Yojna

8.9 The Indira Awas Yojna is being financed out of the total allocation under Jawahar Rojgar Yojna.Under this scheme, houses are constructed for the scheduled caste and scheduled tribe families living below the poverty line.Houses for the freed/ bonded labourers are also constructed under this scheme. A sum of Rs. 14,500 is given to the beneficiaries as assistance for the construction of houses including facilities for sanitary latrines and smokeless chulhas.During 1993-94, 172 houses were constructed upto December,1993 against the target of construction of 809 houses and the construction work of 312 houses is in progress. An amount of Rs 40.01 lakh has been incurred on the houses completed/under construction.

Smokeless Chullah Programme

8.10 The objectives of this centrally sponsored scheme are saving of fuel, reducing deforestation, reducing pollution and to improve the health of rural women. Under this programme,smokeless chullahs are installed and training and awareness camps for rural masses are organised at state, district and block levels. Self employed workers are engaged for the installation of Chullahs under this scheme. Upto December, 1993, 16,022 Chullahs have been installed against the target of 20,000 Chullahs for the year 1993-94 and an expenditure of Rs.5.48 lakh has been incurred under this scheme.

Desert Development Programme

8.11 This centrally sponsored scheme is in operation in Spiti sub-division of Lahaul and Spiti district and in the Pooh sub-division of Kinnaur district.This programme aims at the integrated development of the cold desert areas with

special emphasis on increasing productivity, income levels and employment opportunities for the people of these areas.Under this programme preventive steps are taken to check the further deterioration of desert areas etc. During 1993-94 a provision of Rs. 300.00 lakh has been made under this programme against which Rs.149.96 lakh have been incurred upto November,1993

Central Rural Sanitation Programme

8.12 This programme has been re-started from the current financial year. Under this scheme, sanitary latrines are constructed only for the families belonging to poverty group and an assistance of Rs.1,500 per latrine is given to the beneficiaries. During the year 1993-94, a target of constructing 4,680 latrines has been fixed and upto December,1993, 315 such latrines have been completed and against the allocation of Rs. 26.28 lakh for the year 1993-94, Rs. 4.26 lakhs have been incurred under this scheme.

Assured Employment Guarantee Scheme

8.13 With a view to provide employment to the poor sections of the community in rural areas, a new scheme has been announced for rural poor residing in blocks covered under Revamped Public Distribution Scheme. This scheme will be implemented in all the seven tribal blocks of the State. The expenditure under this scheme will be borne by the Centre and State Government in the ratio of 80:20. The objective of this scheme is to provide about 100 days of assured casual manual labour employment during the lean agricultural season at statutory minimum wages linked to the normal output of 8 hours of work. During the year 1993-94 an amout of Rs. 35.00 lakh has been released by the Government of India for generating about 1.75 lakh mandays.

Improved Tool Kits to Rural Artisans Living Below Poverty Line

8.14 This scheme was introduced during 1992-93 as Centrally Sponsored Scheme which aims at providing improved tool kits costing Rs. 2,000 per beneficiary which includes Rs. 200 as beneficiary share in Kangra district. This scheme has been extended to Una, Hamirpur and Chamba districts during the current financial year. During 1993-94 government of India has released an amount of Rs. 26.22 lakh to these districts for providing tool kits to 1,479 rural artisans living below poverty line against which 1,908 tool kits have been provided upto December,1993.

Wasteland Development Project

8.15 This scheme is being implemented as a 100 per cent Centrally Sponsored Scheme in Hamirpur and Kangra districts. This scheme aims at checking land degradation, putting such

wasteland to sustainable use and increasing bio-mass availability specially fuel wood and fodder. 96.69 hectares of land has been brought under this scheme and an amount of Rs. 9.04 lakh has been incurred upto September,1993.

9. PRICE SITUATION

9.1 Inflation was by far the most pressing problem for the common citizen in 1992-93, especially as the rate of inflation for food articles was much higher than for all commodities. The rate of rise in the wholesale price Index(WPI)(Base#1981-82=100) on a point to point basis was 7.0 per cent in 1992-93 whereas it was 13.6 per cent in 1991-92 and 12.1 per cent in 1990-91. The rate of inflation as per WPI on point to point basis during the current financial year 1993-94(i.e. between 30.3.1993 & 29.1.1994) was 7.7 per cent compared with 6.5 per cent in the corresponding period of previous year.

9.2 The movement of Index Number of Wholesale Prices during the last few years is as given in the table below:-

MOVEMENT OF WHOLESALE PRICE INDEX NUMBERS
(Base : 1981-82 = 100)

Year	Wholesale Price Index	
	Last week	Average of weeks
1984-85	121.8	120.1
1985-86	127.7	125.4
1986-87	134.2	132.7
1987-88	148.5	143.6
1988-89	156.9	154.3
1989-90	171.1	165.7
1990-91	191.8	182.7
1991-92	217.8	207.8
1992-93	233.1	228.7
1992-93(30-1-93)	232.1	227.8
1993-94(29-1-94)	251.1	244.5

9.3 Month-wise index numbers of wholesale prices during the last four years are given in the table below:-

ECONOMIC REVIEW
OF
HIMACHAL PRADESH
1994

Economics & Statistics Department

PREFACE

Economic Review is one of the budget documents, which indicates the important economic activities of the Government through its departments. The Review of progress, presented in Part-I, gives the salient features of the State's economy during 1993-94, while statistical tables on various subjects are given in Part-II. Graphs and charts are given at appropriate places.

I am thankful to all the departments and public undertakings for their co-operation in making available the material, included in the Review The burden of collection and updating of huge and voluminous data and its presentation in a concise and inter-related form was borne by the Economics and Statistics Department. I highly appreciate and commend the hard work done by the officers and officials of this Department.

KR. SHAMSHER SINGH
Financial Commissioner-cum-Secretary,
(Finance,Plg. and Eco. & Stat.),
Government of Himachal Pradesh.

CONTENTS

PART-I REVIEW OF PROGRESS DURING 1993-94

		Page
1.	General Appraisal	1
2.	Population	4
3.	State Income	6
4.	Agriculture	8
5.	Industries	28
6.	Electricity	31
7.	Employment	37
8.	Rural Development	43
9.	Price Situation	48
10.	Civil Supplies and Social Services	50
11.	Trade and Commerce	65
12.	Transport and Communications	67
13.	Co-operative Movement	70
14.	Local Bodies	72
15.	Special Studies	74

PART-I

REVIEW OF PROGRESS DURING 1993-94

1 GENERAL APPRAISAL

Economic Situation in the Country

1.1 In response to the economic crisis, the government formulated and implemented a strategy of stabilisation, adjustment and reforms in 1991-92 to extricate the economy from the mess. The measures taken, in the past, were strengthened and continued during the year under report. They intend to bring out better macro-economic management of the Indian economy in terms of low inflation, reduction in fiscal deficit, and improved build-up and quality of foreign exchange reserve. The structural reform policies, on the other hand, are intended to dismantle the structural rigidities and help the strengthening of competitive forces.

1.2 As a result of these measures, an improvement in over all economic situation was noticeable during 1992-93. Economic recovery which began 1992-93 is now expected to be maintained in 1993-94. This will largely be based on expected sustained growth of output in agriculture and some improvement in industry. In order to boost agriculture production, a very high priority has been accorded in the new economic policy and to reorient this sector, outlay in the 8th Five Year Plan has been substantially enhanced. Similarly, hortriculture has been identified as the main thrust area during 8th Five Year Plan. The plan allocation for horticulture which was only Rs.24 crores in the 7th Plan, has now been enhanced to Rs. 1,000 crores during the 8th Five Year Plan. The price situation has been under control since 1992-93. Similarly, balance of payments situation during 1993-94 will remain manageable. In the first five months of current year, exports have recorded a growth of 24.3 per cent and are likely to remain around 20 per cent during 1993-94. In contrast to it, the imports during first five months have declined by about 3.7 per cent,over those in the corresponding period of 1992-93. Similarly, there has been a strong build-up of foreign exchange assets during the first seven months of 1993-94.The fiscal deficit is sought to be reduced through a combination of measures such as reduction in non-plan expenditure and improvement in tax and non-tax revenue.

Economic Situation in Himachal Pradesh

1.3 The economy of Himachal Pradesh is largely dependent on agriculture and the industrial base is comparatively not strong. The agricultural production to a large extent is still dependent on timely rainfall and weather conditions. During 1992-93, the foodgrains production is likely to be 13.13 lakh tonnes, whereas for 1993-94, a target of producing 15.00 lakh tonnes has been fixed. The foodgrains production for the last five years is

given in the following table:-

Year	Foodgrains production (lakh tonnes)
1989-90	13.68
1990-91	14.33
1991-92	13.44
1992-93	13.13
1993-94(target)	15.00

1.4 Systematic development of horticulture in Himachal Pradesh was taken up only after Independence. The fruit production, including apple, is showing gradual improvement and it was of the order of 3.25 lakh tonnes during 1992-93. Upto December 1993, 3.23 lakh tonnes of fruits have been produced and total production during 1993-94 is expected to be 3.35 lakh tonnes. Vegetable production is also showing signs of increasing trend and 3.85 lakh tonnes vegetables are expected to be produced during 1993-94. Seed potato of Himachal Pradesh is known for its disease-free qualities and is in considerable demand all over the country.

1.5 According to quick estimates, the Gross State Domestic Product of Himachal Pradesh registered a nominal growth of 0.3 percent during 1992-93 and the per capita income in the Pradesh stood at Rs. 5,743.

1.6 In the field of rural electrification, although 100 per cent villages have been electrified, yet a lot of work is required to be done in the sense that a large number of leftout hamlets have to be covered. Upto November,1993, the number of pumpsets energised was 156. During the current financial year upto November 1993, about 818 million units of electricity were generated. During 1992-93, 1087.4 million units of electricity were generated.The power sector in the State continued to get top priority. Further, the State Govt. is also going in for private sector involvement in power generation to tap the potential of 25,000 M.W. of hydel power in the State.

1.7 At the end of March,1993, the total employment in the State was 2.83 lakh. The number of unemployed persons, on the live-register of all the employment exchanges, stood at 4.93 lakh at the end of November,1993. Several programmes have been taken up by the government to generate more employment opportunities. The number of mandays generated under the Jawahar Rojgar Yojna Programme upto December,1993 was 21.70 lakh mandays. Under I.R.D.P. 6,870 families were assisted upto December, 1993, whereas 449 youths were trained, 223 youths settled and 169 youths were wage-employed upto December, 1993 under TRYSEM scheme.

1.8 The loans advanced by the Agricultural Societies in 1992-93 stood at Rs.2,488.65 lakh to 8.46 lakh members as against the advance of Rs.1,627.74 lakh to 8.18 lakh members in 1991-92.

1.9 To promote tourism, a significant achievement was the declaration of new tourism development policy, under which, besides opening several prohibited places to tourists, the commercial tourism has been left to the private sector while non-commercial tourism like creation of infrastructural facilities in less developed places will be the responsibility of the State Government. The main thrust of the policy is to involve the private entrepreneurs in the development of various types of tourism in the Pradesh. The policy also envisages certain concessions and incentives to the private entrepreneurs.

1.10 In order to accelerate the process of industrialisation in the State, a package of various types of incentives is available to entrepreneurs for setting industries in cottage, small-scale or other sectors.

2.POPULATION

2.1 The population of Himachal Pradesh which was 42.81 lakh according to 1981 population Census has increased to 51.71 lakh according to 1991 population Census. The density of population per sq. km. is 93 for the State and 274 for all India. The data on some important features of the population of Himachal Pradesh and India are given in the table below:-

Population Statistics(1991 Population Census)

Item		Himachal Pradesh	India
1.		2.	3.
1. Population(in lakh):			
(a) Male	:	26.18	4,392.31
(b)Female	:	25.53	4,070.72
Total	:	51.71	8,463.03
2. Decadal growth rate(1981-91) (Percent)	:	20.79	23.85
3. Density(no. per sq. km.)	:	93	274
4. Sex ratio(no. of females per thousand males)	:	976	927
5. Literacy(Percent)	:	63.86	52.21
6. Urban population(percentage to total)	:	8.69	25.73
7. Scheduled Caste population (percentage to total)	:	25.34	16.48
8. Scheduled Tribe population (percentage to total)	:	4.22	8.08

Growth of population

2.2 During 1981-91, the decadal rate of growth of population in Himachal Pradesh was 20.79 per cent whereas it was 23.71 per cent during 1971-81. At all-India level the decennial growth during 1981-91 and 1971-81 was 23.85 percent and 24.66 per cent respectively.

Household Size

2.3 The number of households in the State was 9.69 lakh according to 1991 population census and the household size was 5.3.

Sex Ratio

2.4 The sex ratio i.e. the number of females per thousand males has been continuously increasing in the state since the beginning of this century from 884 in 1901 to 976 in 1991. At the all-India level the sex ratio in 1901 was

972 which declined to 934 in 1981. According to 1991 population census the sex ratio at all-India level has further declined to 927.

Urban trends

2.5 The urban population of the country has been increasing since independence. It constituted 19.91 per cent in 1971, 23.34 per cent in 1981 and has reached 25.73 as per census of 1991. In case of Himachal Pradesh the increase in urban population is comparatively on the lower side. It was 6.99 per cent in 1971, 7.61 per cent in 1981 and has reached 8.69 per cent as per 1991 census. So there is marginal increase of 1.08 per cent in the urban population of the State during the decade 1981-91.Besides Shimla district where urban population is 20.08 per cent other districts with relatively high percentage are Kangra (13.21 per cent) and Mandi (12.41 per cent) and Solan (10.53 percent).

Scheduled Castes and Scheduled Tribes population

2.6 The total Scheduled Castes population according to 1991 census was 13,10,296 persons as compared to 10,53,958 persons in 1981 which works out to 25.34 percent of the total population. The total population of Scheduled Tribes has been reported 2,18,349 persons as compared to 1,97,263 persons in 1981 which is 4.22 percent of the total population. Of the total Scheduled Caste population 93.7 per cent was rural. Similarly, 97.5 per cent of the Scheduled Tribes population lived in rural areas. The decadal growth rate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes population was of the order of 24.32 per cent and 10.69 per cent, respectively as compared with the decadal growth rate of overall population in.the State of 20.79 per cent.

Population by Religion

2.7 There are four major religions in the State as per census 1981. Of these, the most prominent is Hindu which accounts for 40,99,706 persons(95.8 per cent of population of the Pradesh) followed by Muslims 69,613(1.6 percent), Buddhists 52,629(1.2 per cent) and Sikhs 52,209(1.2 per cent). The Christians were only 0.1 per cent and Jains 0.02 per cent of the total population.

Population by Age

2.8 The break-up of the population of the State shows that in 1981 there were 17.0 lakh persons(39.7 per cent) in the age-group of 0-14 years, 22.6 lakh persons(52.8 per cent) in the age-group 15-59 years and 3.2 lakh persons(7.5 per cent) in the age-group of 60 years and above.

3. STATE INCOME

State Domestic Product

3.1 State Domestic Product(S.D.P.) is the most important indicator for measuring the economic growth. According to quick estimates, the total State Domestic Product at 1980-81 prices slightly increased to Rs.1201.32 crore in 1992-93 from Rs.1197.33 crore in 1991-92, thereby registering a nominal growth of 0.3 percent. The growth rate of Gross Domestic Product at national level during this period is 4.0 percent. The reason for such a low growth rate of economy of the State is mainly a significant fall in the production of foodgrains and fruits. The production of foodgrains declined to 13.13 lakh tonnes in 1992-93 from 13.44 lakh tonnes in 1991-92, apple production declined to 2.79 lakh tonnes in 1992-93 from 3.02 lakh tonnes in 1991-92. The economy of Himachal Pradesh is predominantly dependent upon agriculture and in the absence of strong industrial base, any fluctuation in the agricultural or horticultural production causes significant change in economic growth also. During 1992-93 about 28 percent of state income has been contributed by agriculture sector alone.

3.2 The table given below shows the growth of economy of Himachal Pradesh vis-a-vis at all-India level during the last five years:-

Annual Economic Growth Rate

(Percent)

Year	Himachal Pradesh	All India
1.	2.	3.
1988-89	8.8	11.1
1989-90	10.3	6.0
1990-91	2.4	5.6
1991-92(P)	(-)2.5	1.1
1992-93(Q)	0.3	4.0

P=Provisional, Q=Quick

Per Capita Income

3.3 According to quick estimates, the per capita income of Himachal Pradesh in 1992-93 stood at Rs. 5,743 as compared to Rs. 6,249 at the national level.

Sectoral Growth

3.4 The sectoral analysis reveals that during 1992-93, the percentage contribution of Primary sector to total

S.D.P. of the State is 36.83 per cent, followed by Secondary Sector 21.96 percent, Community and Personal services 21.38 percent, Finance and Real Estate 10.06 percent, and Transport, Communications and Trade 9.77 per cent.

3.5 The growth, as observed in these broad sectors during the year,is discussed below:-

Primary Sector

3.6 Primary sector during the year witnessed a negative growth rate of 2.23 percent. In previous year also, this sector had a fall of 2.37 per cent. The negative growth rate was due to a decline in production of foodgrains and fruits.

Secondary Sector

3.7 The sector, which comprises Manufacturing, Construction and Electricity, declined by 3.41 percent during 1992-93.

Transport, Storage, Communications and Trade etc.

3.8 This group of sectors shows a growth of 0.09 percent during the year against a growth of 4.75 percent during 1991-92.

Finance and Real Estate

3.9 This sector comprises Banking and Insurance, Ownership of dwellings and Business Services. It witnessed a growth of 1.73 percent in 1992-93 as against 2.54 percent during 1991-92.

Community and Personal Services

3.10 The growth rate of this sector during the year was 8.89 percent against a negative growth of 1.41 percent in 1991-92.

4.AGRICULTURE

4.1 Agriculture being the main occupation of the people of Himachal Pradesh has an important place in the economy of the State. It provides direct employment to about 69 percent of total main workers of the State. Income from agriculture and allied sectors accounts for nearly 40 percent of the total State Domestic Proudct. Out of the total geographical area of 55.67 lakh hectares, the area of operational holdings is about 10.15 lakh hectares and operated by 8.44 lakh farmers as per agricultural census 1990-91 (Provisional). The average holding size comes to 1.2 hectare. The distribution of land holdings according to the 1990-91 (Provisional) agriculutral census is depicted in the following table:-

Size of holdings (hectares)	Category of farmers	No. of holdings (in '00s)	Area ('00 hectares)	Average size of holdings (hectares)
1.	2.	3.	4.	5.
Below 1.0	Marginal	5,380 (63.8)	2,180 (21.5)	0.4
1.0-2.0	Small	1,680 (19.9)	2,285 (22.5)	1.4
2.0-4.0	Semi-medium	961 (11.4)	2,611 (25.7)	2.7
4.0-10.0	Medium	366 (4.3)	2,069 (20.4)	5.7
10.0 & above	Large	55 (0.6)	1,001 (9.9)	18.1
		8,442 (100.0)	10,146 (100.0)	1.2

4.2 The agro-climatic conditions in the State are congenial for the production of cash crops like potato, ginger and off season vegetables. Prior to Seventh Plan, main emphasis was laid on increasing the production of cereals and production of cash crops through adoption of improved package of practices like use of high yielding varieties of seeds, fertilizers, plant protection measures and distribution of improved implements, soil and water conservation measures on agricultural land besides effective dissemination of technical know-how to farmers.

4.3 During the seventh plan and annual plans 1990-91, 1991-92 and 1992-93 emphasis has been laid on the production of vegetables, potato, pulses and oilseeds besides increasing the production of cereal crops through timely and adequate supply of inputs, bringing more area under irrigation, demonstrations and effective dissemination

of improved farm technology. Review of achievements during 1992-93 are as given below:-

Foodgrains Production

4.4 During 1992-93, the foodgrains production is likely to be 13.13 lakh tonnes, whereas during 1993-94 a target of producing 15.00 lakh tonnes has been fixed. During 1994-95, it is proposed to produce 15.30 lakh tonnes of foodgrains. The foodgrains production for the last five years is given in the following table:-

(lakh tonnes)

Year	Production
1989-90	13.68
1990-91	14.33
1991-92	13.44
1992-93	13.13
1993-94(target)	15.00

The details of the steps taken to achieve this production level are given below:-

(i)Special Foodgrains Production Programme

4.5 With a view to increase the production of maize and paddy, special production programmes with the financial assistance from the Govt. of India have been started in the State. Under these programmes, seeds, plant protection material and implements etc. are distributed to the farmers on subsidy basis. The Government of India is being approached to sanction such a centrally sponsored scheme for wheat crop also.

(ii)High Yielding Varieties

4.6 In order to increase the foodgrain production, emphasis was laid on distribution of seeds of high yielding varieties to the farmers. Area brought under high yielding varieties of principal crops viz; maize, paddy and wheat during the last two years is given in the table below:-

Crop	Unit	Area under H.Y. variety		Target for
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	2.	3.	4.	5.
Maize ..	'000 hectares	102.00	110.00	110.00
Paddy ..	-do-	93.00	93.00	88.50
Wheat ..	-do-	360.00	365.00	360.00

The scheduled castes, scheduled tribes and selected IRDP farmers were provided seeds of high yielding varieties at 50
per cent prices.

(iii)Fertilizers

4.7 Chemical fertilizers play an important role in increasing the agricultural production. Sustained and dedicated efforts made to popularize the use of fertilizers have made the farmers fertilizer minded and the level of fertilizer consumption has increased from 23,664 tonnes in 1985-86 to 32,711 tonnes in 1989-90. The consumption of fertilizer is expected to touch the level of 50,000 tonnes by the end of 8th Plan. Keeping in view the hike in prices of fertilizers, Government has allowed subsidy on Urea @ Rs. 20.25 per bag of 50 Kg. to all the farmers. The transport subsidy is also being given on CAN, Urea and Ammonium sulphate. Year-wise consumption of fertilizers and targets proposed for the last two years are given in the following table :-

Item	Consumption of fertilizers in terms of nutrients in '000 MT.		
	1992-93	1993-94 (Likely)	Target for 1994-95
Nitrogenous	24.5	29.6	31.0
Phosphatic	3.7	5.8	6.0
Potassic	2.4	4.6	5.0
Total	30.6	40.0	42.0

(iv)Plant Protection

4.8 In order to increase the productivity of crops, it is of paramount importance that the crops are saved from crop diseases, pests and insects. It is proposed to cover about 4.35 lakh hectares of cropped area under various plant protection measures during 1993-94 against an achievemert of about 4.30 lakh hectares during 1992-93. It is proposed to cover an area of 4.35 lakh hectares under plant protection measures during 1994-95. The scheduled castes/scheduled tribes and certain selected IRDP families are being provided plant protection chemicals and equipments at 50 per cent cost.

(v)Soil Testing

4.9 In order to maintain the fertility of the soil, testing of soil is necessary. Soil testing laboratories have

been established in all the districts except Solan district. The work of Solan district is being done by soil testing laboratory at Shimla. During 1992-93, about 65,000 soil samples were collected for analysis in various soil testing laboratories. During 1993-94, 66,000 soil samples are proposed to be analysed.

COMMERCIAL CROPS

(i)Potato

4.10 Potato is one of the most important cash crops in the Pradesh on which the economy of the farmers especially in Shimla and Lahaul-Spiti districts depends. During 1992-93, 1.30 lakh tonnes of potato were produced, whereas a target of producing 1.40 lakh tonnes of potato has been kept for the year 1993-94.

(ii)Vegetables

4.11 As the agro-climatic conditions in the Pradesh are quite conducive for the production of off-season vegetables, timely technical guidance and necessary inputs are provided to the farmers for growing these vegetables. During 1992-93, 3.74 lakh tonnes of vegetables were produced whereas a target of producing 3.85 lakh tonnes of vegetables has been kept for 1993-94.

Seed Certification

4.12 With a view to maintain the quality of the seed and also to ensure higher prices of seed to the growers, seed certification programme has been given great emphasis. The Himachal Pradesh State Seed Certification Agency registered number of growers in different parts of the state for seed production and certification of their produce.

Bio-Gas Development Programme

4.13 Under this programme, the farmers are given subsidy for the construction of bio-gas plants. The state has achieved remarkable progress in this field. As many as 3,401 bio-gas plants were installed upto December, 1993 during 1993-94. Thus, upto December, 1993, 31,421 bio-gas plants have been installed since the inception of this programme. It was proposed to install 3,400 bio-gas plants during 1993-94.

4.14 For increasing the production of oilseeds and pulses in the state, mini kits of seeds of these crops were distributed for demonstration purposes to the farmers, free of cost. In addition, mini kits of seeds of these crops were supplied to the farmers of scheduled castes, scheduled tribes and selected IRDP families at 50 per cent cost. Besides inputs like improved seeds, plant protection

chemicals and equipments and improved agricultural implements were also supplied to these categories of farmers at 50 per cent rate.

Soil Conservation

4.15 For adopting soil conservation measures on agricultural land, the State Government provides 50 per cent subsidy to the farmers in the State. It is proposed to cover an area of 1,650 hectares under such measures during 1993-94.

HORTICULTURE

4.16 The varied agro-climatic conditions in Himachal Pradesh are suitable for growing a wide range of fruit crops. Due to higher productivity and income per unit area from fruit crops, horticulture in the State is playing a vital role in improving the socio-economic conditions of the rural population. Apple, so far, is the dominant fruit crop in the State. Other fruit crops like mango, citrus and stone fruits etc. are also steadily coming up in the potential areas. A brief description of the salient achievements made during 1993-94 is as under:-

Area under Fruits

4.17 During 1993-94 it was envisaged to bring 7,000 hectares of additional area under fruit plants. Upto December,1993, 2,366 hectares of area has already been achieved by distributing about 4.69 lakh fruit plants. Due to long dry spell in the State during the months of December,1993 and January,1994, the plantation of winter season fruit plants has been delayed but the target is likely to be achieved in full by the end of the year in case, there is good rain-fall/snow-fall in the remaining months of the year.

Fruit Production

4.18 During 1989-90, a record production of 4.60 lakh tonnes of fruits was achieved . During 1993-94, against the production potential of 5.59 lakh tonnes of all kinds of fruits, 3.23 lakh tonnes of fruits have been produced upto the end of December,1993. The total fruit production by the end of 1993-94 is expected to be about 3.35 lakh tonnes. The short fall in fruit production target is due to unfavourable weather conditions.

Improvement of Wild Fruit Trees into Superior Varieties

4.19 Wild fruit trees available in abundance in many parts of the State are being top-worked, with the improved varieties of fruits, to make them more profitable.Under this programme, 0.93 lakh wild fruit trees were top-worked with

improved varieties upto December,1993 to make them more profitable the target of top-working of 5.00 lakh trees during 1993-94. Since the major top-working operations are carried out during the spring season as such the target is expected to be achieved by the end of the current year.

Plant Protection

4.20 Under this programme,an area of 0.56 lakh hectares was covered under the plant protection measures upto December,1993 against the target of 1.55 lakh hectares of orchard area to be covered during 1993-94. The target is likely to be achieved in full because the plant protection operations are also carried out during the winter and spring months. Besides 0.32 lakh hectares of apple orchards have already been covered under scab control measures against the target of spraying 0.48 lakh hectaes during 1993-94. In addition to plant protection operations, 109 M.T. of fungicides / pesticides valuing at Rs. 2.05 crore were supplied to the fruit growers upto December,1993 for combating the pests and other diseases in the fruit crops.

Diversification in horticulture

4.21 To bring about diversification in the horticulture industry, special efforts are being made to promote other horticultural crops like olives, figs, hops, kiwifruit, strawberry etc. in the State. During the rainy season in 1993, about 2,607 olive plants and 45,000 strawberry runners have been propagated and distributed to the fruit growers. Besides this, 4,500 pomegranate plants and about 13,000 Amla plants of improved varieties were procured from outside the state and distributed amongst the fruit growers for planting in their orchards. There is a record production of 45 M.T. of hops during the current year, besides planting 25 hectares of additional area under hops upto December,1993 against the target of 30 hectares to be planted during 1993-94. A hops drying and processing unit of 3.5 M.T. per day capacity has been set up during the year 1993 and two more units of 6 M.T. per day capacity each are under construction and are likely to be commissioned by August,1994, thereby increasing present hops drying and processing capacity of 13 M.T. per day to 25 M.T. per day, sufficient to process about 600 M.T. of green hops per season at 80 per cent capacity utilization.

Promoting Ancillary Horticulture Activities

4.22 Besides bringing diversification in fruit crops, efforts are also beig made to diversify the horticulture industry by promoting ancillary horticultural activities like mushroom production, bee-keeping and flower production etc. About 286 M.T. of pasteurised compost for mushroom production has been produced at two departmental mushroom

development projects located at Chambaghat and Palampur and distributed to the mushroom growers upto December,1993 against the target of 1000 M.T. for the year 1993-94. Production of 476 M.T. of mushroom has been recorded upto December,1993 against the target of 600 M.T. for the current year. Under the bee-keeping development programme, 144 bee-colonies have been distributed amongst the bee-keepers against the target of 800 bee-colonies. 107.56 M.T. of honey production has been recorded upto December,1993 against the target of 170 M.T. Special emphasis is also being laid on the production of off-season flowers in the State. During 1993-94 an area of 10 hectare has been brought under commercial floriculture upto December,1993 against the target of 15 hectare fixed for 1993-94, by distributing 2.50 lakh bulbs and 4.00 kg. seeds.

Marketing and Processing of Fruits

4.23 During 1993-94, timely arrangements were made to provide necessary facilities and services relating to marketing of fruits to the fruit growers. During 1993-94 about 2.85 lakh tonnes of fruit was exported from the State upto December,1993. The carton factory established by the Govt. produced about 10 lakh telescopic cartons upto December,1993, which have been distributed among the orchardists. With a view to reduce the dependence on local forest resources for the manufacture of packing cases and to introduce the alternative packing systems in the State, the following incentives were given to the fruit growers on c.f.b. cartons, plastic crates, euclyptus wood boxes etc.:-

Sr. No.	Name of District	Particulars	Rate of subsidy (Rs.)	Maximum limit per truck(Rs)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Subsidy on transport of wooden logs/wooden packing cases			
	(i)Solan and Sirmaur	(a)20Kg. Wooden box	0.50 per box	500
		(b)Wooden logs	5.00 per quintal	500
	(ii)Shimla,Mandi,Kinnuar, Chamba and Kullu	(a)20Kg. Wooden box	1.00 per box	1,000
		(b)Wooden logs 10Kg. capacity	10.00 per quintal	1,000
2.	Carton subsidy	(a)Kullu carton	5.00 per carton	3,000
		(b)Telescopic Carton	10.00 per cartor to 12.00	1,500

4.24 To acquaint the orchardists with the techniques of scientific grading and packing of fruits, 883 farmers were imparted practical training and 11,885 fruit boxes were graded and packed by way of demonstrations. In the departmental fruit canning units, 160 M.T. of fruit products were manufactured upto December,1993 against the target of 250 M.T. for the year and 34.4 M.T. of fruit products were manufactured under the community canning services scheme. In addition, 2,093 persons were imparted training in home scale preservation of fruits. Further, 500 tonnes of apple juice concentrate was exported by the H.P.M.C. The State government implemented the market intervention scheme for ensuring remunerative prices for citrus fruits, kinnow, malta, orange and loquat. The details of this scheme are as under:-

Sl.No.	Name of the fruit/ variety.	Grade	Support price per kg.(Rs.)
1.	Kinnow,Malta and Orange	A	3.50
		B	3.00
		C	2.50
2.	Galgal	-	1.20

4.25 Twleve procurement centres have been opened to procure the above fruits during this year. The procurement of fruits is being done through H.P.M.C. and Nafed/Himfed.

Performance in Quality

4.26 Alongwith the introduction of improved varieties of different fruit crops and improved technology in quality fruit production, steps are being taken to create competetiveness amongst the fruit growers to create consciousness in them about the quality aspect of fruits. A significant achievement made by the State during the year 1993-94 was winning over 80 per cent of prizes and challenge shields awarded during the All India Apple Show,1993 organised by the Ministry of Agriculture, Govt. of India at Madras on 28th and 29th September 1993. Besides this, a state level competition for the awad of best orchardist in citrus fruit is being organised in the state during the current citrus harvesting season.

Improving Productivity Through New Technologies

4.27 Efforts have been made to introduce modern technology in orchard management for improving productivity of horticulture crops like drip irrigation system for economic utilization of available irrigation water in the orchards and green house technology for increased and quality production of fruits, vegetables and flower plants

under protected cultivation system. 50 per cent subsidy is given to the farmers for the adoption of these new technologies. A post-harvest management technology project in horticulture was also formulated for posing the same for the French Government assistance.

IRRIGATION

4.28 The total geographical area of Himachal Pradesh is 55.7 lakh hectares. Of this, a high percentage of area is under perpetual snow or under forests and steep barren slopes. As per latest available figures, the net area sown in the Pradesh is only 5.83 lakh hectares. It is estimated that ultimate irrigation potential of the State is approximately 3.35 lakh hectares out of which 50,000 hectares can be brought under irrigation through major and medium irrigation projects and the balance 2.85 lakh hectares can be provided irrigation through minor irrigation schemes. Irrigation projects are classified into three categories viz, major, medium and minor projects. Projects which have culturable command area of 10,000 hectares or more are classified as major irrigation projects, projects which have a CCA of more than 2,000 hectares but less than 10,000 hectares are classified as medium irrigation projects, and projects with CCA of 2,000 hectares or less are classified as minor irrigation projects. Under the minor irrigation projects both surface and ground water development projects are included.

Major and Medium Irrigation Schemes

4.29 During 1992-93, an amount of Rs. 233.86 lakh was provided for major and medium irrigation schemes. During 1993-94, an amount of Rs.269.00 lakh has been provided to bring an additional area of 210 hectares under irrigation. Upto the end of November,1993, an amount of Rs.118.95 lakh has been spent to provide irrigation facilities over an area of 145 hectares.

Minor Irrigation Schemes

4.30 During 1992-93, an amount of Rs. 1733.85 lakh was provided for providing irrigation facilities to an area of 1,643 hectares. Apart from this during 1992-93, Rs. 224.00 lakh was spent under USAID project to provide irrigation facilities in an area of 797 hectares. During 1993-94, there is a provision of Rs.1790.00 lakh in the State sector to provide irrigation facilities to an additional area of 1400 hectares. Upto November, 1993, 1122 hectares have been covered.

Command Area Development

4.31 In order to reduce the gap between the irrigation potential created and utilisation in the irrigation sector,

and with a view to supply adequate water to the farmers for raising crops so as to increase their agricultural production and cropping intensity, constant efforts are being made to ensure regular supply of water. Command area development is being taken up only in the medium irrigation projects which are complete. At present command area development work has been taken up in Giri Irrigation Project, Balh Valley Project and Bhabour Sahib Phase-I Project. During 1993-94, a provision of Rs. 125.00 lakh including 50 percent Central assistance has been provided to construct field channels in 649 hectares and warabandi system in 1,623 hectares. Upto November,1993, field channels were constructed in 411 hectares and warabandi in 1,145 hectares.

Flood Control

4.32 During 1992-93, 364 hectares have been protected against floods. During 1993-94, a sum of Rs. 115.00 lakh has been provided to cover 360 hectares against flood protection. Upto November,1993, 223 hectares have been protected.

AGRICULTURE CENSUS

4.33 According to agricultural census held in Himachal Pradesh during 1990-91 , there were 8.44 lakh holdings in the Pradesh which showed an increase of 12 per cent over 1985-86. Total area of the operational holdings during 1990-91 was 10.44 lakh hectare, this giving the average size of holdings as 1.20 hectares. The number of marginal holdings i.e. holdings of size below 1.0 hectare has increased to 5.38 lakh in 1990-91 from 4.63 lakh in 1985-86 whereas the number of small holdings, i.e. holdings of size between 1.0-2.0 hectare has increased to 1.68 lakh in 1990-91 from 1.55 lakh in 1985-86. The holdings of size upto 0.5 hectare increased to 3.37 lakh in 1990-91 from 2.96 lakh in 1985-86 and those of size 0.5 to 1.0 hectare increased to 1.84 lakh in 1990-91 from 1.67 lakh in 1985-86. As against the small holdings the number of holding with size 10.0 hectare and above has decreased to 5,528 in 1990-91 from 5,643 in 1985-86.In the case of marginal and small holdings of size 2.0 hectares or less, the percentage to total holdings increased from 82.2 per cent in 1985-86 to 83.6 per cent in 1990-91 and the percentage of area of these holdings increased from 43.2 per cent in 1985-86 to 44.0 per cent in 1990-91. On the contrary, in the case of larger holdings of size 10.0 hectares and above, the percentage decreased from 0.7 per cent in 1985-86 to 0.6 per cent in 1990-91. Further, according to 1990-91 agricultural census, out of 8.44 lakh operational holdings, as many as 1.89 lakh and 0.34 lakh operational holdings belonged to scheduled castes and scheduled tribes respectively which constituted 22.4 percent and 4.0 percent of the total holdings. As regards their share in area 1.38 lakh hectares belonged to scheduled

castes and 0.40 lakh hectares belonged to scheduled tribes which accounted for 13.6 percent and 3.9 per cent respectively of the total area of 10.15 lakh hectares. If S.Cs. and S.Ts. are taken together, then their share in total operational holdings and area accounted for 26.4 percent and 17.5 per cent respectively.

Land Reforms

4.34 The policy of reforming the agrarian system in the Pradesh continued during 1993-94. Under this policy(a) ownership rights are conferred on tenants cultivators,(b) inequalities in respect of land holdings are reduced, (c) fragmentation of holdings is prevented by consolidation, (d) revision and updating of land records is done through settlement operations and (e) wastelands/village common land is allotted to landless and eligible persons.

Conferment of Proprietary Rights

4.35 Chapter ten of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act,1972 provides for acquisition of proprietary rights by non-occupancy tenants. There were 2,35,472 non-occupancy tenants in Dharamshala division, out of which 2,16,514 have been conferred proprietary rights so far. The remaining 18,958 tenants fall under protected categories of land owners such as minors, widows, army personnels, disabled and infirm persons etc. Similarly in Mandi division, there were 1,07,107 non-occupancy tenants out of which 95,155 non-occupancy tenants have been conferred proprietary rights. Further in Shimla division, the work regarding conferment of proprietary rights on non-occupancy tenants has almost been completed and the proprietary rights could not be conferred upon only on protected categories under the act.

H.P.Village Common Lands (Vesting and Utilisation) Act 1974

4.36 Under section 3 of the act, all shamlat land has been vested in the Government and is being utilised for the purposes of allotment to landless and other eligible persons and for common purposes of the right holders. In Dharamshala division upto 31-12-1993 in all 2,248 landless and 584 houseless persons out of the persons identified during 1981 and 1983 have been allotted land for cultivation and construction purposes. The remaining identified persons could not be allotted land for want of suitable land for cultivation and construction purposes. In Mandi division, the work relating to allotment of land among landless and other eligible persons remained in progress. Further in Shimla division all shamlat lands have been vested and are being utilised for the purposes of allotment to landless and other eligible persons and for such common purposes of the estate right holders. All landless and other eligible

persons identified during the surveys of 1981 and 1983 have been allotted land.

Distribution of Kisan Pass Books

4.37 The work relating to the distributing of Kisan Pass books continued during 1993-94. In Mandi division 7,421 kisan pass books have been prepared and distributed to the farmers upto November,1993, whereas in Dharamshala division 13,682 kisan pass books were distributed upto 31-12-1993.

CONSOLIDATION OF HOLDINGS

4.38 According to an old survey report, the total feasible area for consolidation of holdings in the State was 49 lakh acres. Upto March,1993, 19.91 lakh acres stood consolidated. The consolidation work remained in progress in Kangra, Una, Hamirpur, Bilaspur, Solan and Mandi districts.During 1993-94, work of consolidation of holdings in an area of 5,746 acres has been completed upto November,1993 against the target of 77,250 acres. The proposed target for the year 1994-95 is 77,250 acres.

ANIMAL HUSBANDRY

4.39 The development programme of Animal Husbandry in the Pradesh includes (i)animal health and disease control,(ii)cattle development, (iii)sheep breeding and development of wool, (iv) poultry development, (v)feed and fodder development, (vi) veterinary education. The achievements made/likely to be made in these spheres during 1993-94 are given in the following paragraphs:-

Animal Health and Disease Control Centres

4.40 At present 230 veterinary hospitals, 514 dispensaries and 89 outlying dispensaries are functioning in the State to provide the veterinary aid and prophylactic vaccination against various contagious diseases. In addition, 14 mobile dispensaries are also operating which provide immediate veterinary aid besides control of out-break of epidemics. As many as 14 clinical laboratories are in operation for providing quicker diagnosis of various animal diseases. One surveillance unit is also functioning at the State headquarters for detection and control of diseases of the animals. Rinderpest is a highly contagious animal disease for which 4 check posts at Pandoga and Mandli in Una district, Swarghat in Bilaspur district and Milwan in Kangra district continued functioning in the state during 1993-94. Through these check posts about 70,000 incoming and outgoing animals are proposed to be vaccinated during 1993-94.

4.41 Achievements likely to be made during 1993-94 under

veterinary aid programme in various institutions are given below:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1993-94 ('000)
1.	2.	3.
1.	Cases treated for contagious diseases (indoor and outdoor) ..	20.00
2.	Cases treated for non-contagious diseases (indoor and outdoor) ..	1,604.00
3.	Cases supplied with medicine but not brought to the hospitals/ dispensaries ..	88.00
4.	Vaccinations performed ..	280.00
5.	Castrations performed ..	85.00
6.	Cases treated on tour:	
	(i) Contagious ..	20.00
	(ii)Non-contagious ..	308.00
7.	Castrations performed on tour ..	112.00
8.	Vaccinations performed on tour ..	620.00

Cattle Development

4.42 In cows, jersey breed has been found as one of the best breed and jersey cow breeding is in vogue in the Pradesh. Jersey breed is being introduced by artificial insemination. Natural service is provided by keeping cow bulls of jersey breed where artificial insemination facilities could not be introduced due to non-availability of communication. In buffaloes, Murrah breed has been introduced. The buffalo breeding is being done through artificial insemination in all the districts except Kinnaur, Kullu and Lahaul-Spiti. The effective implementation of the cattle development programme is being done through the following schemes:-

(i) Key Village Scheme:- Under this scheme artificial insemination facilities are provided through 7 key village blocks with 50 key village centres. This scheme is in operation in Shimla, Solan, Sirmaur, Hamirpur, Bilaspur and Una districts.

(ii) Hill Cattle Development Programme:- The programme is in operation in Shimla, Solan, Una, Hamirpur, Kangra, Kullu and Chamba districts. Under this programme, the artificial insemination facility is being provided through 33 centres.

(iii) Intensive Cattle Development Project:- For the cattle development, one Intensive Cattle Development Project at Ghanahatti is catering the needs of the artificial insemination workers. The scheme is in operation in Shimla and Suni tehsils of Shimla district and Arki tehsil of Solan district through 22 centres/sub-centres with semen bank at Ghanahatti.

(iv) Breeding Facilities through Hospitals/Dispensaries/ Bull Centres:- With a view to boost up milk production, the work of cross-breeding and artificial insemination facilities are being provided through 507 hospitals and dispensaries in the State. Besides, natural services are being provided where artificial insemination facility is not available.

(v) Artificial Insemination Centres:- In areas where hospital and dispensary facilities are not easily available, breeding facilities are being provided through 49 artificial insemination centres in the Pradesh.

4.43 The achievements likely to be made under this programme during 1993-94 are given below:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1993-94	
		Cows	Buffaloes
1.	2.	3.	4.
1.	Artificial insemination	2,39,000	40,000
2.	Natural services	4,000	1,100
3.	Progeny born by artificial insemination	95,000	11,000
4.	Progeny born by natural services	300	200

4.44 For meeting the demand for pure and cross-bred bulls in the Pradesh, 5 cattle breeding farms are

functioning at Kamand, & Bhangrotu(Mandi), Kothipura (Bilaspur), Palampur(Kangra) and Bagthan(Sirmaur). Three semen banks with deep frozen laboratory and six liquid nitrogen plants are supplying the frozen semen straws of pedigree bulls to various artificial insemination centres in the Pradesh. As a result of the implementation of these programmes, the milk production in the Pradesh is likely to be 635 thousand tonnes during the year 1993-94. During the year, 3.60 lakh cow bull straws and 50,000 buffalo bull straws will be produced, besides, producing 1,60,000 litres of liquid nitrogen. Besides this, 900 improved breed jersey calves are being provided subsidized feed under the special livestock breeding programme.

Sheep Breeding and Development of Wool

4.45 With a view to improving the quality of sheep and wool, Government sheep breeding farms at Jeori(Shimla), Sarol(Chamba), Nagwain(Mandi), Tal(Hamirpur), Karchham (Kinnaur) are supplying improved sheep to the farmers of the State. The flock strength in these farms was 2,350. During 1993-94 about 800 rams are likely to be distributed to the farmers. In view of the increasing demand for pure hoggets and the established popularity of the Soviet Merino and American Rambouilets in the Pradesh, the State has switched over to the pure breeding at the existing Government farms. Five sheep extension centres are in operation in Kothikohar(Kangra), Swar(Mandi), Bagipul (Kullu), Dodra-Kawar(Shimla) and Choori(Chamba) Under the special livestock production programme for sheep development, sheep at subsidized rates are supplied and loans for this purpose are also provided to the small and marginal farmers and agricultural labourers in Sirmaur district. Besides, under intensive sheep development project which is in operation in Bharmaur, Chamba and Bhattiyat tehsils of Chamba district, improved sheep are being distributed and dipping and drenching facilities to the breeders are provided and pastures improved. The programme of mass drenching of sheep and training programme for progressive sheep breeders were also organised. During 1993-94, the production of wool is likely to be of the order of 15.30 Lakh kgs. Angora Rabbit farms for distribution of rabbits to the breeders are functioning at Palampur (Kangra) and Nagwain(Mandi).

Poultry Development

4.46 For providing improved poultry birds and hatching eggs, 14 poultry farms/centres are functioning in the Pradesh. Likely achievements in this field during 1993-94 are as under:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1993-94
1.	2.	3.
1.	Average number of layers maintained at Govt. farms	4,171
2.	Eggs production	8,38,764
3.	Chicks production	2,81,431
4.	Eggs used for hatching	3,34,312
5.	Sale of eggs for table	5,00,869
6.	Sale of eggs for hatching	4,200
7.	Sale of birds for breeding	1,91,787
8.	Sale of birds for table	23,227

4.47 Under special livestock(Poultry)production programme, 130 poultry units are proposed to be established during 1993-94 with the financial assistance of the Government of India for the benefit of the small and marginal farmers in Shimla, Bilaspur and Una districts.

Feed and Fodder Development

4.48 High milk yielding breeds are conserved by feeding feed and fodder of quality having rich nutritional values. The fodder is grown in the agricultural lands and pastures are improved. The breeders are supplied fodder-roots of good quality, fodder seeds, fodder trees etc. on nominal prices.

Training

4.49 The department is imparting training courses to the breeders, stock assistants etc. This year 22 unemployed youths are being trained in Animal Husbandry practices who will work in their respective panchayats.

FISHERIES

4.50 Himachal Pradesh is blessed with vast and variegated fishery resources in the shape of network of rivers, sprawling reservoirs, fast flowing cold waters etc. harbouring wide array of temperate, sub-temperate and tropical fish species. Mainly classified into riverine, lacustrina, recreational and pond fisheries, the state waters offer considerable potential for the

development of fisheries. About 12,000 fishermen families in the Pradesh depend directly or indirectly on these waters and earn their livelihood by fishing. During 1993-94, production of fish seed was accorded priority as a result of which 22.5 million fry were produced upto October,1993. In order to meet the seed requirement of new impoundments such as Chamera and Baira Seul reservoirs and intensification of aquaculture programme, the construction work of a multi-species fish seed farm at Sultanpur (Chamba) was intiated during the year. With the adoption of modern fish culture/capture practices in management of reservoir fisheries in the State, the fish production from Gobindsagar reservoir of the State upto October, 1993 was 576 tonnes against the production of 519 tonnes during the corresponding period of last year accounting for an increase of 11 percent. The department has initiated 'Fisherman Accident Insurance Scheme' and Fisherman Risk Fund' Scheme under which efforts have been made to mitigate the losses incurred by them during natural calamities. To boost pisiculture in the rural areas and generate employment avenues to the unemployed youths under Centrally Sponsored Schemes subsidy upto Rs. 20,000 per hectare for constructing new ponds, Rs. 8,000 for all the renovation of old derelict ponds and Rs. 2,000 for the construction of running water fish culture unit.

4.51 Under the Special Component Plan scheme the department is giving more emphasis on community development oriented schemes. The physical achievements under the various activities have been given in the table below:-

Sr.No.	Item	Target for 1993-94	Achievements	
			Upto Oct., 93	Expected upto March, 1994
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fish production (tonnes)	6,500	2,878	6,500
2.	Seed production- Mirror carp, Major carp, Trout (million)	30.00	22.50	30.00
3.	Licensed fishermen(No.)	13,565	12,643	13,565

FOREST

4.52 Forests in Himachal Pradesh cover an area of 37,591 square kilometres and form about 67.5 per cent of

the total geographical area of the State.These forests have a large number of aromatic and medicinal plants which can be utilized for the pharmaceutical and ayurvedic medicines. Besides, forests are also essential to conserve soil and to regulate the flow of water in the rivers so as to ensure the longevity of multipurpose hydro-electric projects. The strategy of Himachal Pradesh Government in forestry development is one of protecting and rationally managing its existing resources and side by side expanding its base. The plan programmes taken up by the Forest Department aim at fulfilling these policy measures. Some of the important plan programmes are as below:-

Forest Plantation

4.53 Forest plantation are being carried out under Productive Forestry Scheme and Soil Conservation Schemes. Productive Forestry Scheme includes introductory plantation of quick growing species, economic plantation, pasture improvement and regeneration of chilgoza pine. Under productive forestry scheme, 2,016 hectares of land was covered with a cost Rs. 130.35 lakh upto September,1993,

Indo-German Eco-Development Project (Changer Area Project)

4.54 An Indo-German Eco-development project for Changer area of Palampur Sub-Division with the assistance of Federal Republic of Germany is being implemented. The total cost of this project is estimated to be Rs. 18.71 crore. The project will have multi-disciplinary approach by integrating the departments of Forest, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry. During the year 1993-94 an amount of Rs.100.00 lakh was provided for the implementation of the project out of which a sum of Rs.17.08 lakh have been spent on forestry sector upto September,1993. The broad activities envisaged under this project are plantations, soil and water conservation, popularising timber and fuel saving devices and adoption of improved techniques in agriculture, horticulture and animal husbandry practices.

Integrated Waste Land Development Project

4.55 (a) **Integrated Waste Land Divelopment Project in Ravi Catchment:-** This project covers areas falling in Bharmaur, Chamba, Churah and Dalhousie divisions of Chamba district. This project is of 5 years duration from 1992-93 to 1996-97 and the total cost of this project is Rs.441-00 lakh. During 1993-94, a sum of Rs.65.24 lakh was spent against the target of Rs.181.85 lakh upto December,1993 covering an area of 834 hectares against the target of 1320 hectares.

(b) **Integrated Waste Land Development Project for Jamala, Khalara and Patlander:-** This project covers areas of Jamala of Mandi, Khalara of Kullu and Patlander of Hamirpur districts. This project is of 5 years duration viz 1990-91 to 1994-95 and the total cost is Rs.99.00 lakh. During 1993-94, an amount of Rs.14.46 lakh has been spent for covering an area of 110 hectares upto December,1993.

(c) **Integrated Waste Land Development Project in 13 Sub-watersheds of Beas catchment(above Pandoh):-** The project area under this scheme falls within the catchments of Beas river and its main tributories Parbati and Tirthan rivers. This project is of 4 years duration from 1991-92 to 1994-95 and the total cost of this project is Rs. 317.54 lakh. During 1993-94, a sum of Rs. 52.55 lakh has been spent upto December,1993 covering an area of 506 hectares.

(d) **Integrated Waste Land Development Project in Mayar and Kardang at Chandrabhaga in Lahaul:-** This project is being implemented in two Sub-watersheds of Mayar valley of Lahaul and Spiti district having a project area of 426 hectares and Kardang have an area of 454 hectares. This project is of 5 years duration from 1991-92 to 1995-96 with an outlay of Rs. 60.52 lakh. During 1993-94, a sum of Rs. 9.83 lakh was spent for covering an area of 111 hectares upto December,1993.

(e) **Fuel and Fodder Development Project:-** This project is being implemented with the assistance of the Govt. of India on 50:50 share basis in Hamirpur, Mandi, Kangra, Shimla and Sirmaur districts. This project is of 5 years duration from 1990-91. During 1993-94, a sum of Rs. 151.36 lakh was spent upto December 1993 for covering an area of 2093 hectares under this scheme.

(f) **Modern Forest Fire Control Project:-** The Govt. of India has provided a sum of Rs. 13.00 lakh for the implementation of this scheme. During 1993-94, an amount of Rs. 6.01 lakh has been spent upto December,1993.

(g) **Minor Forest Produce Project:-** This project is of 5 years duration from 1992-93 to 1996-97. During 1993-94, a sum of Rs. 36.36 lakh has been spent for covering an area of 982 hectares upto December,1993 under this scheme.

World Bank Aided Water Shed Development Project for Himalayan Hills(Kandi Project)

4.56 An Integrated Water Shed Development Project(Hills-Kandi areas) has been launched in the State during 1990-91 with the assistance from the World Bank. This project aims at ecological rehabilitation of the catchment areas of five rivers, viz. Markanda in Sirmaur district,Ghaggar and Sarsa in Solan district, Swan in Una district and Chakki in Kangra district to improve socio-economic conditions of farmers living in these areas. Kandi area falls in the catchment of the above five rivers where soils are highly eroded and are subjected to drought conditions throughout the year. The project shall have multi-disciplinary approach by integrating the departments of Forest, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry. During the year 1993-94 a sum of Rs. 500.00 lakh was provided for afforestation, replenishing plantations and a number of other soil conservation treatments, rainfed horticulture, fodder demonstration, treatment of village commonlands, stream bank protection and other civil works and plantation against which an amount of Rs.212.54 lakh have been spent.

Wild Life and Nature Conservation

4.57 Himachal Pradesh is known for a variety of games, both animals and birds. The scheme aims at improving the game sanctuaries and shooting blocks so as to afford protection to the species facing extinction. An amount of Rs. 92.04 lakh (including central share) has been utilised for this purpose upto September, 1993 against the target of Rs.150.00 lakh for the year 1993-94

Forest Protection

4.58 Forests are exposed to dangers of fires. illicit felling and encroachments. It is, therefore, necessary that check posts at suitable places are established to curb illicit timber trade, fire fighting equipments are introduced and made available to all the forest divisions where fire hazards are feared. Better communications have to be provided to affect better safety to forests in all fire prone divisions. During the year under review this scheme continued functioning and Rs. 5.33 lakh have been spent upto September,1993 against the target of Rs. 15.00 lakh.

5. INDUSTRIES

5.1 Himachal Pradesh is endowed with bountiful resources of water/hydropower, mineral, forests and cool and dust-free climate. All these factors provide favourable condition for setting up agro-based, forest-based, food processing, beverages and electronic industries in the Pradesh.

5.2 Eversince the planning era in the country, great progress has been made in the economic development of the State. In the earlier years the emphasis was laid on the development of infrastructure like roads, bridges, transport, communications as well as on the development of agriculture and horticulture. Simultaneously, steps were taken to develop the secondary and tertiary sectors of economy so that new and alternate outlets of employment are generated for the people, especially the educated unemployed youth. Initial start was made in this direction by the development and modernisation of the traditional cottage products and handicrafts. This prepared the base for the development of enterpreneurship for subsequent indutrial development in the State. At present, the rumber of small scale industrial units registered with the Industries department is 22,000 with a total investment of Rs.280 crore and provide employment opportunities to about 80,000 persons. In large and medium scale sectors, the State has made significant progress. At present, 140 large and medium scale projects are functioning in the Pradesh and capital to the tune of Rs. 530 crore has been invested in these projects and employment has been generated for about 17,000 persons. Recently, elecronics have added a new dimension to the industrial development of the State. For the development of electronic industry, the Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation has been functioning in the State.

Industrial Project Approval and Review Authority(IPARA)

5.3 The main function of this authority is to help the entrepreneurs in implementing their projects by co-ordinating the activities of different institutions/agencies involved. The approval of IPARA, is obligatory in case of medium and large scale industries. During 1993, 24 new projects were approved by the IPARA having a capital investment of Rs.622.19 crore and employment potential of 6,011 persons.

District Industries Centres

5.4 District Industries Centres(DICs) have been functioning in all the districts of the Pradesh . The objective of DIC programme is to provide all facilities/services and support required by village and small entrepreneurs under single

Item	Target (1993-94)	Achievement (upto Dec., 1993)
1.	2.	3.
1. T.T.(PW)	1,50,120	82,999
2. D.P.T.	1,36,170	94,847
3. Polio	1,36,170	95,043
4. B.C.G.	1,36,170	95,412
5. Measles	1,36,170	86,947
6. D.T.(5 years)	1,08,023	1,11,592
7. T.T.(10 years)	99,021	93,334
8. T.T.(16 years)	99,021	60,584
9. I.F.A. to mothers	1,50,120	1,47,921
10. Prophylaxis against blindness due to Vitamin 'A' deficiency:		
Children	2,67,730	1,53,702

(x) School health programme:- Under this programme,medical check up and immunization of the students with T.T. is undertaken and students suffering from any disease are referred to a nearby medical institution for treatment.

(xi) Medical college:- The Indira Gandhi Medical College, Shimla had an intake capacity of 65 students during the year 1993-94. Indira Gandhi Hospital and Kamla Nehru Hospital, Shimla are associated with it for teaching and training purposes. With the establishment of this college, specialised services in medicine, surgery, OBG, skin, V.D., dentistry, ENT, radiology, orthopaedic and ophthalmology, cardiology, radio therapy, neurology and neuro-surgery etc. are available to the general public. Besides the college also imparts training to nurses, radiographers, opthalmic assistants, OTA, laboratory technicians, pharmacist, dental, hygienists to cater to the needs of hospitals and dispensaries in the Pradesh. In addition, the Medical College is running 50 bedded mobile hospital to provide medical aid to the public in rural and difficult areas and field training to the interns to improve quality of undergraduate students and trainee nurses.

AYURVEDA

10.30 In Himachal Pradesh, treatment by Indian System of Medicine and Homoeopathy, is being provided to the general public through 2 regional hospitals, 2 circle hospitals, 1 tribal hospital , 7 district hospitals, one

nature cure unit, 522 ayurvedic dispensaries, 3 unani dispensaries and 2 homoeopathic dispensaries. During 1992-93 40,276 indoor and 33,35,793 outdoor patients were treated under this system. Besides, 2 Government ayurvedic pharmacies continued manufacturing medicines for supplying to the government ayurvedic hospitals and dispensaries. Efforts are being made to augment the production capacity of these pharmacies. During the year 1992 as many as 115 classical medicines were manufactured in these pharmacies. In addition, a research institute alongwith a clinical unit is functioning at Jogindernagar. A Government Ayurvedic College with an intake capacity of 20 students per year for B.A.M.S. degree is functioning at Paprola in Kangra district for providing ayurvedic education in the Pradesh. The institutions of the department of Indian System of Medicine remained associated with National Health Programme like Malaria-eradication, family welfare and immunisation etc. during the year under review. The ayurvedic institutions organised family welfare camps to motivate the eligible couples and camps for after care of operated cases.

Nutrition Programme

10.31 The special nutrition programme being implemented by the Social and Women's Welfare Department aims at providing supplementary nutritive diet to the children below 6 years and expectant and nursing mothers belonging to poor sections of society. This programme is expected to benefit 1,35,000 children and 30,000 expectant and nursing mothers. The per unit cost of nutritious diet is 95 paise per child per day and Rs. 1.15 per mother per day.Besides, upto the year 1993-94, 36 Integrated Child Development Services(ICDS) projects had been sanctioned for the Pradesh by the Govt. of India. The objective of this scheme is to improve the nutrition and health status of children in the age group 0-6 years in order to lay the foundation for proper psychological,physical and social development of the children to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutritional and school dropouts etc. and to achieve effective co-ordinated policy for its implementation amongst the various departments to promote child development. To achieve these objectives 6 services viz. immunization supplementary nutrition, health check up, referral services and health and nutrition education and non- formal pre-school education are being provided under the ICDS scheme. By the the end of current financial year, it is expected to cover about 1.35 lakh children and 0.35 lakh womer under this scheme.

SOCIAL WELFARE AND WELFARE OF BACKWARD CLASSES

10.32 The Welfare Department of the State is engaged in socio-economic and educational uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, infirms, handicapped,orphans, children, women, and destitutes etc.,

The following schemes are being implemented under social welfare programme:-

Social Security

10.33 Under this scheme pension is provided to those persons who are 60 years old or above and have none to support them and their annual income does not exceed Rs. 2,000. The old age pension is given @ Rs. 60/- per month. In the revised pension rules,the old age pension is also given to those persons having children also, provided their monthly income does not exceed Rs 1,000.There is no age limit in the case of physically handicapped persons who are allowed this pension in the shape of disability relief allowance. Similarly, there is no age limit for the grant of this pension to widows. The number of such pensioners in the Pradesh is 1,03,971 during the year 1993-94. During 1993-94, about 2,000 lepers are being given rehabilitation allowance @ Rs. 60 per month.

Child Welfare

10.34 With a view to look after the orphans, the semi-orphans and destitute children, the department is providing grant-in-aid for the running and maintenance of Bal/Balika Ashrams at Reckong-Peo, Sarahan, Suni, Mashobra, Tutikandi(Shimla),Shimla, Kullu and Lahaul (Chamba) Dhalli, Dehar(Mandi), Bharnal(Mandi), Chamba and Solan being run by the voluntary organisations. The Welfare department is also running 2 ashrams at Pragpur and Sujanpur. In these ashrams the inmates are provided with free boarding and lodging facilities and education upto matric standard. One juvenile home which was established under Juvenile Act,1986 at Sundernagar for destitute and neglected children continued functioning during 1993-94. Besides, a special school-cum-observation home has been functioning at Haroli in Una district for the delinquent children.

Woman Welfare

10.35 Various schemes are being implemented for the welfare of women in the Pradesh. The major schemes being implemented in this regard are as under:-

(i)State homes:- For destitute women and wayward girls, State homes at Chamba, Mandi, Shimla, Kangra and Kalpa are being run by the Govt. Besides, one State home at Nahan is being run through the Indian Council of Child Welfare(ICCW). The inmates of these homes are provided free boarding and lodging facilities, and training in craft, tailoring and embroidery etc.to enable them to earn their livelihood when they leave these homes. For the rehabilitation of such women financial assistance upto Rs. 3,000 per woman is also provided.

(ii)Working women hostels:- With a view to provide residential accommodation to the working women in towns and urban and rural townships the department constructed 13 working women hostels. These hostels were constructed by the voluntary organisations with the help of grant-in-aid @ 75 per cent from the Govt. of India and @ 25 percent from the State Govt.

(iii)Marriage grant to destitute girls:- Under this programme, marriage grant upto Rs. 2,500 per beneficiary is being given to the parents/guardians of the girls or to the girl herself provided their annual income does not exceed Rs. 7,500. During 1993-94, a provision of Rs. 5.00 lakh has been kept for this purpose and about 200 girls are likely to be benefitted.

(iv)Assistance for self-employment to women:- Under this programme, assistance is given @ Rs. 1,000 to Rs.2,500 to those women whose annual income does not exceed Rs 7,500 and possess knowledge of any particular trade or have got training/diploma in that particular trade. During 1993-94, Rs.1.25 lakh has been provided for the purpose and about 50 women will be benefitted.

(v)Women Development Corporation:- With a view to provide financial assistance to women for various trade purposes, a Women Development Corporation has been set up in the Pradesh. During 1993-94,a sum of Rs. 4.00 lakh has been provided to the Corporation.

Welfare of Handicapped

10.36 Under this programme, Rs. 0.70 lakh has been provided for the welfare of handicapped, under the scheme 'Artificial Limbs to Handicapped'. Scholarships are also given to the handicapped persons. Further, vocational training is imparted to the handicapped persons with a view to train them in various trades to enable them to earn their livelihood. Marriage grant @ Rs. 5,000 is given to those who marry handicapped persons and a provision of Rs. 55,000 to cover 22 couples has been provided for the current financial year for this purpose.

WELFARE OF BACKWARD CLASSES

10.37 Under this programme, the following schemes were implemented during 1993-94:-

(i) Technical scholarships:- Under this scheme, trainees of scheduled castes, scheduled tribes

and other backward classes getting training in I.T.Is., R.I.T.Is. and cluster centres etc. are given technical scholarships @ Rs. 100 per month per trainee. During 1993-94, a sum of Rs. 21.80 lakh has been provided in the budget and 1,800 trainees will be benefitted.

(ii) Follow-up programme:- Under this scheme,tools and equipments are given to the trainees who have qualified in various trades from I.T.Is or from any other institution. Trained artisans are also covered under this scheme. About 1,020 persons are expected to be benefitted with a provision of Rs. 6.60 lakh during 1993-94.

(iii) Award for inter-caste marriage:- With a view to remove the practice of untouchability,an award of Rs. 6,000 per couple is given where the girl belongs to upper caste and Rs. 5,000 per couple where the girl belongs to scheduled caste in order to encourage intercaste marriages. During 1993-94, a sum of Rs. 3.00 lakh has been provided and about 60 couples are likely to be benefitted.

(iv) Housing subsidy:- Under this scheme, the members of scheduled castes and scheduled tribes are given subsidy upto Rs. 10,000 per family in snowbound areas and upto Rs. 8,000 per family in other areas for house construction purposes. Further, 50 per cent of the aforesaid limit is granted to the members of these castes for the repair of houses. Rs. 66.00 lakh has been spent by benefitting 802 families.

(v) Environment and improvement of Harijan Basties :- Under this scheme, small drinking water supply schemes are being undertaken in the villages with concentration of scheduled castes population and not covered by the schemes of Public Health Department. During 1993-94, a sum of Rs.18.00 lakh has been allocated and about 10 panchayats are likely to be benefitted. Upto December, 1993 about Rs. 12.14 lakh has been spent under this scheme.

(vi) Proficiency in typing and shorthand:- Under this scheme, ex-trainees of scheduled castes and scheduled tribes are posted in various offices to enable them to maintain their proficiency in shorthand and typing. The list of such trainees is obtained from the

employment exchanges and then some of these trainees are posted in different offices. These trainees are given stipend @ Rs. 300 per month for a period of one year. About 37 trainees are likely to be benefitted under this scheme with an amount of Rs. 2.90 lakh during 1993-94.

(vii) Compensation to victims of atrocities on scheduled castes families:- Under this scheme, monetary relief is granted to those scheduled caste families who become victims of atrocities committed by the members of other communities due to caste consideration. During 1993-94, a provision of Rs. 1.00 lakh has been made for this purpose.

(viii) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation:- For the economic development of scheduled castes and scheduled tribes in the Pradesh, a Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation has been set up. This Corporation undertakes various loaning programmes in collaboration with banks. During 1993-94,an amount of Rs. 35.00 lakh has been earmarked as State share.

(ix) Tribes Advisory Council:- A Tribes Advisory Council under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister has been constituted to discuss the progress of the schemes being implemented for the welfare of S.Cs. and S.Ts. A sum of Rs. 1.00 lakh has been provided for this council during 1993-94.

TRIBAL AND SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT

10.38 An in-depth review of the tribal situation on the eve of the Fifth Plan revealed that the scheduled tribes by and large continued to remain socially and economically backward. Hence, the concept of tribal sub-plan was evolved for accelerated socio-economic development of tribal areas beginning from 1974-75. The tribal sub-plan strategy comprised identification of development blocks with 50 per cent or more scheduled tribe population, earmarking funds for the tribal sub-plan from the Central and State plan sectoral outlays and financial institutions and supplementation thereof from the Central pool of special central assistance and creation of appropriate administrative structures in tribal areas and adoption of appropriate personnel policies.

10.39 The tribal areas in the State are the districts of Kinnaur and Lahaul-Spiti and Pangi and Bharmaur tehsils and sub-tehsil Holi of Chamba district. In the 6th Plan

Modified Area Development Approach(MADA) was devised to cover the dispersed scheduled tribes population under sub-plan treatment and two pockets of tribal concentration, viz. Chamba and Bhattiyat were identified. In the sixth plan, emphasis also shifted from welfare to family and beneficiary-oriented development schemes within the general programmes. Together with tribal areas, 63 percent of the scheduled tribes population was covered under sub-plan treatment. For the 8th Plan, the basic premise continues to hold good. The State Plan flow to the Tribal Sub-Plan had been 8.62 percent for the 6th plan and that targeted for the 7th Plan was 9 percent against which the actual achievement had been 8.78 per cent. In the annnual plans 1992-93 and 1993-94 such flow was of the order of 9 per cent and 8.92 per cent respectively. During 1993-94, in the annual state plan size of Rs. 550.00 crore,the State Plan flow to the Tribal Sub-Plan was Rs. 49.50 crore and Special Central Assistance Supplementation was Rs.3.94 crore. The Special Central Assistance received for the tribal pockets was Rs. 0.13 crore.The highest priority was accorded to the Economic Services sector. The scheduled tribes outside the tribal areas and tribal pockets were brought under the sub-plan treatment for the first time in 1987-88 when special central assistance benefit was extended to them. The assistance received for 1993-94 was Rs. 0.26 crore.

Scheduled Castes Development

10.40 According to the 1991 census, 13.10 lakh i.e. 25.34 percent of the total population of the State belonged to various scheduled castes. Unlike the Tribal Sub-Plan which is area based, scheduled caste population being highly scattered, individual/family/habitat oriented schemes/ programmes which have been devised for the scheduled castes includes (i)to improve resource availability with them in order to improve productivity,(ii)to make their profession less disgraceful and (iii)to ensure the spread of education so that they could attain both vertical and horizontal mobility in employment and general improvement in their living environment and other socio-economic development. The Special Component plan was launched in the State during 1979-80 for the first time. During the 7th Plan, the State plan flow to the S.C.P. was 10.90 per cent and that during the annual plans 1991-92 and 1992-93 it was 10.34 per cent and 12.35 per cent respectively. These efforts have been supplemented by the Ministry of Home Affairs(now Welfare)by way of Special Central Assistance. For the Eighth Plan period State Plan earmarking has been reckoned at 12 percent of the overall State Plan size irrespective of its 'divisible' and indivisible', components. For 1993-94, the Special Component Plan size was Rs. 71.75 crore(State Plan Rs. 68.75 crore and Special Central Assistance Rs. 3.00 crore).

10.41 District Level Review Committees are constituted in each district(except Kinnaur and Lahaul Spiti) to periodically review and monitor the implementation of the Special Component Plan at the district level.

10.42 Under point-11 of the 20-Point Programme-1986, the target of assisting 23,420 scheduled castes and scheduled tribes families during 1993-94 was achieved to the extent of 12,523 upto December,1993. Concurrent evaluation of such beneficiaries is also done.

11. TRADE AND COMMERCE

COMMERCIAL BANKING

11.1 The number of bank offices of Scheduled Commercial banks increased from 734 as in March,1992 to 742 as in March,1993, registering a growth of 1.1 per cent. Kangra district accounted for 146 bank offices (19.7 per cent) followed by Shimla district with 117 (15.8 per cent) in the State. The programme of expansion of branches in the rural and semi-urban areas was continued in 1993 and the number of branches in the rural areas stood at 660 which accounted for 88.9 per cent of the total bank offices in the State. When related to population, the average population per bank branch for the State has increased to 7,086 in March,1993 from 7,059 as at the end of March,1992.

11.2 Aggregate deposits of the scheduled commercial banks in the Pradesh increased from Rs.1,590.86 crore in March,1992 to Rs. 1,855.79 crore in March,1993 or by 16.7 per cent. Gross bank credit increased from Rs.530.11 crore in March,1992 to Rs.589.42 crore in March,1993 or by 11.2 per cent. The credit-deposit ratio for the state was 31.8 per cent in March,1993 as against 33.3 per cent in March,1992. Though 88.9 percent of the bank offices in the state were located in rural areas, they accounted for 70.6 per cent of credit and 70.4 per cent of deposits. Kangra district accounted for 25.1 per cent of deposits and 15.4 per cent of credit and Shimla district accounted for 22.4 per cent of deposits and 24.1 per cent of credit of the scheduled commercial banks in the State in March,1993.

11.3 The outstanding credit of all scheduled commercial banks stood at Rs.589,26 lakh at the end of March,1991 which is 26.9 per cent higher than that of March,1990 which was Rs.464,21 lakh. Latest data on outstanding credit by scheduled commercial banks according to sectors is available for the period ending March,1990 and March,1991. Most sectors recorded increase in outstanding credit between March,1990 and March,1991. Table below gives the data on group-wise classification of outstanding credit of all scheduled commercial banks on the last day of March,1990 and March,1991:-

Distribution of Group-wise classification of Outstarding Credit of All Scheduled Commercial Banks in Himachal Pradesh

(Rs. in lakh)

Sector	Bank credit as on the last day of March, 1990		March, 1991		Percentage increase(+) or decrease(-) in 1991 over 1990
	Out standing	Percentage to total	Out standing	Percentage to total	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Agriculture	86,87	18.71	100,14	16.99	15.28
2.Industry	173,22	37.31	208,35	35.36	20.28
3.Transport Operators	56,91	12.26	76,94	13.06	35.20
4.Personal Loans and Professional Services	49,66	10.70	66,40	11.27	33.71
5.Trade	64,86	13.97	78,20	13.27	20.57
6.Financial Institutions	63	0.14	10,11	1.72	1504.76
7.All Others	32,06	6.91	49,10	8.33	53.15
Total Bank Credits	464,21	100.00	589,26	100.00	26.94
Of which Small Scale Industries	76,70	16.52	95,32	16.18	24.28

CO-OPERATIVE BANKS

11.4 The H.P. State Co-operative Bank has 93 branch offices including head office in March,1993. The deposits of the State Cooperative banks were Rs. 21,799.71 lakh in March,1993 as against Rs.21,245.38 lakh in March,1992 showing an increase of 21.4 per cent. In addition, the Kangra Cooperative Bank Ltd., Dharamshala has 82 branches including head office with deposits of Rs. 12,330.72 lakh in March,1992 whereas it had 80 branches with deposits of Rs. 11,586.86 lakh in June 1991. Similarly, The Jogindra Central Cooperative Bank Ltd., Solan had 16 branches, including head office with Rs. 1,257.64 lakh deposits in March,1992 as against Rs. 1,115.72 lakh in June, 1991.

12. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

I. STATE SECTOR

Roads and Bridges

12.1 Economic and social development of Himachal Pradesh depends mostly on efficient system of roads and communications. Roads are the lifeline of the people of the State as there are practically no other means of transport. Therefore, very high priority continued to be accorded to the programmes of road construction. For the year 1993-94, an outlay of Rs. 5,430.00 lakh including Rs 30.00 lakh for cable ways, Rs. 90.00 lakh for Nahan Foundry and Rs. 400.00 lakh for road maintenance and repairs was approved for the construction of roads and bridgess. Upto November,1993, an amount of Rs. 4065.28 lakh has been spent for the purpose. The target fixed for 1993-94 and achievements made upto November,1993 have been given as under:-

Item	Unit	Target for 1993-94	Achievement upto Nov., 1993
1.	2.	3.	4.
1.Motorable ..	Km.	290	175
2.Cross-drainage ..	-do-	125	80
3.Metalling and tarring ..	-do-	140	102
4.Jeepable ..	-do-	25	16
5.Bridges ..	No.	30	11
6.Village connected ..	-do-	25	10

II. Central Sector

National Highways

12.2 A sum of Rs. 1,200.00 lakh was allocated by the Government of India for the improvement of national highways comprising a total length of 760 Km. falling in Himachal Pradesh out of which Rs. 456.19 lakh were spent upto November,1993 and the balance amount is expected to be fully utilised during the remaining part of the current financial year. The works under this scheme include widening of National Highway-22 from Shimla to Wangtu, construction of Barog by-pass, and upgradation of Pathankot-Chakki-Mandi road, which has already been designated as National Highway-20. In addition, an amount of Rs. 629.45 lakh has also been made available by the Govt. of India for normal maintenance of National Highways and restoration of flood/rain damages. Works on all these aspects are being implemented vigorously.

Non-Residential and Residential Buildings

12.3 The Public Works department executes the building construction programme of all the departments both under residential and non-residential sectors. An amount of Rs.520.00 lakh has been provided for non-residential buildings under 'Building Construction Programme' for the year 1993-94 against which an amount of Rs. 340.74 lakh has already been spent upto November, 1993. Similarly, an amount of Rs. 360.00 lakh for residential housing has been kept for the year 1993-94 out of which an amount of Rs.74.44 lakh has already been utilised upto November, 1993.

Railways

12.4 The length of railway routes in the State remained at 225 km. as on 31st March,1993. There are only two narrow gauge railway lines connecting Shimla with Kalka(96 km.)and Jogindernagar with Pathankot(113 km.) and one 16 km. broad gauge railway line from Nangaldam to Una.

Civil Aviation

12.5 Prior to the commencement of the Seventh Plan there was only one airstrip in Himachal Pradesh at Bhuntar in Kullu valley. With this limited air service, the other important tourist places in Himachal Pradesh like Shimla, Dharamsala, Dalhousie, etc. remained without a link which was a big drawback in overall development in general and tourism in particular. During Seventh Plan period two airports namely Shimla at Jubbar-Hati and Kangra at Gaggal were taken in hand and made operational with a view to boost tourism in the Pradesh. The Shimla airport was made operational in May,1987 and Kangra airport in May, 1990. With the construction of the airports, Kangra and Shimla valleys have been connected by air with the rest of the country. The airstrips at Jubbar-Hatti and Gagal have been handed over to Airport Authority of India for operational purposes.

ROAD TRANSPORT

12.6 In the absence of any other mechanised mode of transport such as railways, air and waterways which are almost negligible in the Pradesh,the Himachal Pradesh Road Transport Corporation(H.R.T.C.)was established with a view to provide coordinated, organised, efficient and effective road transport services throughout the Pradesh and also on joint routes with neighbouring States/Union Territories. The passenger transport in the State is mainly nationalised especially in areas constituting old Himachal.

12.7 There was a fleet strength of 1,686 buses with the H.R.T.C. during 1993-94 upto November,1993. During 1993-94,

the H.R.T.C. buses were operating on 1,892 routes as against 1,810 routes during 1992-93.

Kilometrage Covered

12.8 During 1993-94, 3.15 lakh operational kilometres per day will be covered by the Corporation buses as compared to 3.05 lakh kilometres per day during 1992-93.

12.9 There are 21 operating units, four Divisional Level Offices and two divisional workshops at Shimla and Mandi functioning in the Pradesh.In addition to these, workshops at Parwanoo and Jasur, for bus body building and body repairs of buses, are also functioning. In addition, cold retreaded plants are also functioning at Parwanoo, Jassur and Mandi. Twenty one Regional depots of Corporation are providing efficient bus services to public. The steps taken during 1992-93 to increase the revenue of the corporation and to bring about reduction in the expenditure continued during the year 1993-94.

13. CO-OPERATIVE MOVEMENT

13.1 The number of Cooperative societies in the State has increased by 3.09 per cent as the number of cooperative soçieties increased to 4,243 during 1992-93 from 4,116 in 1991-92 and their paid-up share capital increased by 9.89 percent to Rs. 5,282.41 lakh in 1992-93 from Rs. 4,807.00 lakh in 1991-92. The deposits of these societies during 1992-93 increased to Rs. 51,749.65 lakh from Rs.41,596.00 lakh in 1991-92 i.e. by 24.41 per cent. The short term and medium term loans advanced (agricultural and non-agricultural credits) during the year 1992-93 rose to Rs. 7,544.03 lakh from Rs. 4,858.58 lakh in 1991-92 thereby showing 'an increase of 55.27 per cent whereas long term loans advanced increased to Rs. 413.20 lakh upto 31.3.93 from Rs. 343.81 lakh upto 31.3.1992. The increase in the working capital in 1992-93 over the earlier year i.e. 1991-92 was 19.72 per cent.The table below gives the progress of the co-operative movement in the Pradesh for the last two years:-

Progress of Co-operative Movement

(Rs. in lakh)

Sr. No.	Item	1991-92	1992-93	Percentage increase or decrease over 1991-92
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Number of societies	4,116	4,243	3.09
2.	Membership(in lakh)	10.30	10.70	3.88
3.	Share capital	4,807.00	5,282.41	9.89
4.	Deposits	41,596.00	51,749.65	24.41
5.	Total short term and medium term loans advanced (agricultural and non-agricultural credits)	4,858.58	7,544.03	55.27
6.	Long term loans advanced	343.81 (upto 31.3.92)	413.20 (upto 31.3.93)	20.18
7.	Value of agricultural produce marketed	2,362.64	3,286.32	39.10
8.	Retail distribution of:			
	(i)Consumer articles	6,698.75	9,062.45	35.28
	(ii)Agricultural inputs	1,166.30	1,508.00	29.30
9.	Coverage of rural population (percent)	100	100	

A brief account of the important programmes of the co-operative societies is given below:-

Co-operative Credit

13.2 Long term finances are being provided by the Himachal Pradesh Agriculture Rural Development Bank Ltd. Shimla and the Primary Agriculture Rural Development Bank Ltd., Dharamshala. These banks advance long-term loans to the farmers for various agricultural purposes.

Distribution of Consumer Goods

13.3 Primary co-operative societies function as an effective agency for the distribution of essential commodities of mass consumption in the Pradesh including the remote and tribal areas of the Pradesh.

Supply of Inputs

13.4 The co-operative societies are also engaged in the important task of supplying agricultural inputs viz. fertilizers, improved seeds, etc. to the farmers.

14. LOCAL BODIES

14.1 In a country like India which is wedded to the concept of democratic way of life, the Panchayats at the grass-root level have to play a vital role in shaping the rural economy. Strengthening of these grass-root level democratic institutions is, therefore, very essential. Maximum utilisation of human and material resources in rural areas is possible only if there is fuller and active involvement of Panchayati Raj Institutions in the process of both formulation and implementation of plans.

14.2 During 1993-94, schemes like (i)repair of panchayat ghars, (ii)grant-in-aid to panchayat libraries, (iii) grant to panchayats for the discharge of municipal functions, (iv)construction of panchayat training institute buildings, (v)construction/repair of panchayat samiti/zila parishad buildings, (vi)grant-in-aid to panchayats equal to the collection of enhanced house tax,(vii) honorarium to Chairman/Vice Chairman, and (viii) Scheduled Castes special component plan continued.

Municipal Bodies

14.3 At present there are 50 urban local bodies in the Pradesh including Municipal Corporation, Shimla. Due to limited sources of income of these urban local bodies, the Government has been sanctioning grant-in-aid every year to enable them to provide civic amenities to the public. During the year 1993-94, a sum of Rs. 838.64 lakh(Rs.328.29 lakh under plan and Rs. 510.35 lakh under non-plan)has been provided in the budget which is being sanctioned as grant-in-aid to these urban local bodies for maintenance and upkeep of developmental works in the urban areas.

14.4 Due to abolition of octroi from April,1982, the Government has been giving grant-in-aid to the urban local bodies which have been deprived of their major source of income for sustaining their normal activities and to ensure normal functioning of local bodies. During 1993-94, an amount of Rs. 353.10 lakh has been provided for the purpose. Under the protection of Civil Rights Act,1955, a scheme namely conversion of dry latrines into hand flush system is being run under the centrally sponsored scheme in 13 towns of the Pradesh. During the year 1993-94, an amount of Rs. 40.00 lakh has been provided for the conversion of dry latrines into hand flush system. Upto October,1993, 12,652 dry latrines have been converted into hand flush system resulting in the liberation of 432 scavengers from the demeaning task of carrying night soil on their heads.

14.5 Urban Basic Services Scheme has been started in five towns of the Pradesh under the Centrally Sponsored scheme. 40 per cent share of this scheme is borne by the State Govt., & 60 per cent by the Central Govt. The main

objective of this scheme is to look after the health and all-round development of women and children in backward areas of these towns. During 1991-92 , the scheme has been extended to Hamirpur and Chamba towns. An amount of Rs. 9.00 lakh has been provided under this scheme for the year 1993-94. Under Nehru Rojgar Yojna Scheme, employment opportunities continued to be provided to the youth by granting them loans. During 1993-94 an amount of Rs.42.00 lakh has been provided for the purpose.

14.6 During 1993-94, the details of amount allocated as grant-in-aid to the urban local bodies for carrying out developmental activities are as per table given below:-

(Rs. in lakh)

Head of Account	Plan	Non-Plan	Total
1.	2.	3.	4.
3054-Roads and Bridges	31.00	62.10	93.10
2215-Water Supply	82.00	14.19	96.19
2217-Urban Development	203.29	45.00	248.29
Total	316.29	121.29	437.58

15. SPECIAL STUDIES

(A) ECONOMIC CENSUS-1990

15.1 Comprehensive and reliable statistics are an essential pre-requisite for sound and systematic planning of any sector of economy. We do have data an a wide range of items in agricultural sector, but, in non-agricultural sector the availability of information on regular basis is confined to certain organised segments only. In order to have regular detailed information for the informal & unorganised sectors too, the Central Statistical Organisation, Ministry of Planning, Government of India, launched a Centrally Sponsored Scheme "Economic Census and Surveys" in 1977. To collect the basic information about all non-agricultural enterprises in the country, the first 'Economic Census' under this scheme was conducted in the year 1977, second census in 1980 and third Economic Census was conducted in the year 1990.

15.2 Like all other States, in Himachal Pradesh also, all these Economic Censuses were conducted by the Department of Economics and Statistics. For ease of operational convenience and cost effectiveness, Economic Census 1990, like Economic Census 1980, was again synchronised with the houselisting operation of Population Census 1991. This Economic Census covered all the activities under agricultural and non-agricultural sectors except the enterprises engaged in crop production and plantation. The information relates to location of enterprise, description of activity of enterprise, nature of operation, type of ownership, social group of owner, power/fuel used for the activity and the number of total persons and hired persons usually working in the enterprise.

ALL ENTERPRISES.

15.3 The Census survey revealed that there were 1,82,981 enterprises in the Pradesh, wherein 4,68,650 persons were usually working. Among these enterprises, 1,75,875 enterprises (96.1 percent) having an employment of 4,56,668 (97.4 percent) persons were engaged in non-agricultural activities and the rest of 7,106 (3.9 percent) enterprises with an employment of 11,982 (2.6 percent) persons were in agricultural activities (other than crop production and plantation). In all 35,414 (19.4 percent) enterprises were located in urban areas and 1,47,567 (80.6 percent) were in rural areas. The enterprises which were owned and operated with the help of household labour only i.e. own-account enterprises, numbering 1,24,264 constituted about 67.9 percent of the total enterprises, whereas the establishments (i.e. the enterprises which employed, at least, one hired worker on a regular basis) numbering 58,717 constituted 32.1 percent of total enterprises.

15.4 Out of 1,47,567 enterprises located in rural areas, 1,40,719 (95.4 percent) enterprises were in the non-agricultural sector and the remaining 6,848 (4.6 percent) enterprises were in the agricultural sector. Among the 1,40,719 non-agricultural rural enterprises, there were 97,832 (69.5 percent) own-account enterprises and the rest were establishments. Similarly, out of 6,848 agricultural enterprises located in rural areas, 5,927 (86.5 percent) were own-account enterprises and the remaining 921 enterprises were in the category of establishments.

15.5 The situation in the urban areas is a little different. Among 35,414 enterprises located in urban areas, 35,156 (99.3 percent) were engaged in non-agricultural sector and the remaining 258 only (0.7 percent) were in agricultural sector. It indicates that almost the entire activity in the urban areas is confined to non-agricutural sector. Out of 258 agricultural urban enterprises, 192 were own-account enterprises and only 66 were establishments.

EMPLOYMENT

15.6 About 4.69 lakh persons were usually working in 1.83 lakh enterprises in the entire state. The own-account enterprises numbering 1,24,264 gave employment to 1,53,395 persons, giving an average employment of 1.23 persons per own account enterprise. On the other hand, the establishments numbering 58,717 account for employment of 3,15,255 persons, thus, giving an average employment of 5.36 persons per establishment, out of which the hired employment component per establishment is 4.97 persons. The number of enterprises and employment therein, by location status, is shown in Table 15.1

Table 15.1

NUMBER OF ENTERPRISES AND EMPLOYMENT THEREIN BY LOCATION STATUS

Type of enterprises and employment	Rural		Urban		Total number
	Number	%age	Number	%age	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.AGRICULTURAL ACTIVITIES					
a) All enterprises	6848	96.4	258	3.6	7106
(i) OAE	5927	96.9	192	3.1	6119
(ii) Establishments	921	93.3	66	6.7	987
b) Persons usually working	11492	96.0	490	4.0	11982
(i) OAE	8861	97.0	272	3.0	9133

1.	2.	3.	4.	5.	6.
(ii) Establishments	2631	92.3	218	7.7	2849
c) Total hired workers	2194	93.0	166	7.0	2360
II. NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES					
a) All enterprises	140719	80.0	35156	20.0	175875
i) OAE	97832	82.8	20313	17.2	118145
ii) Establishments	42887	74.3	14843	25.7	57730
b) Total persons usually working	300722	65.9	155946	34.1	456668
i) OAE	117537	81.5	26725	18.5	144262
ii) Establishments	183185	58.6	129221	41.4	312406
c) Total hired workers	170504	58.9	118952	41.1	289456
III.AGRICULTURAL & NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES					
a) All enterprises	147567	80.6	35414	19.4	182981
i) OAE	103759	83.5	20505	16.5	124264
ii) Establishments	43808	74.6	14909	25.4	58717
b) Total persons usually working	312214	66.6	156436	33.4	468650
i) OAE	126398	82.4	26997	17.6	153395
ii) Establishments	185816	58.9	129439	41.1	315255
c) Total hired workers	172698	59.2	119118	40.8	291816

Note:-Figures in Col.3 and Col.5 are percentages to horizontal total given in Col.6

15.7 While analysing the distribution of non-agricultural enterprises by major activity groups, it is revealed that retail trade, manufacturing and community, social and personal services were the three most important activity groups from the point of view of number of enterprises in the State, both rural and urban areas combined. These three activity groups alone constituted about 88 percent of total enterprises in the state, with contribution of trade as 29 percent, manufacturing 28 percent and community, personal and social services 31 percent.

15.8 Out of the total 1,75,875 non-agricultural enterprises about 80 percent (140619 enterprises) were located in rural areas and the remaining 20 percent (35156 enterprises) were in urban areas.

15.9 Economic Census-1990 results further reveal that own-account enterprises constitute a major chunk of the total non-agricultural enterprises. There were 67.2 percent O.A.Es and 32.8 percent establishments. The percentage share of establishments in total non-agricultural enterprises was the highest in communications 99.8 percent, followed by electricity, gas and water supply (94.0 percent) storage and warehousing (76.4 percent), finance, insurance and real estate and business services (75.2 percent), mining and quarrying (69 percent) and community, social and personal services (59 percent). The remaining activity-groups were having less than 50 percent of their enterprises as establishments. It was manufacturing sector which had the least portion of establishments (15 percent).

15.10 The table 15.2, given below presents some important characteristics of enterprises like ownership, operation and location. It reveals that out of the total (182981) enterprises, only 14,933 enterprises (8.2 percent) were seasonally operated and 7.6 percent were without premises. In all, 67.7 percent of enterprises were not using any power/fuel for their economic activity. 18.1 percent of the enterprises were owned by the scheduled castes and only 3.0 percent by the scheduled tribes.

Table 15.2

SELECTED CHARACTERISTICS OF ENTERPRISES IN HIMACHAL PRADESH

Items	Rural		Urban		Total	
	Number	%age	Number	%age	Number	%age
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. All enterprises	147567	80.6	35414	19.4	182981	100.0
2. Enterprises opersting						
(i) Sseasonally	14274	95.6	659	4.4	14933	100.0
(ii)Without premises	12007	86.3	1901	13.7	13908	100.0
(iii)Without power/fuel	96880	78.2	27063	21.8	123943	100.0
3. Enterprises owned by						
(i) Scheduled castes	29498	88.9	3692	11.1	33190	100.0
(ii) Scheduled tribes	5068	91.9	447	8.1	5515	100.0

DISTRICT-WISE POSITION

15.11 The data reveal that Kangra district accounted for 22 percent of the total enterprises, the largest contribution among all the districts. It is followed by Mandi district (14 percent),Shimla district (13 percent), Solan (8 percent), Chamba, Hamirpur, Una and Sirmaur (7 percent each), Kullu (6 percent), Bilaspur (5 percent), Kinnaur (2 percent) and Lahaul & Spiti (only 1 percent). So far as the number of enterprises in the rural areas is concerned, Kangra district had again the maximum number of enterprises (24 percent), followed by Mandi district (15 percent). In urban enterprises, Shimla district was having the maximum share (20 percent), followed by Kangra district (15 percent). There were about 36 enterprises per thousand population in the State. The district-wise break up of enterprises is shown in the table 15.3 below:-

Table 15.3

DISTRIBUTION OF ENTERPRISES BY DISTRICTS IN HIMACHAL PRADESH

	Own Account Enterprises						Establishments					
	Agriculture			Non-agriculture			Agriculture			Non-agriculture		
District	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Chamba	613	5	618	6623	861	7484	30	1	31	3944	1312	5256
2. Kangra	1683	23	1706	24126	3471	27597	326	11	337	8733	1736	10469
3. Hamirpur	511	17	528	8020	1443	9463	82	2	84	2425	853	3278
4. Una	68	12	80	7040	2179	9219	28	11	39	2541	999	3540
5. Bilaspur	489	6	495	5672	1054	6726	115	3	118	1941	644	2585
6. Mandi	953	21	974	15328	2592	17920	88	8	96	5394	1606	7000
7. Kullu	403	37	440	5365	1631	6996	48	10	58	2456	1362	3818
8. Lahaul & Spiti	33	-	33	856	-	856	5	-	5	1024	-	1024
9. Shimla	547	46	593	9548	3441	12989	57	11	68	6113	3633	9746
10.Solan	297	3	300	6507	1886	8393	110	6	116	3296	1624	4920
11.Sirmaur	329	22	351	6577	1755	8332	29	3	32	3387	1074	4461
12.Kinnaur	1	-	1	2170	-	2170	3	-	3	1633	-	1633
Total Himachal Pradesh	5927	192	6119	97832	20313	118145	921	66	987	42887	14843	57730

District	Total enterprises				
	Rural	%age	Urban	%age	Total
1.	14.	15	16.	17.	18.
1.Chamba	11210	7	2179	6	13389
2.Kangra	34868	24	5241	15	40109
3.Hamirpur	11038	7	2315	6	13353
4.Una	9677	6	3201	9	12878
5.Bilaspur	8217	6	1707	5	9924
6.Mandi	21763	15	4227	12	25990
7.Kullu	8272	6	3040	9	11312
8.Lahaul & Spiti	1918	1	-	-	1918
9.Shimla	16265	11	7131	20	23396
10.Solan	10210	7	3519	10	13729
11.Sirmaur	10322	7	2854	8	13176
12.Kinnaur	3807	3	-	-	3807
Total Himachal Pradesh	147567	100.0	35414	100.0	182981

Comparison With Economic Census 1980

15.12 The scope and coverage of items of Economic Census 1990 were similar to those of Economic Censuses 1980. A comparison of the results of both the census reveals that there is an increase of 31.4 percent in the total number of enterprises during the decade, as the number of enterprises increased to 1,82,981 as against 1,39,342 in 1980. According to Economic Census 1980, there were 6,753 agricultural and 1,32,589 non-agricultural enterprises in the state which went up to 7,106 agricultural and 1,75,875 non-agricultural enterprises. The share of rural enterprises in the total enterprises was 83 percent in 1980, whereas it was about 81 percent in 1990. There is no significant change in the employment structure during the decade since the percentage of workers changed marginally from 69 percent in 1980 to 67 percent in 1990 in the rural areas. However, the total number of workers in all enterprises increased to 4.69 lakhs in 1990 as against 3.44 lakhs in 1980. The number of hired workers increased to 2.92 lakh in 1990 from 2.04 lakh in 1980.

15.13 According to Economic Census 1980 there were 4,550 and 21,710 enterprises owned by scheduled tribes and scheduled castes respectively, which increased to 5,515 and 33,190 enterprises respectively in 1990. The number of enterprises, without premises, which according to Economic Census 1980 was 14,267 declined to 13,908 as per Economic Census 1990. Similarly, the enterprises working seasonally also declined to 14,933 from 17,064 in 1980.

(B) TOURIST TRAFFIC SURVEY IN H.P.-1990

15.14 Tourism is developing fast as an industry in the various states of the country and even at the international level. It is particularly important for a hilly state like H.P., where there is considerable scope for cashing in on the boundless natural attractions, which cater to all types of tourists, particularly its rich cultural heritage, and cheerful, unassuming and gentle people around. Tourism also helps in the development of local cottage and tiny industrial sector, which is famous for beautiful shawls, caps, jewellery, wood-craft and a host of other handicrafts, which the tourists love to purchase as memorable items.

15.15 But there is no regular agency to collect, compile and disseminate information on tourist inflow, age and sex-wise distribution of tourists, their place of origin, duration of stay, pattern and extent of spending on various items like transport, accomodation, food etc. purchases from H.P., their likes and dislikes, as well as their suggetions for improvement.

Scope and Coverage

15.16 A survey on tourist traffic, covering various essential details, was conducted by the Deptartment of Economics and Statistics in all the 12 district headquarters of Himachal Pradesh and 29 other important tourist centres, selected in consultation with the Commissioner Tourism, Himachal Pradesh. A suitable sample design was drawn and about 28 % of private hotels, 80% of hotels/ tourist bungalows run by H.P.Tourism Development Corporation and at least 50% of the Dharamshalas/ rest houses etc. were covered.

15.17 A tourist has been broadly defined as a person who stays, at least, for one night at a place other than his normal place of residence.

15.18 The views expressed in the report, brought out in Hindi and titled as "Paryatak Yatayat Sarvekshan-1990" are that of the Department of Economics and Statistics and it is not necessary that the Government of Himachal Pradesh subscribes to the observations therein.

Salient Results of Tourist Traffic Survey-1990.

15.19 The survey results are based on data collected from 844 tourist parties, comprising 2416 tourists (2273 Indians and 143 foreign nationals) at 41 tourist points in Himachal Pradesh. In addition, the details of tourists as available in the Visitors' Registers of the selected hotels/ places of tourist stay were also collected for the years 1983-89 and 1989-90. Some salient results of the survey are as below:

1. About 21% of the sample tourists visited Himachal Pradesh through conducted tours and the remaining came on their own.

2. a) The average duration of stay of sample Indian tourists was found to be 3.5 days and that of foreign tourist 5.1 days.

   b) About 65% of the sample tourists were males and the rest of 35% females.

3. About 56% of the sample tourists visited Himachal Pradesh in groups of 4 or more persons and only 11% came singly. The remaining were in groups of 2 or 3 persons.

4. Out of the foreign nationals, about 34% were found to be from Great Britain, 8 % from Australia, 7% from Germany and 6% each from Canada and Sweden during the survey period, the rest from other countries.

5. Of the Indian tourists about 90% were from Northern States, including U.P. and M.P., and the rest from other states.

6. Of the Indian tourists about 52% were from the field of Industry and Trade, and 29% from service sector. In case of foreign tourists, the students constituted the largest chunk i.e. 30%.

7. About 45% of the sample Indian tourists (37% in case of foreign tourists) were found staying in private hotels and 11% (28% in case of foreign tourists) in hotels run by H.P.Tourism Development Corporation.

8. The bulk of Indian tourists (44%) and foreign tourists (43%) were staying in accomodation with a tariff upto Rs. 50/- per day. About 2 % Indian and 4% foreign tourists were occupying accomodation having tariff of more than Rs. 500/- per day.

9. 60% of the Indian tourists came for sight-seeing and entertainment as against 78% foreign tourists. About 18% Indian tourists visited Himachal Pradesh for social or religious purpose.

10. About 43% of Indian tourists visited Himachal Pradesh for the first time, as against 85% in case of foreign tourists. This shows that the 57% of Indian tourists paid repeated visits to Himachal Pradesh.

11. The average expenditure per Indian tourist in H.P. on transport, accomodation, food, etc. worked out to Rs. 560 as against Rs. 621 for foreign tourist. Thus, on this basis, the estimate of total spending in H.P. by all the tourists during 1989-90 works out to Rs. 150 crore.

In addition, 32% of sample Indian tourists and 47% of foreign tourists made purchases in H.P., the estimate of purchases for 1989-90 being about Rs. 18 crore.

12. The estimate of number of tourists, based on the data collected from the Visitors' Registers of the selected hotels etc., for 1988-89 and 1989-90 is 20.54 lakh and 26.68 lakh respectively, out of which 0.49 lakh and 0.59 lakh tourists are foreign nationals. This shows an increase of 30% in case of Indian tourists and 20% in case of foreign tourists in 1989-90 over the previous year. The estimate for 1989-90 also includes 12% Himachalis staying in these hotels etc.

15.20 The suggestions made by the tourists for improvement of facilities, available in various tourist centres, are location specific. However, some general suggestions made by the tourists are:

1. Cleanliness and provision of public conveniences.
2. Satisfactory availability of potable water.
3. Running of Taxis on meter basis.
4. Proper and adequate bus service and reservation facilities.
5. Provision of public Telephones.
6. Development of entertainment places/ parks.
7. Adequate parking.
8. Banking and exchange facilities.
9. Calendar of events in H.P., and distribution of tourist literature / maps.
10. Development of winter sports and water sports.
11. Medical facilities, availability and improvement.

PART-II

STATISTICAL TABLES

CONTENTS

	Table		Page
1.	Salient Features of Population Census in Himachal Pradesh	..	2
2.	District-wise Area,Population, Sex Ratio and Density of Population	..	2
3.	Distribution of Population by Main Workers, Marginal Workers and Non-Workers-1991 Census	..	3
4.	Distribution of Main Workers by Cultivators, Agricultural Labourers, Household Industry and Other Workers-1991 Census	..	3
5.	Handicapped Population of Himachal Pradesh-1981 Census	..	4
6.	Projected Population of Himachal Pradesh	..	4
7.	Production of Principal Crops	..	5
8.	Index Numbers of Area under Principal Crops	..	6
9.	Index Numbers of Agricultural Production of Principal Crops	..	7
10.	District-wise Number and Area of Operational Holdings,1990-91(P)	..	8
11.	Livestock, Poultry and Agricultural Implements	..	9
12.	Outturn and Value of Major & Minor Forest Produce	..	9
13.	Area under Forests	..	10
14.	Co-operation	..	11
15.	Generation and Consumption of Electricity	..	12
16.	Area under Fruits	..	13
17.	Production of Fruits	..	13
18.	Himachal Pradesh Government Employees	..	14
19.	Employment Exchange Statistics	..	14
20.	Education	..	15
21.	Medical and Public Health	..	16
22.	Roads	..	17
23.	Nationalised Road Transport	..	17
24.	Consumer Price Index Numbers in Himachal Pradesh	..	18
25.	All-India Index Numbers of Wholesale Prices	..	19
26.	Plan Outlays	..	20
27.	Incidence of Crimes	..	25

Units of measurements and symbols used in the brochure

Metric unit		Equivalent to old unit
One kilometre	..	0.62137 mile
One hectare	..	2.47105 acres
One litre	..	0.22102 gallon
One quintal	..	2.6792 maunds
One metric ton or tonne	..	0.98420 ton
One cubic metre	..	35.37319 cubic feet

Symbols used-

..	..	Not available
—	..	Nil or negligible
P	..	Provisional
R	..	Revised

TABLE-1

SALIENT FEATURES OF POPULATION CENSUS IN HIMACHAL PRADESH

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per Sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951 ..	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961 ..	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971 ..	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981 ..	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991 ..	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7

Source:-(i)General Population Tables-IIA,Census of India 1971
(ii)Census of India,1981, Series 7, Paper-I of 1982, Primary Census Abstract of S.C. and S.T.
(iii)Census of India, 1991 Final Population Totals-Series-9, H.P., Paper-I, of 1992.

TABLE-2

DISTRICT-WISE AREA,POPULATION,SEX RATIO AND DENSITY OF POPULATION 1991 CENSUS

District	Area (Sq.Kilometres)	Population	Sex ratio (Females per thousand males)	Density per Sq. kilometre
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur ..	1,167 (2.10)	2,95,387(5.71)	1,002	253
Chamba ..	6,528 (11.72)	3,93,286(7.60)	949	60
Hamirpur ..	1,118 (2.01)	3,69,128(7.14)	1,105	330
Kangra ..	5,739 (10.31)	11,74,072(22.71)	1,024	205
Kinnaur ..	6.401 (11.50)	71,270(1.38)	856	11
Kullu ..	5,503 (9.88)	3,02,432(5.85)	920	55
Lahaul-Spiti ..	13,835 (24.85)	31,294(0.61)	817	2
Mandi ..	3,950 (7.09)	7,76,372(15.01)	1,013	197
Shimla ..	5,131 (9.22)	6,17,404(11.94)	894	120
Sirmaur ..	2,825 (5.07)	3,79,695(7.34)	897	134
Solan ..	1,936 (3.48)	3,82,268(7.39)	909	197
Una ..	1,540 (2.77)	3,78,269(7.32)	1,017	246
Himachal Pradesh ..	55,673(100.00)	51,70,877(100.00)	976	93

Note- Figures in brackets indicate percentage to total
Source:-(i)Census of India,1991 Final Population Totals-Series-9,H.P., Paper-I of 1992.

TABLE-3
DISTRIBUTION OF POPULATION BY MAIN WORKERS MARGINAL WORKERS AND NON-WORKERS-1991 CENSUS

District	Population	Main workers	Marginal workers	Non-Workers	Percentage of main workers to total pop.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur ..	2,95,387	91,672	40,082	1,63,633	31.03
Chamba ..	3,93,286	1,28,018	63,056	2,02,212	32.55
Hamirpur ..	3,69,128	1,10,256	44,294	2,14,578	29.87
Kangra ..	11,74,072	3,23,420	80,128	7,70,524	27.55
Kinnaur ..	71,270	33,723	3,638	33,909	47.32
Kullu ..	3,02,432	1,28,338	16,619	1,57,475	42.44
L & Spiti ..	31,294	16,954	3,366	10,974	54.18
Mandi ..	7,76,372	2,90,851	64,104	4,21,417	37.46
Shimla ..	6,17,404	2,65,986	34,207	3,17,211	43.08
Sirmaur ..	3,79,695	1,52,296	24,600	2,02,799	40.11
Solan ..	3,82,268	1,33,728	38,501	2,10,039	34.98
Una ..	3,78,269	1,03,858	22,684	2,51,727	27.45
H.P. ..	51,70,877	17,79,100	4,35,279	29,56,498	34.41

Source:-Census of India,1991, Final Population Totals, Series-9, H.P., Paper-1 of 1992.

TABLE-4
DISTRIBUTION OF MAIN WORKERS BY CULTIVATORS,AGRICULTURAL LABOURERS,HOUSEHOLD INDUSTRY AND OTHER WORKERS-1991 CENSUS

District	Main Workers	Cultivators	Agricultural labourers	Household industry	Other workers
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur	91,672	62,062	1,235	1,377	26,998
Chamba	1,28,018	85,504	1,373	1,581	39,560
Hamirpur	1,10,256	67,790	2,035	2,015	38,416
Kangra	3,23,420	1,69,820	19,237	7,540	1,26,823
Kinnaur	33,723	18,374	1,729	944	12,676
Kullu	1,28,338	1,00,289	2,901	1,391	23,757
L & Spiti	16,954	8,763	873	130	7,188
Mandi	2,90,851	2,14,441	4,128	3,478	68,804
Shimla	2,65,986	1,59,791	9,066	1,269	95,860
Sirmaur	1,52,296	1,09,506	5,091	1,661	36,038
Solan	1,33,728	73,496	2,729	1,752	55,751
Una	1,03,858	55,475	8,271	2,316	37,796
H.P	17,79,100	11,25,311	58,668	25,454	5,69,667

Source:-Census of India,1991 Final Population Totals, Series-9, H.P., Paper-I of 1992.Population.

TABLE-5

HANDICAPPED POPULATION OF HIMACHAL PRADESH-1981 CENSUS

Distrit		Totally blind	Totally crippled	Dumb	Total
1.		2.	3.	4.	5.
Bilaspur	..	179	194	202	575
Chamba	..	268	229	354	851
Hamirpur	..	209	203	253	665
Kangra	..	519	510	671	1,700
Kinnaur	..	189	24	277	490
Kullu	..	234	117	412	763
Lahaul-Spiti	..	32	16	26	74
Mandi	..	685	549	665	1,899
Shimla	..	645	300	553	1,498
Sirmaur	..	432	180	288	900
Solan	..	240	206	219	665
Una	..	292	167	175	634
Himachal Pradesh	..	3,924	2,695	4,095	10,714

Source:-Census of India,1981, Series 7, Himachal Pradesh
Part-V tables on Houses and Disabled Population.

TABLE-6

PROJECTED POPULATION OF HIMACHAL PRADESH
('OO persons)

Period	Total	Rural	Urban
1.	2.	3.	4.
Ist March,			
1992	51,813	47,499	4,314
1993	52,575	48,163	4,412
1994	53,325	48,815	4,510
1995	54,061	49,453	4,608
1996	54,781	50,075	4,706
1997	55,484	50,681	4,803
1998	56,166	51,266	4,900
1999	56,826	51,831	4,995
2000	57,460	52,371	5,089
2001	58,067	52,887	5,180

Source:-Report of the Expert Committee on Population
Projection set up by the Planning Commission.

TABLE-7

PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(in '000 tonnes)

Crops	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FOOD GRAINS					
A. Cereals:					
1. Rice	76.12	89.83	94.53	106.50	103.01
2. Maize	414.98	483.27	669.20	654.96	589.20
3. Ragi	1.63	2.46	4.36	4.06	3.87
4. Small Millets	4.54	4.29	8.90	10.32	7.02
5. Wheat	351.97	513.19	543.69	601.72	593.47
6. Barley	32.64	35.28	37.10	43.06	35.60
Total-Cereals	881.88	1,128.32	1,357.78	1,420.62	1,332.17
B. Pulses:					
7. Gram	0.97	2.87	1.70	2.23	1.50
8. Other Pulses	4.19	5.37	9.16	10.45	10.72
Total pulses	5.16	8.24	10.86	12.68	12.22
Total-Foodgrains	887.04	1,136.56	1,368.64	1433.30	1,344.39

Source:- Directorate of Land Records Himachal Pradesh.

TABLE-8

INDEX NUMBERS OF AREA UNDER PRINCIPAL CROPS

(Base=Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1939-90
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FOOD CROPS					
1. Cereals:					
(i)Kharif:					
Rice	98.15	103.76	97.52	102.51	95.88
Maize	106.32	107.71	106.51	111.86	111.32
Ragi	56.95	68.11	59.81	50.36	54.35
Millets & others	88.98	80.07	87.99	84.36	72.76
Total-Kharif	102.06	104.09	102.07	106.40	103.97
(2)Rabi:					
Wheat	106.31	104.84	105.79	105.22	104.49
Barley	95.14	91.53	87.60	80.86	79.63
Total Rabi	105.28	103.61	104.10	102.98	102.20
Total Cereals	103.64	103.86	103.06	104.73	103.11
B. Pulses:					
Gram	45.19	61.01	49.60	37.57	38.03
Mash	89.65	83.66	73.84	85.02	79.57
Other Pulses	81.35	94.82	98.52	93.03	82.29
Total-Pulses	75.16	81.43	75.72	75.21	69.54
Total Food Crops	101.70	102.34	101.21	102.72	100.83
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds:					
Groundnut	70.23	74.07	58.12	26.14	46.37
Sesamum	89.60	103.06	120.33	108.66	105.11
Rape & Mustard	109.21	127.62	113.29	105.76	116.08
Linseed	93.47	92.50	95.37	81.66	74.35
Total-Oil Seeds	95.47	105.91	107.03	94.70	96.14
B. Miscellaneous:					
Potato	92.42	97.33	94.27	97.80	104.86
Sugarcane	88.55	89.34	97.87	97.61	83.12
Ginger	103.82	109.91	95.39	76.45	67.05
Tea	95.41	99.51	95.50	43.87	80.88
Total-Miscellaneous	93.34	97.73	94.98	88.68	95.58
Total-Non-food crops	94.31	101.44	100.45	91.41	95.83
Total-Crops	101.34	102.29	101.45	102.17	100.59

Source:-Economics & Statistics Department,H.P.

TABLE-9

INDEX NUMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(Base: Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. FOOD CROPS					
A. Cereals: (i)Kharif:					
Rice	135.46	114.02	82.22	97.03	102.11
Maize	110.57	119.47	88.06	102.55	142.01
Ragi	53.74	56.04	21.82	32.88	58.20
Millets & Others	61.65	51.61	33.79	32.01	66.33
Total-Kharif	114.16	116.61	85.32	99.57	131.93
(ii)Rabi:					
Wheat	126.95	116.47	90.81	132.41	140.28
Barley	88.50	83.97	77.49	83.76	88.06
Total Rabi	123.38	113.45	89.57	127.89	135.43
Total-Cereals	118.08	115.27	87.13	111.61	133.42
B. Pulses:					
Gram	71.45	49.94	16.46	48.69	28.99
Mash	40.83	34.76	21.73	23.57	35.45
Other Pulses	83.45	74.30	38.98	54.66	98.69
Total-Pulses	63.51	51.81	25.58	40.96	53.44
Total-Food Crops	115.90	112.74	84.67	108.76	130.23
2.NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds:					
Groundnut	80.48	38.56	3.01	10.61	19.46
Sesamum	68.32	18.74	49.00	41.19	148.28
Rape & Mustard	103.17	65.81	54.40	130.71	155.92
Linseed	98.32	82.53	60.28	119.86	88.58
Total-Oil Seeds	86.02	48.05	47.18	79.27	119.81
B. Miscellaneous:					
Potato	67.30	82.11	58.75	185.49*	227.65*
Sugarcane	56.43	54.95	42.01	39.72	61.03
Ginger	71.47	43.98	16.66	33.70	34.91
Tea	118.26	115.07	129.34	84.70	--
Total-Miscellaneous	67.98	69.81	47.28	127.13	153.95
Total-Non-food crops	72.25	64.65	47.25	115.79	145.86
Total-Crops	112.80	109.33	88.02	109.28	131.33

Source:-Economics & Statistics Department,H.P.

* Data of Agriculture Deptt. has been taken into account.

TABLE-10

DISTRICT-WISE NUMBER AND AREA OF OPERATIONAL HOLDINGS
1990-91 (Provisional)

District	Nnumber	Area(hectares)
1.	2.	3.
Bilaspur	45,655	53,747
Chamba	64,121	58,556
Hamirpur	66,436	77,482
Kangra	2,19,984	2,21,125
Kinnaur	9,740	13,378
Kullu	56,804	45,505
Lahaul & Spiti	4,009	6,342
Mandi	1,32,251	1,19,564
Shimla	89,696	1,25,746
Sirmaur	43,942	1,02,178
Solan	46,719	94,993
Una	64,856	96,026
Himachal Pradesh	8,44,213	10,14,642

Source: Directorate of Agricultural Census,H.P.

TABLE-11

LIVESTOCK, POULTRY AND AGRICULTURAL IMPLEMENTS

(In thousands)

Category		1982	1987	1992
A. Livestock:				
1. Cattle	..	21,73	22,45	21,52
2. Buffaloes	..	6,16	7,95	7,01
3. Sheep	..	10,90	11,13	10,74
4. Goats	..	10,60	11,20	11,16
5. Horses and ponies	..	17	20	14
6. Mules and donkeys	..	19	31	23
7. Pigs	..	8	18	7
8. Other livestock	..	6	2	6
Total-Livestock	..	49,89	53,44	50,93
B. Poultry	..	4,61	7,54	6,64
C. Agricultural implements:				
1. Ploughs	..	6,24	7,99	6,97
2. Carts	..	3	5	1
3. Cane crushers	..	3	1	2
4. Ghanies	..	..	1	..

Source:-Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.

TABLE-12

OUTTURN AND VALUE OF MAJOR AND MINOR FOREST PRODUCE

Year	Major produce		Minor produce Value in '000 Rs.)		
	Timber (Standing Volume '000 cu. metres)	Fuel* (tonnes)	Resin	Fodder and grazing	Other Pro-duce
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1986-87	548.1	29,392	15,432	1,955	4,924
1987-88	365.0	10,438	17,917	683	10,236
1988-89	453.0	23,071	15,737	606	29,896
1989-90	436.0	5,143	17,392	552	29,422
1990-91	312.3	12,904	28,494	673	21,411
1991-92	356.4	3,189	39,104	919	4,657

*Firewood extracted/collected includes charcoal extracted also.

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh

TABLE-13

AREA UNDER FORESTS

(Sq. Kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forest not under the control of Forest Deptt.	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1986-87	1,896	33,471	893	493	948	37,701
1987-88	1,896	33,482	872	493	948	37,691
1988-89	1,896	33,350	868	529	948	37,591
1989-90	1,896	33,350	868	529	948	37,591
1990-91	1,896	33,350	868	529	948	37,591
1991-92	1,896	33,350	868	529	948	37,591

Source:-Forest Department,Himachal Pradesh

TABLE-14

CO-OPERATION

Item	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1.	2.	3.	4.	5.
I.Societies(No):				
Agricultural	2,116	2,116	2,128	2,140
Non-Agriculture	1,763	1,811	1,906	2,022
Urban banks	7	7	7	7
State and Central banks	4	4	4	4
Other secondary societies	66	70	71	70
TOTAL	3,956	4,008	4,116	4,243
II.Membership('000):				
Agricultural societies	790	802	818	846
Non-Agricultural Societies	155	159	168	174
Urban banks	6	6	7	7
State and Central banks	20	21	24	28
Other secondary societies	14	16	16	15
TOTAL	985	1,004	1,033	1,070
III.Working Capital(lakh Rs.)				
Agricultural Societies	10217.43	10030.83	10717.56	11987.85
Non-Agricultural Societies	2884.92	6049.81	5646.21	6569.14
Urban banks	946.28	1120.11	1312.29	1527.46
State & Central banks	30420.87	40719.34	47856.16	59454.63
Other secondary societies	4655.02	3633.05	5674.33	5709.29
TOTAL	49124.52	61553.14	71206.55	85248.37
IV.Loans Advanced(lakh Rs.)				
Agricultural societies	1674.60	1384.15	1627.74	2488.65
Non-Agricultural societies	510.21	534.47	516.87	617.74
Urban banks	487.02	850.68	2052.59	2681.32
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	36517.20	37473.34	31047.06	64344.68
V.Loans outstanding(lakh Rs.)				
Agricultural societies	4575.58	2642.15	3806.42	4511.31
Non-Agricultural societies	523.72	685.38	864.86	983.23
Urban banks	339.64	708.24	793.98	1016.24
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	12083.49	15419.14	18720.10	19706.16

Source:-Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE-15

GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY

(In million kwh

Item	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Electricity generated	698.8	935.5	1262.4	1050.4	1037.4
2.Electricity purchased from BMB & other States	802.0	887.6	1058.7	1200.7	1256.2
3.Electricity consumed:					
(a)Domestic	170.2	197.6	229.5	253.1	283.2
(b)Commercial light,public water-works & sewage pumping	65.0	73.6	77.6	83.7	88.0
(c)Industrial	476.9	530.9	599.6	582.0	634.0
(d)Street lighting	3.5	3.5	3.2	3.2	3.6
(e)Irrigation & agriculture	23.3	25.8	26.2	29.8	14.1
(f)Others	56.3	65.7	72.6	70.2	60.4
Total Consumption	795.2	897.1	1008.7	1022.0	1083.3
4.Electricity sold outside the State	416.7	580.9	901.9	818.2	823.4

Source: State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE-16

AREA UNDER FRUITS

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other tropical fruits	Sub-Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1985-86	51,103	24,944	10,455	27,365	14,903	1,28,770
1986-87	52,399	25,959	10,930	29,589	16,108	1,34,985
1987-88	54,912	26,726	11,628	31,226	17,559	1,42,051
1988-89	57,447	27,328	12,061	32,995	19,453	1,49,284
1989-90	59,988	27,956	12,559	34,863	21,103	1,56,469
1990-91	62,828	28,462	13,154	36,005	22,881	1,63,330
1991-92	66,767	29,051	13,581	36,885	24,484	1,70,768
1992-93	69,439	29,475	14,008	37,621	26,348	1,76,891

Source:- Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-17

PRODUCTION OF FRUITS

('000 tonnes)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other tropical fruits	Sub-Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1985-86	174.62	21.14	1.74	4.72	5.52	207.74
1986-87	359.32	12.43	2.80	11.92	14.04	400.51
1987-88	259.28	26.86	2.72	10.87	8.96	308.69
1988-89	165.16	11.52	2.63	8.47	9.57	197.35
1989-90	394.84	39.63	3.41	12.32	9.76	459.99
1990-91	342.07	14.93	3.11	12.60	13.60	386.31
1991-92	301.73	26.03	2.40	7.74	4.40	342.30
1992-93	279.05	16.04	2.64	9.31	17.81	324.85

Source:- Horticulture Department, Himachal Pradesh

TABLE-18

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT EMPLOYEES

Date of Census	Regular	Contingent paid	Work charged	Daily paid workers
1.	2.	3.	4.	5.
31st March,				
1983 ..	89,588	3,768	5,616	70,962
1984 ..	91,391	3,865	5,097	82,978
1985 ..	94,724	3,507	5,221	80,355
1986 ..	96,936	4,725	5,189	83,726
1987 ..	1,01,395	5,971	6,521	86,753
1988 ..	1,03,211	6,023	5,707	85,438
1989 ..	1,07,669	6,087	5,791	66,359
(30-06-1989)				
1990 ..	1,11,700	4,217	6,098	58,617
1991 ..	1,13,851	4,613	5,434	58,024

Source:- Economics & Statistics Department, H.P.

TABLE-19

EMPLOYMENT EXCHANGE STATISTICS

Year	Candidates registered	Placements	Vacancies notified	On live register
1.	2.	3.	4.	5.
1986	81,265	7,142	11,668	3,45,895
1987	84,546	7,676	10,146	3,49,276
1988	85,697	7,439	9,174	3,67,959
1989	1,19,204	7,804	11,643	4,27,866
1990	89,619	6,110	6,023	4,40,093
1991	91,176	4,069	6,069	4,58,738
1992	96,580	5,223	5,878	4,73,677
1993(upto 30.11.93)	94,629	4,135	7,032	4,93,079

Figures of Keylong upto 10/93.
Source:-Directorate of Labour & Employment,H.P.

TABLE-20

EDUCATION

Item	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.Primary/Junior Basic Schools:					
1.Institutions	7,074	7,288	7,340	7,471	7,548
2.Students(Stage I-V) 6-11 years('000)	645	672	649	657	690
3.Teachers(No.)	17,008	17,576	18,377	18,780	20,215
B.Middle/Senior Basic Schools:					
1.Institutions	1,068	1,068	977	1,066	1,067
2.Students(Stage VI-VII) 11-14 years ('000)	325	378	341	331	331
3.Teachers(No.)	5,995	6,496	5,043	5,758	5,405
C.High/Higher Secondary Schools/10+2:					
1.Institutions	932	1,019	1,019	1,125	1,142
2.Students(Stage IX-XI) 14-17 years('000)	129	147	173	214	215
3.Teachers(No.)	12,144	12,937	13,299	14,272	1,400
D.Colleges of General Education					
1.Institutions	37	40	40	45	45
2.Students('000)	24	26	25	26	26
3.Teachers(No.)	972	1,018	1,002	1,249	1,247

Source:-Education Department, Himachal Pradesh.

TABLE-21

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

Item	Unit	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Allopathic institutions:					
(a)Hospitals	No	57	57	57	57
(b)Primary Health Centres	"	190	190	192	206
(c)Community Health Centres	"	18	18	18	22
(d)Rural Hospitals (upgraded PHCs.)	"	17	17	17	17
(e)Dispensaries	"	213	213	213	194
TOTAL	"	495	495	497	496
2.Beds available	No	7424	7424	7424	7696
3.Ayurvedic institutions:					
(a)Hospitals*	"	12	12	12	12
(b)Dispensaries	"	522	522	522	522
(c)Ayurvedic Pharmacies	"	2	2	2	2
(d)Research Institutions	"	1	1	1	1
TOTAL	"	537	537	537	537
4.Beds availbale	No	534	534	534	534

Source:-Directory of Medical,Public-Health & Ayurvedic institutions in H.P., issued by the Directorate of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh.

*includes wards also

TABLE-22

ROADS

(In Kilometre)

Type of road	As on 31st March					
	1988	1989	1990	1991	1992	1993
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Motorble double lane	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	2,000
2.Motorble single lane	14,219	14,574	14,889	15,296	15,701	16,160
3.Jeepable	694	709	835	826	835	865
4.Less than Jeepable	4,238	4,308	4,240	4,329	4,250	4,328

Note-Figures include National Highways also.
Source:-Public Works Department,Himachal Pradesh

TABLE-23

NATIONALISED ROAD TRANSPORT

Year	Number of motor vehicles				No. of routes under operation	Distance covered ('000 kilometres)
	Buses	Trucks	Others	Total		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1984-85	1,238	11	48	1,297	950	74,432
1985-86	1,259	11	46	1,316	1,016	80,298
1986-87	1,300	8	48	1,356	1,093	83,300
1987-88	1,334	7	52	1,393	1,125	87,900
1988-89	1,376	7	51	1,434	1,207	85,200
1989-90	1,503	6	60	1,569	1,272	86,400
1990-91	1,525	8	60	1,593	1,400	89,407
1991-92	1,606	9	58	1,673	1,524	106,667
1992-93	1,614	-	-	1,614	1,569	113278

Source:-Himachal Road Transport Corporation,Shimla.

TABLE-24

CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HIMACHAL PRADESH

Year/Month	For Industrial Workers Base:1965=100		For Urban non-manual Employees Shimla Centre Base:1960=100
	General Index	Food Index	
1.	2.	3.	4.
1984	414	420	475
1985	440	439	511
1986	478	467	536
1987	495	484	573
1988	567	547	133**
1989*	165	169	147
1990	182	186	159
1991	205	215	177
1992	226	235	198
1993			
January	231	235	202
February	232	237	202
March	235	240	204
April	237	243	204
May	239	246	206
June	240	247	209
July	247	256	216
August	249	259	219
September	253	266	222
October	255	267	204
November	255	270	203
December	230	236	203

Source:-Labour Bureau, Government of India.

*Based on revised series with base 1982=100 (Linking factor=3.75)

**Based on revised series with base 1984-85=100(Linking factor=5.32)

TABLE-25

ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES

(Base 1981-82=100)

Items	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ALL COMMODITIES	125.4	132.7	143.5	154.2	165.7	182.7	207.8	228.7
I.Primary Articels:	125.7	137.2	152.6	160.1	163.6	184.9	218.3	234.6
A.Food Articles:	134.1	147.8	161.1	177.1	179.3	200.6	241.1	271.0
B.Non-Food articles	120.4	134.1	163.0	160.2	166.0	194.2	229.2	228.7
C.Minerals	106.5	104.2	100.5	98.5	102.2	109.0	113.5	116.1
II.Fuel,Power,light & lubricants	129.8	138.6	143.3	151.2	156.6	175.8	199.0	227.1
III.Manufactured Products	124.5	129.2	138.5	151.5	168.6	182.8	203.4	225.6
A.Food Products	117.2	129.1	140.5	147.8	165.3	181.7	206.3	223.8
B.Beverages,tobacco & tobacco products	123.2	133.0	155.0	180.7	207.7	242.1	265.7	293.7
C.Textiles	119.5	116.0	126.6	139.6	158.2	171.2	188.3	200.7
D.Wood & Wood Products	146.0	149.0	154.7	156.6	157.7	159.1	161.6	318.2
E.Paper & Paper Products	144.1	154.3	170.2	180.9	208.4	222.4	261.5	311.4
F.Leather & Leather Prodcuts	128.1	134.2	142.9	168.4	185.7	224.3	233.9	228.2
G.Rubber & Plastic products	128.6	132.8	143.5	155.3	159.4	164.9	170.6	186.2
H.Chemical & Chemical Products	183.3	124.6	131.9	135.8	140.0	147.9	168.4	192.6
I.Non-metallic mineral Products	131.1	142.5	147.9	152.4	167.0	185.6	215.7	232.8
J.Basic metals, alloys & metal Products	139.6	141.3	149.7	176.4	205.6	219.9	234.8	256.6
K.Machinery & Machine tools including electrical machinery	122.4	127.3	132.3	150.8	166.2	180.2	208.3	230.6
L.Transport Equipment & parts	123.0	129.1	135.5	148.9	166.2	181.3	202.5	218.1
M.Other miscellaneous (manufacturing Industries)	99.3	107.0	109.8	103.1	117.2	119.0	128.3	138.8

Source:-(i) Ministry of Industries, Govt. of India,
(ii) R.B.I. Bulleting October,1990-Supplement,New Series on Wholesale Price Index Nos. (Base:1981-82=100)
(iii)Monthly Abstract of Statistics,Oct.,1993(CSO)

TABLE-26

PLAN OUTLAYS

(Rs. in lakhs

Sector/Head of Development	Provisions for Annual Plan (1994-95)
1.	2.
A. Economic Services:	
I. Agriculture and Allied Services :	
1. Crop Husbandry:	
(a)Agriculture	1,115.50
(b)Horticulutre	749.00
(c)Dry Land Farming	28.00
Sub-total (1)	1,892.50
2. Soil Conservation:	
(a)Agriculture	300.00
(b)Forests	184.00
Sub-total (2)	484.00
3. Animal Husbandry	718.50
4. Dairy Development	184.00
5. Fisheries	170.00
6. Forests and Wild Life :	
(a) Forestry	4,000.00
(b) Wild Life	169.00
Sub-total (6)	4,169.00
7. Agriculture, Research and Education:	
(a)Agriculture	256.00
(b)Horticulture	273.00
(c)Animal Husbandry	150.00
(d)Forests	164.00
(e)Fisheries	9.00
Sub-total (7)	852.00
8. Agricultural Financial Institutions	20.00
9. Marketing and Quality Control:	
(a) Agriculture	46.00
(b) Horticulture	613.00
Sub-total (9)	659.00
10. Loans to Cultivators other than Horticulture	5.00
11. Co-operation	341.00
TOTAL-I	9,495.00

TABLE-26-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
II. Rural Development:	
1. Special Programme for Rural Development:	
(a)Integrated Rural Development (IRDP) and Allied Programmes	326.00
(b)Integrated Rural Energy Programme(IREP)	130.00
Sub-total (1)	456.00
2. Rural Empolyment:	
(a)Special Employment Programme	118.00
(b)Jawahar Rojgar Yojna	254.00
Sub-total (2)	372.00
3. Land Reforms:	
(a)Cadastral Survey and Records of Rights	425.00
(b)Supporting Services	5.00
(c)Consolidation of Holdings	230.00
(d)Strengthening of Primary and Sup. LRA	222.00
(e)Revenue Housing	55.00
(f)Forest Settlement	49.00
Sub-total (3)	986.00
4. Community Development	147.00
5. Panchayats	148.00
TOTAL-II	2,109.00
III. Speical Area Programme:	
IV. Irrigation and Flood Control:	
1. Major and Medium Irrigation	274.00
2. Minor Irrigation (IPH)	2,300.00
3. Rural Development Department	26.00
4. Command Area Development	83.00
5. Flood Control	132.00
TOTAL-IV	2,815.00
V. Energy:	
1. Power:	
(a) Generation	6,984.00
(b) Transmission and Distribution	4,800.00

TABLE-26-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
c. Rural Electrification	900.00
d. Survey and Investigation	150.00
e. Board's Buildings	10.00
f. Renovation and Modernisation	20.00
Sub-total (1)	12,864.00
2. Bio-gas Development	45.00
3. Non-Conventional Energy Sources Development of New and Renewable Soruce of Energy	42.00
TOTAL-V	12,951.00
VI. Industry and Minerals:	
1. Village and Small Industries	992.00
2. Large and Medium Industries	698.00
3. Mining	50.00
TOTAL-VI	1,740.00
VII. Transport:	
1. Civil Aviation(Helipads & Helicopter Organisation)	120.00
2. Roads and Bridges	6,485.00
3. Road Transport	1,437.00
4. Inland and Water Transport	3.00
5. Other Transport Services:	
(a)Ropeways/Cable ways	30.00
(b)I.M.T. Studies	5.00
Sub-Total (5)	35.00
TOTAL-VII	8,080.00
VIII.Communication	95.00
IX. Science, Technology and Environment:	
1. Scientific Research including S&T	40.00
2. Ecology and Environment	6.00
3. Water and Air Pollution Prevetion	35.00
TOTAL-IX	81.00

TABLE-26-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
X. General Economic Services:	
1.Sectt. Economic Services	126.00
2.Excise and Taxation	6.00
3.Tourism	775.00
4.Survey & Statistics	28.00
5.Civil Supplies	645.00
6.Weights and Measures	10.00
7.Other General Services:	
(a)Institutional Finance	58.00
(b)District Planning	3,676.00
Sub-total (7)	3,734.00
TOTAL-X	5,318.00
TOTAL-A-Economic Services	42,684.00
B. Social Services:	
XI. Education Sports, Art and Culture:	
1. Primary Education	1,470.00
2. General and University Education	5,217.00
3. Adult Education	60.00
4. Technical Education	1,268.00
5. Art and Culture	115.00
6. Sports and Youth Services	127.00
7. Others:	
(i)Mountaineering and Allied Sports	65.00
(ii)Gazetteer	11.00
Sub-Total (7)	76.00
TOTAL-XI	8,333.00
XII.Health:	
1. Allopathy	1,890.00
2. Ayurveda and Other ISMs	460.00
3. Medical Education	525.00
TOTAL-XII	2,875.00
XIII.Water Supply,Housing & Urban Development and Sanitation:	
1. Water Supply:	
(a)Urban Water Supply	1,569.00
(b)Rural Water Supply	4,020.00
Sub-Total-1	5,589.00

TABLE-26-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2
2 Sewerage and Sanitation:	
(a)Sewerage	474 00
(b)Rural Sanitation	1,040 00
(C)Low Cost Sanitation	65.00
Sub Total-2	1,579.00
3. Housing including Police Housing:	
(a)General Pooled Housing	475 00
(b)Housing Department	175 00
(c)Rural Housing	50.00
(d)Police Housing	100.00
Sub Total-3	800.00
4 Urban Development:	
(a)Town and Country Planning	120.00
(b)Environment Improvement of Slums	73.50
(c)Grant-in aid to Local Bodies and Directorate of Urban Local Bodies	166.50
(d)Urban Development Authority	100.00
Sub Total-4	460.00
TOTAL -XII	8,488.00
XIV. Information and Publicity	142.00
XV.. Welfare of SC/ST/OBCs:	
(a)welfare of Backward Classes	233.00
(b)Scheduled Caste/Tribe Development Corporation	80 00
TOTAL XV	313.00
XVI.Labour and Labour welfare:	93.00
XVII.Social Welfare :	
(a)Social Welfare	604.00
(b)S.N.P. including ICDS	400.00
TOTAL-XVII	1,004.00
TOTAL B-Social Services	21, 88.00

TABLE-26-Conld...

(Rs. in lakh)

1.	2.
C. General Services:	
1. Stationery and Printing	94.00
2. Pooled non-residential Government Building	625.00
3. Others:	
(a)HIPA	50.00
(b)Nucleus Budget for Tribal Areas	145.00
(c)Tribal Development Machinery	11.00
(d)Equity of Ex-Servicemen Corporation including PEX SEM	53.00
(e)Upgradation of Judiciary Infrastructure	150.00
Sub-Total-3	409.00
TOTAL-C-General Services	1,128.00
TOTAL(All Sectors A+B+C)	65,000.00

Source: Annual Plan, 1994-95, Himachal Pradesh

TABLE-27

INCIDENCE OF CRIMES

District	1989	1990	1991	1992	1993
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur	629	548	632	698	674
Chamba	610	691	1,010	1,117	1,235
Hamirpur	381	381	467	595	649
Kangra	2,464	2,794	3,029	3,161	3,412
Kinnaur	256	257	267	282	308
Kullu	664	815	867	807	948
Lahaul-Spiti	153	175	152	163	182
Mandi	1,867	1,871	2,131	1,903	2,351
Shimla	2,205	2,741	2,890	2,746	3,194
Sirmaur	930	810	921	841	1,126
Solan	846	966	1,051	917	1,210
Una	752	675	812	819	1,022
Railway & Traffic	9	16	12	7	10
Himachal Pradesh	11,766	12,786	14,241	14,056	16,321

Source:-Police Department, Himachal Pradesh

NIEPA DC
D08512
urobindo Marg,
-110016
D-8512
23-3-95